Vol. 256
No. 15

Tuesday,
22nd March, 2022
1 Chaitra, 1944 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART - II)

CONTENTS

References by the Chair —

Reference on the occasion of World Water Day (pages 1 - 2)

Reference to the Plane crash in China (page 2)

Papers Laid on the Table (pages 3 - 16)

Report of the Committee on Subordinate Legislation - *Presented* (page 16)

Reports of the Department - related Parliamentary Standing Committee on Commerce - *Presented* (page 17)

Reports of the Department - related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel - *Laid on the Table* (page 17)

[P.T.O

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE: ₹ 100.00

Reports of the Department - related Parliamentary Standing Committee on Energy - *Laid on the Table* (page 18)

Reports of the Department - related Parliamentary Standing Committee on Finance - Laid on the Table (pages 18 - 19)

Reports of the Department - related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution - Laid on the Table (page 19)

Report of the Department - related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas - Laid on the Table (page 19)

Observation by the Chair (pages 19 - 20)

Oral Answer to Questions (pages 20 - 24)

[*Answers to Starred and Un - starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part - I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise*]

The Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir, 2022 - 23 - Discussion not concluded (pages 24 - 109)

Government Bills - *Under consideration*

The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022 (pages 24 - 109)

The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022 (pages 24 - 109)

Special Mentions - *Laid on the Table*

Need for structural changes in the Indian Criminal Law (pages 109 - 110)

Need to address the issue of child labour and violence in manual scavenging (pages 110 - 111)

Need to re - start the funding to private educational institutions for supporting activities related to NCC (page 111)

Need to start work at Canning - Jharkhali railway line for development of Sundarbans (pages 111 - 112)

[P.T.O

Need to form a separate Indian Council for Veterinary Research (page 112 - 113)
Need to give rebate on GST and payment of refund to handloom weavers due to multi - level tax on cotton yarn (page 113)
Need for policies for migrant workers (page 114)
Redressal of issues being faced by the employees of Cannanore Spinning & Weaving Mills in Kerala (pages 114 - 115)
Need for authentic figures related to infiltration of Bangladeshi nationals in Assam (page 115)
Need for opening of more Jan Aushadhi Kendras and for encouraging use of generic medicines (pages 115 - 116)
Need for Front of Package Labelling (FOPL) regulation in the country (page 116)
Need to seek relaxation in WTO Agreement on Trade - related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) for fighting Covid - 19 pandemic (pages 116 - 117)
Need to revoke the decision of the closure of Terrestrial Services of Doordarshan and All India Radio (pages 117 - 118)

Website: http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail : rsedit-e@sansad.nic.in

RAJYA SABHA

Tuesday, the 22nd March, 2022/1 Chaitra, 1944 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

REFERENCES BY THE CHAIR

(i) Reference on the occasion of World Water Day

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, today, the March 22, is the World Water Day, a day that is observed to highlight the importance of freshwater resources and their sustainable management. This year, the United Nation's Theme for the World Water Day is 'Groundwater, making the Invisible Visible' that focuses on groundwater, which exists as an invisible resource, however, has a profound impact visible everywhere.

Sustenance of life on our planet, to a large extent, depends on the groundwater. Groundwater supplies a large proportion of water we use for drinking, sanitation, food production, industrial processes and is equally significant for healthy functioning of ecosystems.

With ever growing population, urbanization and industrialization, the demand for water has increased manifold and the groundwater resources have been put under severe stress. Today, we face the dual challenge regarding our groundwater resources, that of its exploitation and pollution due to industrial effluents, mining activities, agricultural runoff, etc.

So, conservation of water and preservation of our water resources is of utmost importance for our country given the fact that we have 16 per cent of the global population, but only 4 per cent of the world's available fresh water.

We, as representatives of our people, it is incumbent upon us to serve as flag-bearers in our efforts to conserve water resources. Our ancient texts have always treated water as a divine gift of nature. We know that the scriptures have, especially

mentioned about this. So, waters are to be freed from defilement. This is the main theme. So, in tune to our ancient wisdom, I hope, the entire House will join me in supporting conservation of water resources, especially groundwater resources, and ensuring judicious use of water so that, while fulfilling our present needs, enough is left for our future generations.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सर, आज बिहार दिवस है।

श्री सभापति : आपको और बिहार की जनता को बधाई हो।

(ii) Reference to the Plane crash in China

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, 132 passengers, including 9 crew members, reportedly lost their lives when a China Eastern Airlines Boeing 737-800 crashed in mountains in Southern China on a domestic flight flying from the Southwestern city of Kunming to Guangzhou yesterday on 21st March, 2022.

The loss of precious lives in this tragic incident is, indeed, painful and unfortunate.

This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the loss suffered by the people of China and conveys India's stand of solidarity with them in their hour of grief.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

Papers to be laid on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications of the Ministry of Corporate Affairs

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I lay on the Table, under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Corporate Affairs:-

(1) G.S.R. 888 (E), dated the 28th December, 2021, publishing the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund), Third Amendment, Rules, 2021.

(2) G.S.R. 4 (E), dated the 4th January, 2022, publishing the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and Other Employees of Authority), Amendment Rules, 2022.

(3) G.S.R. 35 (E), dated the 4th January, 2022, delegating power to the National Financial Reporting Authority for the appointment of certain posts in the said Authority.

(4) G.S.R. 12 (E), dated the 12th January, 2022, publishing the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2022.

(5) G.S.R. 107 (E), dated the 11th February, 2022, publishing the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2022.

[Placed in Library. For (1) to (5) *See* No. L.T. 6572/17/22]

(6) G.S.R. 109 (E), dated the 11th February, 2022, publishing the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2022.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6573/17/22]

(7) G.S.R. 623 (E), dated the 11th February, 2022, delegating the powers and functions vested in the Limited Liability Partnership Act, 2008, under Section 17, to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Guwahati, subject to the conditions mentioned therein.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6574/17/22]

(8) G.S.R. 165 (E), dated the 28th February, 2022, publishing the National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members), Amendment Rules, 2022.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6572/17/22]

Notifications of the Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(1) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/61, dated the 31st December, 2021, publishing the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, under Section 31 of Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(2) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/67, dated the 24th January, 2022, regarding grant of recognition under Regulation 4 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations 2018 by AMC Repo Clearing Limited, The Empire Business Centre, Empire Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra-400013 for one year, commencing on the 17th day of January, 2022 and ending on the 16th day of January, 2023 subject to the conditions specified therein.

(3) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/71, dated the 25th January, 2022, publishing the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2022.

(4) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/72, dated the 28th January, 2022, publishing the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} (Amendment) Regulations, 2022.

(5) No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/73, dated the 23rd February, 2022, publishing the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022.

[Placed in Library. For (1) to (5) *See* No. L.T. 6753/17/22]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No.SEBI/LAD-NRO/GN/2022/62,dated the 14th January, 2022, publishing the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2022, under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; sub-section (3) of Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956; and Section 27 of Depositories Act, 1996.

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66, dated the 24th January, 2022, publishing the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; and sub-section (3) of Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74, dated the 23rd February, 2022, publishing the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022, under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; and Section 27 of Depositories Act, 1996.

[Placed in Library. For (ii) to (iv) *See* No. L.T. 6753/17/22]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), under Section 29 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019:-

(1) No. IFSCA/2021-22/GN/REG021, dated the 1st February, 2022, publishing the International Financial Services Centres Authority (Insurance Web Aggregator) Regulations, 2022.

(2) G.S.R. 167 (E), dated the 28th February, 2022, publishing the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022.

(3) G.S.R. 168 (E), dated the 28th February, 2022, publishing the International Financial Services Centres Authority (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2022.

(vi) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. IFSCA/2021-22/GN/022, dated the 4th February, 2022, publishing the International Financial Services Centres Authority (FinTech Incentive) Scheme, 2022, issued under Section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019.

[Placed in Library. For (v) and (vi) *See* No. L.T. 6752/17/22]

(vii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 296 of the Income-tax Act, 1961, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 851 (E), dated the 10th December, 2021, publishing the Income-tax (33rd Amendment) Rules, 2021.

(2) G.S.R. 883 (E), dated the 27th December, 2021, publishing the Income-tax (34th Amendment) Rules, 2021.

(3) G.S.R. 903 (E), dated the 29th December, 2021, publishing the Income-tax (35th Amendment) Rules, 2021.

[Placed in Library. For (1) to (3) *See* No. L.T. 6471/17/22]

(viii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 920 (E), dated the 31st December, 2021, amending Notification No. G.S.R. 673 (E), dated the 28th June, 2017, to omit/insert certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6254/17/22]

(2) G.S.R. 923 (E), dated the 31st December, 2021, amending Notification No. G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017, to substitute/omit certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6255/17/22]

(3) G.S.R. 159 (E), dated the 24th February, 2022, amending Notification No. G.S.R. 196 (E), dated the 21st March, 2020, to substitute certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6756/17/22]

(ix) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 24 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 922 (E), dated the 31st December, 2021, amending Notification No. G.S.R. 710 (E), dated the 28th June, 2017, to omit/insert certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6255/17/22]

(2) G.S.R. 925 (E), dated the 31st December, 2021, amending Notification No. G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017, to substitute/omit certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6256/17/22]

(x) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 24 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 921 (E), dated the 31st December, 2021, amending Notification No. G.S.R. 666 (E), dated the 28th June, 2017, to omit/insert certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6254/17/22]

(2) G.S.R. 924 (E), dated the 31st December, 2021, amending Notification No. G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017, to substitute/omit certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6256/17/22]

(xi) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under sub-section (7) of Section 9A of the

Customs Tariff Act, 1975, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 38 (E), dated the 24th January, 2022, rescinding Notification No. G.S.R. 776 (E) dated the 8th August, 2016 and revoking the anti-dumping duty imposed on "PVC Flex Films", originating in or exported from China PR.

(2) G.S.R. 114 (E), dated the 14th February, 2022, amending Notification No. G.S.R. 478 (E), dated the 16th May, 2017, to insert certain entries in the original Notification.

(3) G.S.R. 160 (E), dated the 24th February, 2022, in supersession of Notification No. G.S.R. 588 (E), dated the 14th June, 2017, seeking to impose the anti-dumping duty on imports of subject goods, specified therein, originating or exported from China PR for a period of 5 years, from the date of publication of the Notification in the official Gazette.

(4) G.S.R. 157 (E), dated the 24th February, 2022, amending Notification No. G.S.R. 11 (E), dated the 5th January, 2017 to substituting certain entries in the original Notification.

[Placed in Library. For (1) to (4) *See* No. L.T. 6758/17/22]

(xii) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under Section 159 of the Customs Act, 1962, along with Explanatory Memoranda:-

(1) G.S.R. 929 (E), dated the 31st December, 2021, amending Notification No. G.S.R. 55 (E), dated the 28th January, 2020, to substitute/insert/omit certain entries in the original Notification.

(2) Ad-hoc Exemption Order No.1 of 2022, dated the 17th January, 2022, exempting Respirator Non-surgical Mask N-95- & 4- layer Masks shipped from Indiana Face masks as donation by the Government of Karnataka from the whole of the duty of Customs leviable thereon under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, and, whole of

the Integrated Tax leviable thereon under sub-section (7) of Section 3 of the said Act, subject to conditions mentioned therein.

(3) G.S.R. 111 (E), dated the 12th February, 2022, amending Notification numbers G.S.R. 733 (E), dated the 13th October, 2021 and G.S.R. 734 (E), dated the 13th October, 2021, to substitute/insert certain entries in the original Notification.

(4) G.S.R. 146 (E), dated the 22nd February, 2022, publishing the Shipping Bill (Post export conversion in relation to instrument based scheme) Regulations, 2022.

[Placed in Library. For (1) to (4) *See* No. L.T. 6759/17/22]

Reports and Accounts (2020-21) of NIPER, Kolkata; NIPER,Guwahati; and NIPER, Ahmedabad and related papers

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खूबा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूंः-

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 23 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Act, 1998 :—

(a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Kolkata, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6484/17/22]

(b) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Guwahati, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6486/17/22]

(c) Annual Report and Accounts of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ahmedabad, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6485/17/22]

I. Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare

II. Reports and Accounts (2020-21) of various AIIMS and related papers

III. Reports and Accounts (2020-21) of the Pasteur Institute of India, Coonoor; the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad; NAMS, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I lay on the Table :-

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. S.O. 4842 (E), dated the 24th November, 2021, publishing the National Commission for Allied and Healthcare Professions 2nd (Removal of Difficulties) Order, 2021, under sub-section (2) of Section 69 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021, along with Delay Statement.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6716/17/22]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. S.O. 291 (E), dated the 21th January, 2022, appointing the 25th day of January, 2022 as the date on which the provisions of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 shall come into force, under Section 44 of the said Act.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6715/17/22]

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. S.O. 292 (E), dated the 21th January, 2022, appointing the 25th day of January, 2022 as the date on which the provisions of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 shall come into force, issued under sub-section (2) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6714/17/22]

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare

Notification No. 14-285/2021-PCI., dated the 24th February, 2022, publishing the "Diploma in Pharmacy Exit Examination Regulations, 2022", under sub-section (4) of Section 18 of the Pharmacy Act, 1948.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6717/17/22]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Health and Family Welfare, under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

(1) No. M&MP/Notification(05)/FSSAI-2019 dated the 27th December, 2021, publishing the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Sixth Amendment Regulations, 2021.

(2) No. Std/SP-08/A-1.2019/N-01 dated the 25th January, 2022, publishing the Food Safety and Standards (Packaging) First Amendment Regulations, 2022.

(3) No. 1605/FSSAI/Import/2016(pt-2) dated the 14th February, 2022, publishing the Food Safety and Standards (Import) First Amendment Regulations, 2022.

[Placed in Library. For (1) to (3) *See* No. L.T. 6713/17/22]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of the Section 18 and Section 19 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (as amended in 2012):—

(i) (a) Ninth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6726/17/22]

(ii) (a) Third Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Mangalagiri, Andhra Pradesh, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6724/17/22]

(iii) (a) Ninth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Raipur, Chhattisgarh, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6725/17/22]

(iv) (a) Third Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Nagpur, Maharashtra, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6718/17/22]

(v) (a) Sixty-fifth Annual Report and Accounts of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) to (v) (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6720/17/22]

III. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Pasteur Institute of India, Coonoor, Tamil Nadu, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6722/17/22]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, Uttar Pradesh, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Commission.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6719/17/22]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Academy of Medical Sciences (India) (NAMS), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Academy.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6723/17/22]

I. Reports and Accounts (2020-21) of various Port Trusts and related papers

II. Report and Accounts (2020-21) of SCL, Chennai and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Sir, I lay on the Table :-

I. (A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (2) of Section 103 and Section 106 of the Major Port Trusts Act, 1963:—

(i) (a) Forty-second Administration Report and Accounts of the V. O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin Tamil Nadu for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6694/17/22]

(ii) (a) Administration Report of the Paradip Port Trust (PPT), Odisha, for the year 2020-21.

(b) Annual Accounts of the Paradip Port Trust (PPT), Odisha, for the year

2020-21, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a) and (ii) (a) & (b) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6192/17/22]

(B) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 44 and Section 49 of the Major Port Authorities Act, 2021:-

(i) (a) Administration Report and Accounts of the Mumbai Port Trust-Pension Fund Trust, Mumbai, Maharashtra, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government of the Annual Accounts of the above Trust.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6691/17/22]

(ii) (a) One Hundred Forty Second Administration Report of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2020-21.

(b) Annual Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, Maharashtra, for the year 2020-21, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government of the working of the above Port Trust.

(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6690/17/22]

(iii) (a) Annual Administration Report and Accounts of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Port Trust.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (i) (a); (ii) (a) & (b) and (ii) (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6692/17/22]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-

section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(a) Sixteenth Annual Report and Accounts of the Sethusamudram Corporation Limited (SCL), Chennai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6695/17/22]

Reports and Accounts (2020-21) of various organisations and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. MUNJAPARA MAHENDRABHAI): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Thirtieth Annual Report and Accounts of the National Academy of Ayurveda, New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Academy.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6729/17/22]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Unani Medicine (NIUM), Bengaluru, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6733/17/22]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Central Council of Homoeopathy (CCH), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6730/17/22]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Siddha, Chennai, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6734/17/22]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 6735/17/22]

REPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I present the Two Hundred and Forty Eighth Report (in English and Hindi) of the Committee on Subordinate Legislation on the Statutory Orders Laid on the Table of the Rajya Sabha during its 254th Session.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

SHRIMATI ROOPA GANGULY (Nominated): Sir, I present the following Reports (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce:-

(i) 167th Report on Demands for Grants (2022-23) pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; and

(ii) 168th Report on Demands for Grants (2022-23) pertaining to Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

श्री समीर उरांव (झारखंड) : महोदय, मैं विभाग-संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) Twenty-eighth Report on Demands for Grants (2022-23) relating to the Ministry of Steel;

(ii) Twenty-ninth Report on Demands for Grants (2022-23) relating to the Ministry of Mines;

(iii) Thirtieth Report on Demands for Grants (2022-23) relating to the Ministry of Coal; and

(iv) Thirty-first Report on 'Development of Aluminium and Copper Industries in the Country' relating to the Ministry of Mines.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON ENERGY

SHRI T. K. S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Energy (2021-22):-

(i) Twenty-second Report on Action-taken by the Government on recommendations contained in the Sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of New and Renewable Energy;

(ii) Twenty-third Report on Action-taken by the Government on recommendations contained in the Seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Demands for Grants (2021-22) of the Ministry of Power;

(iii) Twenty-fourth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of New and Renewable Energy; and

(iv) Twenty-fifth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Power.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FINANCE

श्री महेश पोद्दार (झारखंड) : महोदय, मैं विभाग-संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) Fortieth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment & Public Asset Management, Ministry of Finance;

(ii) Forty-first Report on Demands for Grants (2022-23) of the Department of Revenue, Ministry of Finance;

(iii) Forty-second Report on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Corporate Affairs;

(iv) Forty-third Report on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Planning; and

(v) Forty-fourth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution (2021-22):-

(i) Eighteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and

(ii) Nineteenth Report on Demands for Grants (2022-23) of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों (2022-23) से संबंधित विभाग-संबंधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सबंधी संसदीय स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

OBSERVATION BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: There was notice under Rule 267 by Shri Shaktisinh Gohil, Ms. Dola Sen, Dr. Sivadasan, Shri Elamaram Kareem and Shri John Brittas about the prices of cooking gas, petroleum and diesel. This is not admitted. ...*(Interruptions)*..

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir,...*(Interruptions)..*

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir,...*(Interruptions)..*

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Sir,...*(Interruptions)..*

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir,...*(Interruptions)..*

MR. CHAIRMAN: This can be discussed, during the discussion on Grants of the concerned Ministry. ...*(Interruptions)..* No, please. ...*(Interruptions)....* Zero Hour. ...*(Interruptions)....* Shrimati Vandana Chavan ...*(Interruptions)....* Shrimati Vandana Chavan ...*(Interruptions)....* Shrimati Vandana Chavan ...*(Interruptions)....* This is not the way. ...*(Interruptions)....* This is not the way. ...*(Interruptions)....* This is not the way. ...*(Interruptions)....* This will not go on record. ...*(Interruptions)....* Please allow the proceedings to go on. ...*(Interruptions)....* Shrimati Vandana Chavan ...*(Interruptions)....* Not there. ...*(Interruptions)....* Dr. Wanweiroy Kharlukhi ...*(Interruptions)....* No placards, please. ...*(Interruptions)....* There is no other option but to forgo 19 Members' Zero Hour submissions... ...*(Interruptions)....* Please. ...*(Interruptions)....* This will not go on record. ...*(Interruptions)....* The names of the Members, whoever is carrying placards, to be put in the Bulletin. ...*(Interruptions)....* Their names should be noted and put in the Bulletin. ...*(Interruptions)....* Zero Hour. ...*(Interruptions)....* Zero Hour. ...*(Interruptions)....* Zero Hour. ...*(Interruptions)....* Please. ...*(Interruptions)....* The House is adjourned to meet at 12 o'clock.

The House then adjourned at eleven minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री उपसभापति : प्रश्न काल..(**व्यवधान**).. Question No. 196; Shri Sushil Kumar Gupta. ...*(interruptions)..* माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता। ..(**व्यवधान**).. जो माननीय सदस्यगण वैल में

आ रहे हैं, ..(**व्यवधान**).. वे कृपया अपनी सीट पर जाएं। ..(**व्यवधान**)..यह प्रश्न काल है, इसको तैयार करने में देश का काफी पैसा लगता है। ..(**व्यवधान**).. Please go back to your seats. ...*(interruptions)*... प्लीज़ नारे न लगाएं।..(**व्यवधान**)..यह रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है,..(**व्यवधान**).. इसलिए यहाँ पर न तो पोस्टर्स और न ही प्ले काड्र्स लेकर आएं।..(**व्यवधान**)..प्लीज़, आप अपनी सीट पर जाइए। ..(**व्यवधान**).. माननीय मंत्री जी - Question No. 196. ...*(interruptions)*...First supplementary; Shri Sushil Kumar Gupta - absent. No supplementary? ...*(interruptions)*... माननीय सदस्यगण..(**व्यवधान**)..प्लीज़, आप वैल में न आएं, आप अपनी सीट पर वापस जाएं। ..(**व्यवधान**).. Shri Abdul Wahab ...*(interruptions)*...

*196. *[The questioner was absent.]*

Proposal to amend Medical Devices Rules, 2017

*196. SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be please to State:

(a) Whether it is the fact that all wholesale and retail trade outlets selling medical devices in the country will soon need a registration from the Drug Regulators of the States they operate in;

(b) Whether Government proposes to amend the Medical Devices Rules, 2017 to empower the Drug Licensing Authorities to issue such registration certificates to outlets that sell, stock, exhibit or offer for sale or distribute medical devices including in-vitro diagnostic medical devices in the country; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Ministry of Health and Family Welfare has published draft rules vide G.S.R. 104(E) dated 09th February, 2022. The draft notification is available at (https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/233279.pdf).

As per the draft rules, the wholesaler/ retailer of Medical Devices, may either have Drugs Sale License under Part VI of Drugs Rules, 1945 or Registration certificate as per Medical Devices Rules 2017, from the concerned State Licensing Authority.

श्री उपसभापति : Question. No. 197 - Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. *...(interruptions)...* माननीय मंत्री जी। ..(**व्यवधान**)..

Consultancy assignments to private firms

*197. DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is a regular practice in the Ministry and its Departments to give some consultancy assignments to different firms;

(b) whether there are any rules and regulations for selecting such firms, if so, the details thereof; and

(c) the number of consultancy firms which were given such contracts worth more than ₹ 25 Lakh during 2015-2019, along with their names and assignments handled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI BHAGWANTH KHUBA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Department of Expenditure, Ministry of Finance had prepared *Manual for Procurement of Consultancy and other Services*, 2017 in keeping with GFR, 2017 and

in consonance with the fundamental principles of transparency, fairness, competition, economy, efficiency and accountability.

Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers follows the *Manual for Procurement of Consultancy &Other Services, 2017* for awarding Consultancy assignments, as per the specific needs of the schemes, implemented by the Department.

(c) No contracts worth more than ₹25 Lakh were given to **private** consultancy firms by the Ministry during 2015-19.

श्री उपसभापति : माननीय डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे जी, आप अपना फर्स्ट सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए। ..(**व्यवधान**)..

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे : उपसभापति जी, मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है, ..(**व्यवधान**)..मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please go back to your seats. ...*(interruptions)*... जो माननीय सदस्य वैल में आ गए हैं..(**व्यवधान**)..मेरा उनसे आग्रह है कि वे कृपया अपनी सीट पर जाएं। ..(**व्यवधान**)..प्लीज़..(**व्यवधान**)..

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे : ऐसी कंसल्टेंसी फर्म्स ..(**व्यवधान**).. उन्हें जो काम दिया जाता है..(**व्यवधान**)..क्या उनके काम की समीक्षा की कोई पद्धति है या नहीं है? ..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण है। ..(**व्यवधान**)..यह पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ..(**व्यवधान**)..आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है। ..(**व्यवधान**)..Please go back to your seats. ...*(interruptions)*...

श्री भगवंत खूबा : उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, यह उच्च सदन है, House of Elders है। ..(**व्यवधान**)..प्लीज़, आप हाउस को चलने दीजिए। ..(**व्यवधान**)..देरेक ओब्राईन जी, आप इन्हें वापस बुलाइए, ..(**व्यवधान**).. आप वरिष्ठ सदस्य हैं। ..(**व्यवधान**)..

श्री देरेक ओब्राईन : *

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी के जवाब के अलावा और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ..(**व्यवधान**)..

श्री भगवंत खूबा : उपसभापति जी..(**व्यवधान**)..अभी हमारे ..(**व्यवधान**)..मंत्रालय की ओर से ..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.

[*Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise*]

The House then adjourned at two minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at three minutes past two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*

#THE BUDGET OF UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR, 2022-23
and
#GOVERNMENT BILLS

(i) **The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022**
(ii) **The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022**

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात) : सर, मेरे नोटिस का क्या हुआ?...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : एक मिनट। The Budget of the Union Territory of Jammu and Kashmir, 2022-23; the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022; and the Jammu and Kashmir

---

* Not recorded.
# Discussed together.

Appropriation (No.2) Bill, 2022, to be discussed together. Now, the Budget of the Union Territory of Jammu and Kashmir, 2022-23. Shrimati Nirmala Sitharaman to move the motions for consideration of the following Bills: the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022; and the Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : हमने सुबह एक मुद्दा उठाया था।...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Should I move, Sir?

श्री उपसभापति : आपको मैं उनके बाद बुला रहा हूं, पहले मोशन मूव करा दूं। मोशन मूव करा कर मैं आपको बुला रहा हूं। It is already in the process. ...(**व्यवधान**)... चलिये, आप बतायें।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: हमने सुबह पेट्रोल और डीजल inflation का जो मुद्दा उठाया था, ...(**व्यवधान**)...एक मिनट। इस इश्यू को हम सभी ने मिलकर उठाया था। आप भी चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की समस्या और यह जो विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए हम co-operate करेंगे, no doubt.

श्री उपसभापति : धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : लेकिन यही एटीट्यूड उनका भी होना चाहिए। दूसरा, अगर हम टाइम पर नहीं आयें तो हमेशा चेयर से आप टोक देते हैं, लेकिन जब हाउस में मिनिस्टर नहीं हैं, लीडर ऑफ दि हाउस नहीं हैं और पांच मिनट देरी से अगर हमारा सदन चलता है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : यह गलत सूचना है। कोरम नहीं था, यह सूचना गलत है। मैं पास में ही बैठा हुआ था।...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : नहीं, ऐसा नहीं है। 2/3rd लोगों के होते हुए कोरम नहीं था? ...(**व्यवधान**)... This is very bad.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; hon. LoP, it is over. Hon. Minister, please move the motions. ...*(Interruptions)*.... Please, LoP, it is not going on record. प्लीज़, आप बैठकर बात न करें।...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2021-22, be taken into consideration."

Sir, I also move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2022-23, be taken into consideration."

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir, 2022-23; the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022, and, the Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022, are now open for discussion. Shri Vivek K. Tankha.

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश) : डिप्टी चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया। चूँकि यहाँ शायद मैं अकेला कश्मीरी पंडित हूँ, तो मैं एक शेर के साथ आज अपनी बात शुरू करना चाहूँगा।

"सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूँ,
भटक रहा हूँ तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूँ।
छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूँ,
मुझसे मेरा दर्द न पूछो, मैं एक कश्मीरी हूँ।"

यह मैं केवल as a Pandit नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि as a Kashmiri बोल रहा हूँ और कश्मीर में पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, डोगरा भी हैं और सब पीड़ा में हैं। यह पीड़ा सबकी है। Sir, before I go to the Budget, I just want to say that in the last five years and 254 days, either there was Governor's rule or there was President's rule. आप सोचिए कि 6 साल से उस पूरे एरिया में either there was Governor's rule or there was President's rule. वहाँ के बजट पर डिबेट करने के लिए वहाँ कोई legislature नहीं है। जब एक legislative assembly में बजट पेश होता है, तो वहाँ aspirational बातें होती हैं, लोग अपने-अपने points of view रखते हैं, गवर्नमेंट को उससे

बहुत कुछ समझ भी आता है और बहुत सारी schemes भी बन पाती हैं। आज हम देश के हर भाग के लोग यहाँ इस बजट की डिबेट में participate करेंगे, लेकिन कश्मीर के लोग participate नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य सभा के वे चार मेम्बर्स, जो कश्मीर से यहाँ होते थे, आज वे भी नहीं हैं। आप यह भी सोचिए कि उस प्रदेश की व्यथा क्या है! 1990 से 2017 तक के मेरे पास जो आँकड़े हैं, उनके अनुसार 14,000 civilians की death हो चुकी है, मैं कश्मीरी पंडितों की संख्या अलग से नहीं बता रहा हूँ, 5,000 Military/Army personnel and 22,000 militants मारे गए हैं। ये MHA की figures हैं। आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि by this time कश्मीर और कश्मीरियत की क्या हालत हो गई होगी! I am reminded of a phrase by James Otis during the American Revolution, "Taxation without representation is tyranny." Sir, Kashmir is not just about Article 370; Kashmir is much greater than Article 370.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमारे देश के अंग हैं। जो करोड़ों लोग वहां रहते हैं, उनके कुछ visions हैं, उनकी कुछ aspirations हैं। अगर उनके उन visions और aspirations को बिना सुने हम उनका बजट डिसाइड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां के लोगों के मन में उस वक्त क्या पीड़ा होगी। Before I come to figures, let me tell you that the Budget allocation for higher education has declined by 30 per cent; Budget for cultural heritage has declined; Budget for power development has declined; Budget for public health engineering has declined. All this is happening because priority के लिए जो एक discussion होना चाहिए, जो meeting of minds होना चाहिए, वह possible नहीं है, क्योंकि वहां पर Assembly नहीं है, इसलिए वहां उनके नुमाइंदे नहीं हैं।

Before I take you to some other subjects, बजट के जो प्रावधान होते हैं, अगर आप उनको as an arithmetical figure देखते हैं, you just read those figures and pass the Budget. But if Budget was just arithmetic, then what happens to the people? आज जब यह बजट पास हो जाएगा और लोक सभा को चला जाएगा, उसके बाद वहां क्या होगा? मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, हम लोग कुछ दिन पहले, as a parliamentary delegation, श्रीनगर में थे। हमारे साथ वंदना जी भी थीं, तिरुची जी भी थे, नागर साहब भी थे, बाजवा जी भी थे। हम लोग जब Dal Lake पर गए और वहां की हालत देखी, तो हमें रोना आ गया। वहां पूरे weeds भरे हुए थे और दो या तीन मशीनें चल रही थीं। अगर Dal Lake से कश्मीर की सुन्दरता नापी जाती थी, तो where is the Dal Lake? Where is that river? आज पांच-सात साल हो गए, वहां पर आपने दो मशीनें लगा दीं और आप बहुत खुश हैं कि वहां बहुत काम हो रहा है। Foreign investment के बारे में वहां क्या हो रहा है? जब कश्मीरी पंडितों को ही वहां वापस जाने की security नहीं है, तो वहां कौन foreigner आएगा? आज से दो साल पहले, जब Reorganisation Act पास हुआ था और Constitution Amendment आया था, उस दिन भी मैंने बोला था कि क्या इससे कश्मीरी पंडित अपने कश्मीर में वापस चले जाएंगे? आप बता दीजिए। मैंने तो होम मिनिस्टर साहब से उस दिन यह भी बोला था कि

अगर कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे, तो मैं आपको Central Hall में चाय पिलाऊँगा, लेकिन वह मौका मुझे आज तक नहीं मिला। वहां पर कौन जाएगा?

मैं आपको बता सकता हूं कि अगर कभी भी वहां पर foreign direct investment होगा, तो सबसे पहले Kashmiries expatriate करेंगे। आप कश्मीरी पंडितों से बात कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि how much they want to invest in Kashmir. But in order to get investment in Kashmir, you have to first create a climate for them. If there is no climate for them, who is going to invest? आप वहां के शिकारे वालों से पूछिए कि उनकी हालत क्या है? आप वहां के boatmen से पूछिए कि उनकी हालत क्या है? वहां पर जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, जो सामान ढोते हैं, उनसे पूछिए कि उनकी हालत क्या है? Does this Budget reflect this pain and agony? उनके लिए इस बजट में क्या Heads हैं? वहां पर कैसे changes आएंगे?

मुझे एक आश्चर्य यह भी है, उदाहरण के लिए bandwidth है, जब आप वहां internet bandwidth increase करेंगे, तभी तो वहां का जो youth है, वहां की जो women हैं, वहां के जो businessmen हैं, उनकी कुछ economic activity अच्छी होगी। आपने बड़ी मुश्किल से वहां पर 2G से 4G किया और 4G भी limited areas में किया। You see the sufferings of the people there. What I am trying to say is, placing a Governor as Chief Executive under President's rule is a political answer. What you need is an economic answer. जब तक वहां की economy revive नहीं होगी, आप वहां क्या कर सकते हैं?

सर, वहां का apple trade नीचे आ गया है, क्यों नीचे आ गया है - Apple trade इसलिए नीचे आ गया है, क्योंकि neighbouring countries का Apple इंडिया में flood हो चुका है। जिस Kashmiri apple का रेट 1,500 रुपये था, वह 700 रुपये पर आ गया है। जो चाइना और आस-पास के एरिया से apple आता था, वह इंडिया में flood हो चुका है और कश्मीर के apple के rates गिर चुके हैं। वहां की saffron industry का क्या हुआ, आप production देख लीजिए, मेरे पास figures हैं। Kashmir has the best artisans. जो Kashmiri carpets हैं, Pashmina shawls हैं, आप इन चीजों के बारे में ladies से पूछिये। ये सब पूरे इंडिया में बहुत popular थे। Gradually that is becoming a dying art, a dying skill. आज उन artisans के बच्चे do not want to do what their fathers were doing because there is no incentive and there is no market. कश्मीर की जो हालत है, उससे इतनी despondency है, इतना despair है कि that it is like a dying world. आप mountaineering के लिए सोच सकते थे। I don't think there is any head for mountaineering in the sports. Football is something which Kashmiris are passionate about. I can keep on adding. What I am trying to say is that वहां अपार संभावनाएं हैं, मगर हम उन संभावनाओं को तभी tap कर पायेंगे, जब Legislative Assembly में उस पर debate होती, जब ये सब बातें वहां के local लोग अपनी गवर्नमेंट के सामने रखते। Problem is not that.

सर, सरकार में दो चीजें होती हैं। You can have a Government. You can have a *sarkar* and you can have a *shasan*. कश्मीर में शासन है, सरकार नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक होती है,

शासन Governor's Rule होता है where the Chief Executive is appointed by the President. अब आप उन शासकों से क्या expect करते हैं? आज यहां प्रहलाद जी नहीं बैठे हैं। कश्मीर का bat, Kashmir willow कितना famous cricketing bat का brand होता था, लेकिन आज कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। Who is talking of that bat? आप imagine नहीं कर सकते कि वहां के लोगों की क्या हालत है। वहां economic activity खत्म हो चुकी है। It is paralyzed. The Budget is just some figures that have been given. हमने इस head में इतना दे दिया है और उस head पर इतना दे दिया, परंतु उस head पर देने के बाद वहां क्या होने वाला है? I will give you some more examples.

कोविड आया, हज़ारों Kashmiri students पूरे इंडिया में फंसे थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था कि वे लोग वापस कैसे जाएंगे? हम लोगों ने Chinar Foundation set up किया, उसमें जस्टिस काटजू और हमारे जैसे 25-50 लोग थे, हम लोगों ने कम से कम 50-60 हज़ार कश्मीरियों के वापस जाने की व्यवस्था की। मैं संजय सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, मैं आम आदमी सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं गहलोत साहब को, जिन्होंने हमारे कहने से ट्रेनें चलाईं। मैं महाराष्ट्र सरकार और ठाकरे जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे कहने से ट्रेनें चलाईं। मैं कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पंजाब से तमाम लोगों के जाने की व्यवस्था की। सब लोग व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन वहां का प्रशासन हम लोगों को पास तक नहीं दे रहा था। Ultimately, एक हज़ार बच्चे मध्य प्रदेश में फंसे थे, आप दिग्विजय सिंह जी से पूछिये, पांच सौ बच्चे भोपाल में फंसे थे। लड़कियां मुझे फोन करके बोल रही थीं कि सर, अगर हमें वापस नहीं भेजेंगे तो हम suicide कर लेंगे। But I must thank Shivraj *ji,* हम लोगों के कहने से उन्होंने बसों की व्यवस्था कीं, Kashmir administration कह रहा था कि अपने लोगों को वापस लाने का हमारे पास कोई head नहीं है। ऐसे administration को लेकर अगर आप राज करना चाहते हैं, तो वह शासन हो सकता है, सरकार नहीं हो सकती।

आप यह मानकर चलिये कि राष्ट्रवाद बहुत अच्छी बात है, परंतु राष्ट्रवाद मानवता के बिना is no *rashtravad,* अन्यथा वह राष्ट्रवाद नाज़ी का है, वह राष्ट्रवाद जापान का है। हमें राष्ट्रवाद चाहिए, लेकिन मानवता के साथ चाहिए। हमें वह राष्ट्रवाद चाहिए, जिसमें हम सबके उत्थान के लिए काम कर सकें।

मुझे अफसोस है कि इतना सब बोलने के बाद भी जब second wave आयी, तो मैंने खुद Chief Secretary से बात की, मैंने उन लोगों को बोला कि हम Rotary International के माध्यम से आपको concentrators देना चाहते हैं, जिससे किसी की मौत न हो, तो पहला जवाब यह आया कि आपको देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत concentrators हैं। एक Parliamentary Delegation गया। हमारे साथ वंदना जी भी थीं। हम लोगों ने रोटरी के माध्यम से सौ-डेढ़ सौ concentrators कश्मीर में दिये, जम्मू में दिये, लद्दाख में दिये। उसके बावजूद वे बाद में हमें बोलते हैं कि तन्खा साहब, और भिजवा दीजिए, अभी ये बहुत कम पड़ रहे हैं। मतलब, वहाँ कोई यह भी सुनने वाला या देखने वाला नहीं था कि oxygen concentrators हर ब्लॉक में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं।

What I am trying to say is that there is a complete administrative paralysis. अब ऐसे administrative paralysis के बीच में you have a Budget prepared. मैं निर्मला जी को बहुत respect देता हूँ। निर्मला जी को कश्मीर की वास्तविकता की पूरी जानकारी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वे तो Finance Minister of India हैं। वहाँ से जो input आयेगा, उसके basis पर यह बजट बनता है। उनको यह जो input आया है, अगर यह ऐसे लोगों की ओर से आया है, जो कश्मीर की aspirations से इतनी दूर हैं, तो आप सोचिए कि इस बजट का क्या है! मुझे तो really यह अफसोस है कि कश्मीर की जो गत बना दी गयी है, अगर हम कश्मीर को उस गत से जल्दी बाहर नहीं लायेंगे, तो पता नहीं आगे कश्मीर की क्या हालत होगी, यह आप सोचिए। मेरे पास आज किसी का फोन आया, एक बहुत बड़े स्वामी जी का फोन आया। वे क्या कहते हैं - अपने यहाँ एक रूट है, जो कश्मीर से PoK में जाता है, जहाँ शारदा पीठ का मन्दिर है। ऐसा mythology में है और सच्चाई भी है कि वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी और उस वक्त के जो बड़े लोग थे, उन्होंने पूजन किया, वहाँ पर उन लोगों ने ध्यान किया। वहाँ की जो मूर्ति है, वह श्रृंगेरी में उस वक्त रखी गयी थी, जब 1947 में पाकिस्तान अन्दर घुस रहा था। तो उस मूर्ति को बचा कर श्रृंगेरी में रखा गया था। हम तो चाहते हैं कि आप वह pilgrimage start कराइए, जिससे कि हम लोग वहाँ जा सकें। आपने करतारपुर में किया, कई जगहों पर किया। सरकार बजट के साथ-साथ इन बातों के बारे में भी सोचे कि can we have a corridor to go there? इसी तरह मैं तो कहूँगा कि अगर सम्भव हो, Madam Finance Minister, take a delegation there, talk to the artisans and talk to these people, who will really feel nice. But don't go with your officers. When you go as an individual, they talk to you and they will open their hearts to you. But when you go with officers, they will make sure that only those people speak to you who are good for them. This is how the world works. It is not just Kashmir; it will be so in any State. So, what I am trying to say is, well, you have made a Budget. In Rajya Sabha, we have a very limited role, just to point out what the shortcomings of that Budget are. But the problem and the larger issue is: Is this Budget meeting the aspirations of the people? If it is not meeting the aspirations of the people, isn't it time for us to restore democracy in Kashmir? Isn't it time that 5 years and 49 days, which we have spent under President's Rule and Governor's Rule, come to an end? Isn't it time when four Members from Jammu and Kashmir come to Rajya Sabha, and sit and talk about Kashmir? So, my entire submission is, sitting here, you are doing your best. I know it is a constitutional position. In the case of President's rule, when the State Assembly is not there, as a Finance Minister, you have to place your Budget proposals before the Lok Sabha and the Rajya Sabha. But, at the end of the day, if we just keep endorsing it mechanically, are we doing justice to the people of Kashmir?

My last point is this. I am a Kashmiri Pandit. There is a huge issue of Kashmiri Pandits. मैं एक Private Members Bill ला रहा हूँ, which is notified for 1st of April. I have

named the Bill as Kashmiri Pandit (Rescue, Restitution, Resettlement and Rehabilitation) Bill, 2022. With folded hands, I would appeal to the entire House to please support that Bill on that day. Even in 32 years, if we can do justice to a community, which, otherwise, is an educated community, which, otherwise, has never demanded. हमने streets में झगड़ा नहीं किया, हमने पत्थर नहीं फेंके, हमने ट्रेन नहीं रोकी, हमने बिल्डिंग नहीं जलायी, क्योंकि हम लोग पढ़े-लिखे थे, हम लोग सभ्य थे और हमारी संख्या कम थी। हम अपने कामों में लग गये, मगर दिल में तो तमन्ना है कि once we should go back to Kashmir. सबके दिल में यह तमन्ना है। This is a time when we should all join hands to ensure that justice is done to Kashmiri Pandits. Thank you. *Jai Hind*!

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने हेतु समय दिया, इसके लिए मेरी पार्टी को भी धन्यवाद। मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदान की अनुपूरक मांगों एवं संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के बजट, 2022-23 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, श्री विवेक के. तन्खा जी ने तथ्यात्मक तो कम, किन्तु भावनात्मक बातें रखने की कोशिश की है। मैं कुछ भावनात्मक बात, तथ्यों के बाद रखूंगा। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करता हूं, जो कि मेरे नेतृत्व को समर्पित है :

"विकास पथ पर अनवरत चलता रहूंगा,
विरोधियों को सबक सिखाता रहूंगा,
कुचलकर नफरत के कांटों को,
विश्वास के फूल उगाता रहूंगा।"

महोदय, कश्मीर में विश्वास की जरूरत है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं तथा विश्वास जगाया जा रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, कश्मीर की बात हो और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात न हो, यह नामुमकिन है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उन्होंने 'एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे' का नारा दिया। 26 जून, 1952 को उन्होंने देश की संसद में धारा-370 की खिलाफत की थी। इसके तहत उन्होंने कश्मीर में जाकर इस धारा को तोड़ने का प्रयास किया और वहां उनकी हत्या हो गई, लेकिन उनके सपनों की हत्या नहीं हो सकती थी। जब तक उनको मानने वाला एक भी बाशिंदा जिन्दा है, उनके सपनों की हत्या नहीं हो सकती थी, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिनकी अभी-अभी रेटिंग आई है, उन माननीय नरेन्द्र मोदी जी के शासन में देश के गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त, 2019 को सबसे पहले इसी सदन में धारा-370 और अनुच्छेद 35(ए) को निरस्त करने का एलान किया था

और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की इस अवधारणा कि एक राष्ट्र में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहेगा को पूरा किया, तभी इस देश का कानून कश्मीर पर भी लागू हो पाया।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या)** *पीठासीन हुए*]

देश में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत प्रदत्त सभी केन्द्रीय कानून प्रभावी ढंग से लागू किए गए। कश्मीर की प्रगति में बाधक जितने भी impediments थे, बाधाएं थीं, उनको दूर करने का काम किया गया। आज कश्मीर में 890 सेन्ट्रल कानून लागू हैं, जो पहले लागू नहीं होते थे। आप लोगों के 65-70 साल के राज में क्या हुआ? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, 870 केन्द्रीय कानून कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे। 5 अगस्त, 2019 के reorganization के बाद अब कश्मीर में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ है। देश के गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backwards इन सबको अब वहां आरक्षण भी मिलने लगा है। जम्मू और कश्मीर में प्रदेश के 250 ऐसे शासकीय कानून थे, जिनको repeal कर हटाया गया, जो कि फालतू थे और 130 कानूनों में सुधार किया गया। जम्मू और कश्मीर के financial reforms के माध्यम से 2019 के बाद 21,943 projects पूरे हुए, जबकि 2018-19 तक 9,000 projects पूरे हुए थे। इस प्रकार शासन के द्वारा कानूनों के माध्यम से और financial reforms के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की प्रगति में व्यवस्थाएं की गईं। कश्मीर में व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है।

अभी तन्खा जी कश्मीर में लोकतंत्र की बात कर रहे थे। देश में 73वाँ, 74वाँ संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन आप लोग कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं करा पाए। कश्मीर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुए और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का काम किया तथा जिले के स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की। यह इस सरकार में 2019 के बाद से हुआ। 27 तरह के काम PRIs को दिए गए, 7 functions और उनके डिपार्टमेंट्स अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिए गए, जो वहाँ पहले नहीं दिए जाते थे, क्योंकि पहले केन्द्र से जो पैसा जाता था, वह भेदभाव, भ्रष्टाचार और कुछ घराने की चमक बढ़ाने में लग जाता था, नीचे तक विकास नहीं पहुँचता था। आप जिस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, 65-70 सालों तक आपने कश्मीर में किस प्रकार की व्यवस्थाएँ लागू कराई थीं, क्या हुआ था - मैं उस पर भी आऊँगा, भावनात्मक मुद्दों पर भी आऊँगा और कश्मीरी पंडितों की हालात पर भी आऊँगा।

महोदय, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मूल मंत्र, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के तहत जम्मू-कश्मीर में त्वरित समावेशी विकास, investment, industrial development, infrastructure development, employment, महिला सशक्तिकरण, युवा पहल और सामाजिक समावेश पर ध्यान दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के लिए 1,42,150 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। यह कश्मीर के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता

प्रदर्शित करता है। यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि फिर से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट कश्मीर के विकास के लिए लगाया जाएगा। खाली बातें करने से कश्मीर का विकास नहीं होगा। अगर बजटीय प्रावधान नहीं होंगे, तो कश्मीर का विकास खाली भावनाओं की बातों से नहीं होगा। बजटीय प्रावधान करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बजट के प्रावधानों को देखने तथा capital expenditure और capital income, revenue expenditure और revenue income के समावेश को देखते हुए यह पता चलता है कि इसका 37 परसेंट विकास की योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।

महोदय, अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर आता हूँ। 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में दो एम्स, सात मेडिकल कॉलेज, दो कैंसर संस्थान, 15 नर्सिंग कॉलेज, 600 एमबीबीएस की सीट्स, 140 DNB की सीट्स और डीआरडीओ द्वारा 500 बेड्स के दो अस्पताल स्थापित किए गए हैं, यह संवेदनशीलता दर्शाता है। मैं चिकित्सा क्षेत्र से आता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। कश्मीर में कोविड काल में भी शत-प्रतिशत vaccination हुआ। यह कारवां यहीं नहीं रुकता, बल्कि 'आयुष्मान भारत' के तहत जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को शत-प्रतिशत accident cover दिया गया है, शत-प्रतिशत नागरिकों को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। जम्मू-कश्मीर में संवेदलशीलता के साथ वहाँ की व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है और इसके अनुसार ही बजटीय प्रावधान हुए हैं।

महोदय, जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण अंचल और स्वास्थ्य, दोनों को मिला कर, इनके लिए कुल 4,627 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष से 327 करोड़ रुपए अधिक हैं। जम्मू-कश्मीर में जल शक्ति के बजट में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी 282 प्रतिशत अधिक का allocation हुआ है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी चार हज़ार प्रतिशत से भी अधिक एलोकेशन हुआ है, irrigation में 60.91 परसेंट अधिक एलोकेशन हुआ है, इंडस्ट्री में 33 परसेंट से अधिक का एलोकेशन हुआ है, टूरिज़्म में 33 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, रूरल डेवलपमेंट में 8 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है - यह सब capital expenditure है, जो asset creation भी करेगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जीएसटी का संग्रह भी बढ़ा है, जिसका मतलब है कि वहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ चल पड़ी हैं और बढ़ी भी हैं। Stamp collection भी 398 करोड़ बढ़ा है, जिसका मतलब है कि लोगों में ज़मीनों की खरीद-फरोख्त और डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकारी कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी के लिए, उन्हें जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों की जानकारी में लाने के लिए 'बैक टू विलेज', 'माई टाउन माई प्राइड' 'शहरी जन अभियान', 'ब्लॉक दिवस', 'आपकी जमीन, आपकी निगरानी' जैसी अनूठी पहलों पर विशेष जोर दिया गया है। वहाँ पेपरलैस, फेसलैस माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 'बैक टू विलेज कार्यक्रम' के अंतर्गत 23,434 युवाओं के लिए 407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 2022-23 के बजट में पर्यटन के लिए 604 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले बजट से 80 करोड़ रुपये अधिक है। वहाँ टूरिज़्म सेक्टर में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज की गई है। सात सालों में पहली बार दिसंबर, 2021 में सबसे ज्यादा, 1.43 लाख टूरिस्ट वहाँ पर आए।

उस समय किसी भी बड़े होटल में जगह नहीं मिल रही थी, 100 परसेंट occupancy देखी गई। चूँकि अब कश्मीर में पत्थरबाजों का राज नहीं चलता, पत्थरबाजों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, पत्थरबाजों पर नकेल कसी जाती है, इसीलिए वहाँ टूरिस्ट्स बढ़ रहे हैं। जहाँ 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के तहत देश में 44 करोड़ खाते खुले और इन खातों में करीब डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जमा हुआ, वहीं कश्मीर में 25 लाख जन-धन के खाते खुले और इन खातों में 1,445 करोड़ रुपये जमा हुए। महोदय, अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले 2019 में जम्मू-कश्मीर में सड़कों की लंबाई 39,345 किलोमीटर थी और अब वह 41,141 किलोमीटर है। इसके साथ ही, पहले 6.54 किलोमीटर रोड macadamization होता था, मतलब 6.5 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी और आज 20.68, यानी करीब-करीब 21 किलोमीटर प्रतिदिन का road macadamization है। यह मोदी सरकार की कार्य-क्षमता है। सड़कों और पुल के लिए 5,217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। Industrial development को promote करने के लिए करीब-करीब 28,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिससे करीब-करीब साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जम्मू-कश्मीर शासन को land allotment के लिए 47,441 करोड़ के proposals मिले। Prime Ministers' Development Package, जिसके अंतर्गत 2019 से पहले 15 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे, वहीं 2021 में 22 होते-होते 25 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं और चार इस financial year के end तक पूरे हो जाएंगे। अतः कश्मीर में industrial मामले में, Prime Ministers' Development Package में दिनोंदिन निरंतर प्रगति देखी जा रही है।

महोदय, भारत के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद पर पुरजोर नियंत्रण किया गया है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित-समर्थित आतंकवादी हिंसा से 1989 से 5 अगस्त, 2019 तक हमारी सेना और पुलिस के 5,886 जवान शहीद हुए थे। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से 2020 में 244 घटनाएं हुई थीं और 2021 में कुल 229 घटनाएं हुई हैं। सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने की घटनाओं में 33 प्रतिशत की गिरावट आई है। आतंकवादी भर्तियों में 32 परसेंट की गिरावट आई है। 2020 में 164 के मुकाबले 2021 में 112 युवा आतंकवादी बनने थे, जिनमें से 72 मार गिराए गए और करीब 22 को जल्द ही गिरफ्तार किया गया। ...(**समय की घंटी**)... इस प्रकार, आतंकवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने का काम आज की व्यवस्था कर रही है। घुसपैठ में 33 प्रतिशत की कमी आई। 2021 में 34 घुसपैठें हुई थीं, 2020 में यह आँकड़ा 51 था। जब से वहाँ धारा 370 हटी है, तब से ceasefire violations में 90 परसेंट की कमी आई है। मैं देश के गृह मंत्री को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मुस्तैदी से आतंकवाद के खिलाफ व्यवस्थाएँ दीं, योजनाएँ बनाईं और घाटी में अमन-चैन की तरफ अग्रसरित हुए।

'जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का,
फिर देखना फिज़ूल है कद आसमान का।'

यह ऊँची उड़ान क्या है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Dr. Jain*ji*, your time is over. You can conclude.

DR. ANIL JAIN (Uttar Pradesh): How can my time be over?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Fifteen minutes' time is allotted by your party, that is over.

DR. ANIL JAIN: Sir, I will take two minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Okay.

डा. अनिल जैन : मेरा कहना है कि जब से कश्मीर बना है, तब से Instrument of Accession को तोड़ा गया। आप देखिए कि कश्मीर के साथ कैसी विडम्बना रही। जब 26 अक्टूबर को accession हुआ, उसकी भावनाओं को तोड़ा गया, तब दोस्ती को देश हित पर परवाह दी गई और इसी के कारण शेख अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति को वहाँ बिठाया गया। उसी के कारण वहाँ धारा 370 लगाई गई। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी की मर्ज़ी के बगैर, प्रेशर से वहाँ 35-ए को लागू कराया गया और उसका परिणाम देश ने भुगता। तब से लेकर आज तक देश उसका परिणाम भुगतता जा रहा है। कश्मीर में कश्मीरी हिन्दुओं और कश्मीरी पंडितों के साथ क्या-क्या अत्याचार हुए, उसे 'The Kashmir Files' फिल्म में दिखाया गया है। 'The Kashmir Files' के बारे में लोग तरह-तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। अगर सच दिखाना पाप है, सच बताना पाप है, सच को प्रदर्शित करना पाप है, तो यह पाप निरंतर करते रहना चाहिए। आप लोग 'The Kashmir Files' का विरोध करते हैं! कहाँ गए वे अभिव्यक्ति की आज़ादी के पुरोधा, जो मोमबत्ती लेकर चलते थे और अभिव्यक्ति के नाम पर देश में तमाम तरह के बवंडर खड़े करते थे? वे आज इस 'The Kashmir Files' फिल्म का विरोध करते नजर आते हैं। वे तमाम लोग हमारे सदन में रहे हैं और आज भी हैं, वे फिल्म जगत से भी आते हैं। उनको कम से कम उस फिल्म को देखकर उस पर कुछ तो कमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि वह क्या है! लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात को जो left liberals के चश्मे से तुष्टिकरण का काला चश्मा पहनकर देखेंगे, उनको वह नहीं दिखेगी। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, तन्खा जी इस बात को जानते हैं। तन्खा जी के परिवार में इनके रिश्तेदारों ने भी इस विभीषिका को झेला है। 'The Kashmir Files' में जितना दिखाया गया है, वह tip of the iceberg है। उनके साथ इससे भी ज्यादा अत्याचार हुए। तब देश कहाँ खड़ा था? 1987 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार किसने बनवाई थी? कांग्रेसियों ने बनवाई थी। ...(**व्यवधान**)... 1987 की सरकार ...(**व्यवधान**)... फारूक अब्दुल्ला की सरकार में ...(**व्यवधान**)...

SHRI VIVEK K. TANKHA: Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...*

डा. अनिल जैन : 19 जनवरी, 1990 को जब यह नरसंहार हुआ ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Anil Jain*ji*, he has a point of order. *...(Interruptions)...* Tankha*ji* is raising a point of order. *...(Interruptions)...* Please, *...(Interruptions)...*

श्री विवेक के. तन्खा : देखिए, आपने हमारी पीड़ा समझी, उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपने यह बात 32 साल बाद समझी । अगर यह चीज़ आप 1990 में बोलते, तब मैं आपको धन्यवाद देता। ...(**व्यवधान**)... 32 साल बाद! ...(**व्यवधान**)...

डा. अनिल जैन : सर, यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ...(**व्यवधान**)... हमें जब सरकार में मौका दिया, हमने किया, लेकिन आपने तब भी नहीं किया। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया? ...(**व्यवधान**)... उससे पहले भी नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या) : अनिल जैन जी, आपका टाइम खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)... अब आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**समय की घंटी**)...

डा. अनिल जैन : राजीव गाँधी जी ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बचाने का काम किया। ...(**व्यवधान**).. 19 जनवरी को नरसंहार हुआ, 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने 18 जनवरी को इस्तीफा दिया। ...(**व्यवधान**)... उनको पता था कि नरसंहार होने वाला है, इसलिए एक दिन पहले इस्तीफा दिया। ...(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या) : प्लीज़, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

डा. अनिल जैन : महोदय, कश्मीर में आज विभेदकारी नीति नहीं चल रही है। कश्मीर में 11 हज़ार से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई हैं, 20 हज़ार से ज्यादा पद चिन्हित किए गए हैं और 2 लाख लोगों को self-help के माध्यम से promote किया जा रहा है। कश्मीर में ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। पहले अपने लोगों को नौकरियां बांट दी जाती थीं, पैसे बचा लेते थे और कुछ भ्रष्टाचारियों के घर भर जाते थे, क्योंकि देश हित से ऊपर दोस्ती को रखा गया था, देश हित को नीचे रखा गया था। इस कारण से यह सब होता था। इसलिए मैं नम्रता के साथ कहता हूं कि आप लोग अपने गिरेबान में झांकें, खासकर कांग्रेस के लोग झांकें कि कश्मीर में उनकी किस प्रकार की करतूत रही है और क्यों कश्मीर इस स्थिति में आया! आज हम उस स्थिति को सुधार रहे हैं, जिसके लिए आपको नरेन्द्र मोदी जी और

अमित शाह जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए, जो कश्मीर को बनाने और संवारने का काम कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Anil*ji*; I will call the next speaker.

डा. अनिल जैन : मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री मो. नदीमुल हक (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौज़ू पर बोलने का मौका दिया।

'एक-दो ज़ख़्म नहीं, सारा बदन है छलनी।
दर्द बेचारा परेशाँ है कहां से उठे।।'

सर, सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस किस्म का बजट है, यह कैसा बजट है! सर, जम्मू-कश्मीर का बजट वहां की रियासती असेम्बली में न होकर लगातार चौथी बार पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। चार बार ऐसा हुआ है कि यह बजट यहां पार्लियामेंट में पेश किया गया है। सर, क्या यह बेहतर नहीं होता कि दस्तूर-ए-हिन्द और हमारे federal system के मुताबिक यह बजट वहां की असेम्बली में पेश होता! कोई भी बजट सिर्फ एक Statement of Accounts नहीं होता, यह हमारे तन्खा जी कह रहे थे, बजट सिर्फ खातों को बराबर कर देना नहीं होता है, जहां सिर्फ आमदनी और खर्चे को दर्ज किया हो, बल्कि हर बजट मक़ामी अवाम की उम्मीदें, आशाएं और रहबरी की अक्कासी, वहां के चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए करता है।

सर, बहुत सारे अहम मसायल, जैसे जम्मू-कश्मीर पर Union Territory बना दी गई है, वहां सदर राज लगा दिया गया है। इस कदम के नतीजे में ख़ित्ते की तनज़्ज़ुली हुई है और रियासत का दर्जा दोबारा बहाल नहीं किया गया है। ऐसी situation में इस बजट पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। बजट में कुछ खामियां नज़र आती हैं, मैं उनको आपके सामने दर्ज करता हूं। जहां revenue expenditure के लिए 71,615 करोड़ रुपये रखे गए हैं, वहीं capital expenditure पर 41,335 करोड़ रुपये का सुझाव है। यानी revenue expenditure 67 per cent और capital expenditure 33 per cent है। बजट का 2/3rd day-to-day खर्चे और ऐसे अन्य खर्चों में जा रहा है, जबकि बजट का सिर्फ 1/3rd ही infrastructure के लिए रखा गया है। जम्मू-कश्मीर जैसे इलाके के लिए, जहां social sector spending को बढ़ाने की ज़रूरत है, यह रकम बिल्कुल नाकाफ़ी है और ख़ित्ते की तरक्क़ी के कामों पर इसका मनफ़ी असर पड़ेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि बजट का 80 फ़ीसद हिस्सा, यानी 90,555 करोड़ रुपये Police or Home Department के लिए

proposed हैं, तो इसका मतलब क्या है - J & K एक Police State में तब्दील हो गया है, इसका मतलब यह है कि जम्मू-कश्मीर में हालात मामूल से बहुत दूर हैं।...(**व्यवधान**)...

†**جناب ندیم الحق (مغربی بنگال):** مہودے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔

''ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی
درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔''

سر، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا بجٹ ہے، یہ کیسا بجٹ ہے! سر، جموں وکشمیر کا بجٹ وہاں کی ریاستی اسمبلی میں نہ ہوکر لگاتار چوتھی بار پارلیمنٹ میں پیش کیا جارہا ہے۔ چار بار ایسا ہوا ہے کہ یہ بجٹ یہاں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ سر، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ دستورِہند اور ہمارا فیڈرل سسٹم کے مطابق یہ بجٹ وہاں کی اسمبلی میں پیش ہوتا۔ کوئی بھی بجٹ صرف ایک اسٹیٹمینٹ آف اکاؤنٹس نہیں ہوتا، یہ ہمارے تنخاجی کہہ رہے تھے، بجٹ صرف کھاتوں کو برابر کردینا نہیں ہوتا ہے، جہاں صرف آمدنی اور خرچے کو درج کیا ہو، بلکہ ہر بجٹ مقامی عوام کی امیدیں، آشائیں اور رہبری کی عکاسی، وہاں کے چُنے ہوئے نمائندوں کے ذریعہ کرتا ہے۔

سر، بہت سارے اہم مسائل، جیسے جموں وکشمیر پر Union Territory بنادی گئی ہے، وہاں صدر راج لگادیا گیا ہے۔ اس قدم کے نتیجے میں خطّے کی تنزّلی ہوئی ہے اور ریاست کا درجہ دوبارہ بحال نہیں کیا گیا ہے۔ ایسی سچوایشن میں اس بجٹ پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ بجٹ میں کچھ خامیاں نظر آتی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے درج کرتا ہوں۔ جہاں capital expenditure کے لیے 41,335 کروڑ روپے کا سجھاؤ ہے۔ یعنی revenue expenditure 67 per cent اور capital expenditure 33 per cent ہے۔ بجٹ کا 2/3rd day-to-day خرچے اور ایسے دوسرے خرچوں میں جارہا ہے، جب کہ بجٹ کا صرف 1/3rd ہی infrastructure کے رکھا گیا ہے۔ جموں وکشمیر جیسے علاقے کے لیے، جہاں social sector spending کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ رقم بلکل ناکافی ہے اور خطّے کی ترقی کے کاموں پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیئے کہ بجٹ کا اسّی فیصد حصہ، یعنی 90,555 کروڑ روپے Police or Home Department کے لیے proposed ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، جے اینڈ کے ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہوگیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جموں وکشمیر میں حالات معمول سے بہت دور ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश) : सर, ये गलत बोल रहे हैं।

श्री मो. नदीमुल हक : सरकार अब भी militancy से जूझ रही है। हमारे Home Minister अमित शाह जी ने जम्मू-कश्मीर के ताल्लुक से बड़े-बड़े वायदे किए थे ...(**व्यवधान**)...

†**جناب ندیم الحق :** سرکار اب بھی ملیٹینسی سے جوجھ رہی ہے۔ ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ جی نے جموں وکشمیر کے تعلق سے بڑے بڑے وعدے کئے تھے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

† Transliteration in Urdu script.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Neeraj*ji*, please be seated, please be seated; allow him to speak. ...*(Interruptions)*....

श्री मो. नदीमुल हक : आपकी हुकूमत कहां है? ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق**: آپ کی حکومت کہاں ہے؟ --(مداخلت)----

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Neeraj*ji*, please be seated. ...*(Interruptions)*.... You can express your opinion later. ...*(Interruptions)*.... You can express your opinion later.

श्री मो. नदीमुल हक : डेवलपमेंट कहां है? रास्ते कहां हैं,...(**व्यवधान**)... अब तक infrastructure पर क्या काम हुआ है?...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق**: ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ راستےکہاں ہیں،--(مداخلت)-- اب تک انفراسٹرکچر پر کیا کام ہوا ہے؟--(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या) : प्लीज़, ...(**व्यवधान**)...

श्री मो. नदीमुल हक : सर, डेवलपमेंट कैसे होगा? वहां पर जितने भी सेक्रेटरीज़ और कमिश्नर्स appoint किए गए हैं, जिनकी बहाली हुई है, वे सभी जम्मू-कश्मीर के बाहर हैं। वे वहां की geography और history से वाकिफ नहीं हैं। अभी उनको पूरे इलाके को समझने में कई साल लगेंगे, तब जाकर वहां पर डेवलपमेंट के काम होंगे। जहां तक सेंट्रल प्रोजेक्ट्स की बात कही गई है, तो वहां भी हुकूमत के लोगों के अलावा किसी और को काम नहीं मिलता है। वहां के लोकल लोग इन कामों से महरूम हैं। सर, अमित शाह जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वहां दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है।...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق**: سر، ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ وہاں پر جتنے بھی سکریٹریز اور کمشنر اپوئنٹ کئے گئے ہیں، جن کی بحالی ہوئی ہے، وہ سبھی جموں وکشمیر کے باہر ہیں۔ وہ وہاں کے جغرافیہ اور ہسٹری سے واقف نہیں ہیں۔ ابھی ان کو پورے علاقے کو سمجھنے میں کئی سال لگیں گے، تب جاکر وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ہونگے۔ جہاں تک سینٹرل پرجیکٹس کی بات کہی گئی ہے، تو وہاں بھی حکومت کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کو کام نہیں ملتا ہے۔ وہاں کے لوکل لوگ ان کاموں سے محروم ہیں۔ سر، امِت شاہ جی کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہاں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی ہورہی ہے---(مداخلت)---

† Transliteration in Urdu script.

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या) : प्लीज़, ...(**व्यवधान**)...

श्री मो. नदीमुल हक : सर, फैक्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، فیکٹس کے مطابق ایسا نہیں ہے---(مداخلت)---

THE VICE CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You continue, please. प्लीज़,...(**व्यवधान**)... सुनिए, सुनिए।...(**व्यवधान**)...Please listen to him. ...*(Interruptions)*....

श्री मो. नदीमुल हक : हम बताते हैं...(**व्यवधान**)... इसी पार्लियामेंट में सारे उसूलों को ताक पर रखकर कानून लाया गया, जिसके नतीजे में आज कश्मीर की यह हालत-ए-ज़ार है। उस कानून को लाने की क्या जल्दी थी! उस समय हम सब इस हाउस में थे। उस कानून को बहुत जल्दी लाया गया और बहुत जल्दी पास किया गया।...(**व्यवधान**)... ऐसी क्या जल्दी थी? ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** ہم بتاتے ہیں---(مداخلت)--- اسی پارلیمنٹ میں سارے اصولوں کو طاق پر رکھ کر قانون لایا گیا، جس کے نتیجے میں آج کشمیر کی یہ حالت زار ہے۔ اس قانون کو لانے کی کیا جلدی تھی۔ اس وقت ہم سب اس ہاؤس میں تھے۔ اس قانون کو بہت جلدی لایا گیا اور بہت جلدی پاس کیا گیا ---(مداخلت)--- ایسی کیا جلدی تھی؟---(مداخلت)---

THE VICE CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Silence, please. ...*(Interruptions)*... Silence. ...*(Interruptions)*...

श्री मो. नदीमुल हक : उपसभाध्यक्ष महोदय,

''बस इक झिझक है यही हाल-ए-दिल सुनाने में
कि तेरा ज़िक्र भी आएगा इस फ़साने में।''

सर, अगर पहले नज़र दौड़ाएं, तो demonetization के वक्त यह कहा गया था कि इसके अमल से जाली नोटों का धंधा बंद हो जाएगा और आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त ने यह साबित कर दिया कि हर बार की तरह यह भी जुमलेबाज़ी का हिस्सा निकला। ...(**व्यवधान**)... मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि सरकार के दावों के बरअक्स जम्मू-कश्मीर अभी नॉर्मल स्थिति से काफी दूर है। वहां अभी नॉर्मल स्थिति आना बाकी है। अभी हमारे colleague पंचायती राज इलेक्शंस के बारे में बोल रहे थे। वहां पर पंचायती राज इलेक्शन किये गये। मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर में भी इलेक्शन कराए गए और वहां जो डी.डी.सी., यानी जिला परिषद् के बराबर और बी.डी.सी., ब्लॉक समिति के मेम्बर चुनकर आए, उनको camps में बंद रखा गया।

† Transliteration in Urdu script.

...(**व्यवधान**)...यह कहा गया कि वहां बाहर निकलने से उनकी जान को खतरा है।...(**व्यवधान**)... सिक्योरिटी के लिए ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** اُپ سبھادھیکش مہودے، ـــ

''بس ایک جھجھک ہے یہی حالِ دل سنانے میں
کہ تیرا ذکر بھی آئے گا اس فسانے میں۔''

سر، اگر پہلے نظر دوڑائیں، تو demonetization کے وقت یہ کہا گیا تھا کہ اس کے عمل سے جعلی نوٹوں کا دھندا بند ہوجائے گا اور آتنک وادی ختم ہوجائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وقت نے یہ ثابت کردیا کہ ہر بار کی طرح یہ بھی جملے بازی کا حصہ نکلا---(مداخلت)--- میں کچھ آنکڑے دینا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے دعووں کے برعکس جموں وکشمیر ابھی نارمل حالات سے کافی دور ہے۔ وہاں ابھی نارمل حالات ہونا باقی ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی پنچایتی راج الیکشنس کے بارے میں بول رہے تھے۔ وہاں پر پنچایتی راج الیکشن کئے گئے۔ میں مانتا ہوں کہ جموں وکشمیر میں بھی الیکشن کرائے گئے اور وہاں جو ڈی ڈی سی یعنی ضلع پریشد کے برابر اور بی ڈی سی بلاک سمیتی کے ممبر چن کر آئے، ان کو کیمپ میں بند رکھا گیا۔ ---(مداخلت)--- سکیورٹی کے لیے---(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (डा. एल. हनुमंतय्या) : प्लीज़, बैठ जाइए।...(**व्यवधान**)... Whenever you speak, you can tell that. ...*(Interruptions)*....Please sit down. ...*(Interruptions)*....Anilji, silence please. ...*(Interruptions)*....Silence, please.

श्री मो. नदीमुल हक : यह कैसी बात है कि वे लोग अपनी ही constituency में नहीं जा सकते?...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** یہ کیسی بات ہے کہ وہ لوگ اپنی ہی constituency میں نہیں جاسکتے؟ ---(مداخلت)---

THE VICE CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Whenever you speak, you can tell that.

श्री मो. नदीमुल हक : प्रपोज़ल भेजेंगे, लेकिन प्रपोज़ल आते-आते साल खत्म हो जाता है।...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** پروپوزل بھیجیں گے، لیکن پروپوزل آتے آتے سال ختم ہوجاتا ہے---(مداخلت)---

THE VICE CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Whenever you speak, you can defend that.

† Transliteration in Urdu script.

श्री मो. नदीमुल हक : सर, हालात ठीक नहीं हैं।...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، حالات ٹھیک نہیں ہیں---(مداخلت)---

THE VICE CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*....Please sit down

श्री नीरज शेखर : *

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): *

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : *

श्री मो. नदीमुल हक : सर, वहां हालात ठीक नहीं हैं।...(**व्यवधान**)... पिछले दो सालों में 104 security personnel हादसों में मारे गए।...(**व्यवधान**)... बॉर्डर पार करने के लिए 176 कोशिशें की गईं।...(**व्यवधान**)... वर्ष 2020 में 62 security personnel मारे गए, जबकि 106 ज़ख्मी हुए। वर्ष 2021 में 42 security personnel मारे गए और 117 ज़ख्मी हुए। ...(**व्यवधान**)... वर्ष 2019 और मार्च, 2021 के दरमियान 59 आम शहरी मारे गए और 168 ज़ख्मी हुए।...(**व्यवधान**)... यहां तक कि 2021 में पंचायत नुमाइंदों समेत 39 शहरी सियासी वर्कर्स मारे गए। इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत बार-बार यह दिखाने की कोशिश में मसरूफ है कि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। सर, हज़ारों लोगों, खासकर नौजवान जिनमें सहाफी और सियासी वर्कर्स थे, उन्हें गिरफ्तार करके, बगैर ट्रायल कैद कर लिया गया।...(**व्यवधान**)...

सर, एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म का नाम है कश्मीर वाला। उसके एक सहाफी फहाद शाह पर दो-दो बार यूएपीए लगाया गया। हालिया दिनों में इन्सानी हुकूक़ के अलम्बरदार खुर्रम परवेज़ की हिरासत को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں---(مداخلت)--- پچھلے دو سالوں میں 104 security personnel حادثوں میں مارے گئے---(مداخلت)--- بارڈر پار کرنے کے لیے 176 کوششیں کی گئیں----(مداخلت)--- سال 2020 میں 62 security personnel مارے گئے، جب کہ 106 زخمی ہوئے۔ سال 2021 میں 42 security personnel مارے گئے اور 117 زخمی ہوئے---(مداخلت)--- سال 2019 اور مارچ 2021 کے درمیان 59 عام شہری مارے گئے اور 168 زخمی ہوئے---(مداخلت)--- یہاں تک کہ 2021 میں پنچایتی نمائندوں سمیت 39 شہری

* Not recorded.

†Transliteration in Urdu script.

سیاسی ورکرس مارے گئے۔ اس کے باوجود مرکزی حکومت بار بار یہ دکھانے کی کوشش میں مصروف ہے کہ جموں وکشمیر میں سب کچھ نارمل ہے، سر، ہزاروں لوگوں، خاص کر نوجوان جن میں صحافی اور سیاسی ورکرس تھے، انہیں گرفتار کرکے، بغیر ٹرائل قید کرلیا گیا۔۔۔(مداخلت)۔۔

سر، ایک نیوز پلیٹ فارم کا نام ہے کشمیروالا، اس کے ایک صحافی فہد شاہ پر دو دو بار یو اے پی اے لگایا گیا۔ حالیہ دنوں میں انسانی حقوق کے علمبردار خُرم پرویز کی حراست کو نظرانداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔۔۔(مداخلت)۔۔

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): You can counter it later, Madam. ...*(Interruptions)*.... You can definitely counter it when your turn comes. Whenever you get an opportunity, please counter it but not now. You can't stop it. Mr. Nadimul, please continue.

श्री मो. नदीमुल हक : यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق**: یہاں تک کہ پریسل کاؤنسل آف انڈیا کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں اور کشمیر میں آزاد میڈیا کا گلہ گھونٹا جارہا ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Let him speak. ...*(Interruptions)*....

श्री मो. नदीमुल हक : *"कोई आसेब है, साया है कि जादूगर है,*
जाने क्या बात है कि हर शख्स के दिल में डर है।"

सर, सरकार का यह फैसला भी बहुत खतरनाक है मिलिटेंसी से लड़ने के लिए सरकार की हिमायत-याफ्ता militias को मैदान में उतारा जाएगा। इस कदम से पूरे जम्मू-कश्मीर की फिरकावाराना हमआहंगी पर असर पड़ेगा। अफसोस की बात है कि बजट में जे. एंड के. की socio-economic हालात को उजागर नहीं किया गया है। बेरोजगारी की यह हालत है कि 22 परसेंट बेरोजगारी है, जबकि मुल्क की नेशनल एवरेज 7 परसेंट है। सीरियस बात तो यह कि हुकूमत-ए-हिंद की Ministry of Statistics and Programe Implementation की रिपोर्ट के मुताबिक जे. एंड के. तालीम-याफ्ता, यानी पढ़े-लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 46.3 फीसद है। ...(**व्यवधान**)... जम्मू एंड कश्मीर में हर दूसरा एजुकेटेड यूथ बेकार है। पिछले तीन वर्षों में सरकारी नौकरियों में सिर्फ 11 हज़ार बहालियाँ हुई हैं। यह बहुत कम है और तीन दशकों में सबसे कम है। इसके साथ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने 5 अगस्त, 2019 के क़ब्ल से ही सारे रिक्रूटमेंट्स बंद कर रखे हैं। इस गलत पॉलिसी की वजह से जे. एंड के. के हज़ारों तालीम-याफ्ता नौजवान रोज़ी-

† Transliteration in Urdu script.

रोटी से महरूम हैं। ...(**व्यवधान**)... पिछले कई सालों में एक भी स्टेट लेवल कम्पिटीटिव एग्ज़ाम का इनिक़ाद नहीं हुआ। अमित शाह जी ने ...(**व्यवधान**)...हमारे होम मिनिस्टर ने बड़े-बड़े वायदे किए हैं कि जे. एंड के. में अब तरक्की के कामों की बौछार आएगी, बड़े सरमायाकार जम्मू एंड कश्मीर में अपनी तिजारत को फरोग़ देंगे, लेकिन हुआ क्या है? तीन सालों में StartUps, manufacturing units और छोटे कारोबारियों ने अपना बिज़नेस बंद कर दिया। मुक़ामी नौजवान अब भुखमरी के कगार पर है, क्योंकि कन्स्ट्रक्शन का सारा काम अब बाहर की बड़ी कंपनियों के पास चला गया है। रेत निकालने का काम जो मुक़ामी नौजवान करते थे, वे भी इसी हालत के शिकार हैं। लिहाज़ा बजट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, जिससे मुक़ामी नौजवान रोजगार से जुड़ सकें। 'सबका साथ, सबका विकास' कितना खोखला है, इससे समझ में आ रहा है। ...(**व्यवधान**)...

"लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।"

सर, मैं क्या बोलूं...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** ''کوئی آسیب ہے، سایہ ہے کہ جادوگر ہے
جانے کیا بات ہے کہ ہر شخص کےدل میں ڈر ہے۔''

سر، سرکار کا یہ فیصلہ بھی بہت خطرناک ہے ملیٹینسی سے لڑنے کے لیے سرکار کی حمایت یافتہ militias کو میدان میں اتارا جائے گا۔ اس قدم سے پورے جموں وکشمیر کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر اثر پڑیگا۔ افسوس کہ بات ہے کہ بجٹ میں جے اینڈ کے کی socio-economic حالات کو اجاگر نہیں کیا گیا ہے۔ بے روزگاری کی یہ حالت ہے کہ بائیس فیصد بے روزگاری ہے، جب کہ ملک کی نیشنل ایوریج سات فیصد ہے۔ سیریس بات تو یہ ہے کہ حکومت ہند کی Ministry of Statistics and Programe Implementation کی رپورٹ کے مطابق جے اینڈ کے تعلیم یافتہ، یعنی پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 46.3 فیصد ہے---(مداخلت)--- جموں وکشمیر میں ہر دوسرا ایجوکیٹڈ یوتھ بیکار ہے۔ پچھلے تین سالوں میں سرکاری نوکریوں میں صرف گیارہ ہزار بحالی ہوئی ہیں۔ یہ بہت کم ہے اور تین دہائیوں میں سب سے کم ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سرکار نے پانچ اگست، 2019 کے قبل سے ہی ریکروٹمنٹ بند کررکھے ہیں۔ اس غلط پالیسی کی وجہ سے جے اینڈ کے کے ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان روزی روٹی سے محروم ہیں----(مداخلت)--- پچھلے کئی سالوں میں ایک بھی اسٹیٹ لیول کمپٹیٹیو اگزام کا انعقاد نہیں ہوا۔ امت شاہ جی نے ---(مداخلت)--- ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے بڑے بڑے وعدے کئے ہیں کہ جے اینڈ کے میں اب ترقی کے کاموں کی بوچھار آئے گی، بڑے سرمایہ کار جموں اینڈ کشمیر میں اپنی تجارت کو فروغ دیں گے، لیکن ہوا کیا ہے؟ تین سالوں میں StartUps, manufacturing units اور چھوٹے کاروباریوں نے اپنا بزنس بند کردیا۔ مقامی نوجوان اب بھکمری کے کگار پر ہیں۔ کیوں کے کنسٹرکشن کا سارا کام اب باہر کی بڑی کمپنیوں کے پاس چلا گیا ہے۔ ریت نکالنے کا کام جو مقامی نوجوان کرتے تھے، وہ بھی اسی حالت کے شکار ہیں۔ لحاظہ بجٹ میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا، جس سےمقامی نوجوان روزگار سے جڑ سکیں۔ سب کا ساتھ ، سب کا وکاس کتنا کھوکھلہ ہے، اس سے سمجھ میں آرہا ہے---(مداخلت)---

† Transliteration in Urdu script.

''لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں
تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں''

سر، میں کیا بولوں ---(مداخلت)---

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Sushmitaji, let him speak. *...(Interruptions)....* Neerajji, you are a senior Member. Please *...(Interruptions)....*

श्री मो. नदीमुल हक : Capital expenditure के तहत relief and rehabilitation में 390 परसेंट इजाफा...(**व्यवधान**)... मामले को और संजीदा बना देता है। वहीं tourism, agriculture और horticulture के शोबों को बजट में तरजीह नहीं दी। Capital expenditure में इन मदों में सिर्फ मामूली इज़ाफा हुआ है। Tourist traffic को देखते हुए tourism infrastructure पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है।

"मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने,
तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं।"

सर, किसी भी सरकार की कामयाबी के ...(**समय की घंटी**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** Capital expenditure کے تحت relief and rehabilitation میں 390 فیصد اضافہ---(مداخلت)--- معاملے کو اور سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ وہیں tourism, agriculture اور horticulture کےشعبوں کو بجٹ میں ترجیح نہیں دی۔ Capital expenditure میں ان مدوں میں صرف معمولی اضافہ ہوا ہے۔ Tourist traffic کو دیکھتے ہوئے tourism infrastructure پر زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔

''میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشہ نہ بنے،
تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سےگلہ کچھ بھی نہیں۔''

سر، کسی بھی سرکار کی کامیابی کے ---(وقت کی گھنٹی)------

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude, Nadimulji.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE : Just two more minutes, Sir. *...(Interruptions)....*

† Transliteration in Urdu script.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please allow him to speak. ...*(Interruptions)*....You can always counter it. ...*(Interruptions)*....

श्री मो. नदीमुल हक : कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज गैस और तेल के दामों में आग लगी हुई है। सर, मिनिस्टर बोलते हैं...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق**: کشمیر سے کنیاکماری تک آج گیس اور تیل کے داموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ سر، منسٹر بولتے ہیں---(مداخلت)---

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): If it is like that, it will not go on record. Why are you shouting? ...*(Interruptions)*....

श्री मो. नदीमुल हक : मिनिस्टर बोलते हैं कि हम लोग फेज़ आउट करेंगे। फेज़ आउट तो होगा, लेकिन किस चीज़ से फेज़ आउट करेंगे? आप एलपीजी से फेज़ आउट करेंगे, तो उसके भी तो दाम बढ़ गए हैं। इसका कौन जवाब देगा?...(**व्यवधान**)... इतिहास ने सिखा दिया है कि Marie Antoinette ने यही कहा था कि रोटी नहीं मिले, तो केक खाओ ...(**व्यवधान**)... तो गैस जलाओ, तो गैस के भी तो आप दाम बढ़ा रहे हैं!

3.00 P.M.

इसका कौन जवाब देगा? ...(**व्यवधान**)... सर, मैं आखिर में अपनी बात को खत्म करते हुए ...(**व्यवधान**)... सर, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो कश्मीर का decoration हो रहा है, इसको बंद किया जाए। यह जो false narrative चलाया जा रहा है, ...(**व्यवधान**)... जो false narrative का मैनेजमेंट किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق**: منسٹر بولتے ہیں کہ ہم لوگ فیز آؤٹ کریں گے۔ فیزآؤٹ تو ہوگا، لیکن کس چیزسے فیز آؤٹ کریں گے؟ آپ ایل پی جی سے فیز آؤٹ کریں، تو اس کے بھی تو دام بڑھ گئے ہیں۔ اس کا کون جواب دیگا؟ ---(مداخلت)--- اتیہاس نے سکھا دیا ہے کہ Marie Antoinette نے یہی کہا تھا کہ روٹی نہیں ملے، تو کیک کھاؤ---(مداخلت)--- تو گیس جلاؤ، تو گیس کے بھی تو آپ دام بڑھا رہے ہیں۔

اس کا کون جواب دے گا؟ ---(مداخلت)--- سر، میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ---(مداخلت)--- سر، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی آل انڈیا ترنمول کانگر کی طرف سے سجھاؤ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا

† Transliteration in Urdu script.

decoration ہورہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ یہ جو false narrative چلایا جارہا ہے، ---(مداخلت)--- جو false narrative کا منیجمنٹ کیا جارہا ہے، اس کو بند کیا جائے---(مداخلت)---

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Kantaji, please sit down. *...(Interruptions)....* You can speak later. *...(Interruptions)....*

श्री मो. नदीमुल हक : सर, हकीकत को कबूल कीजिए। ...(**व्यवधान**).... आप कठिनाई का सामना कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप वहां के लोगों से बात कीजिए, वहां के लोकल लोगों से बात कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق:** سر، حقیقت کو قبول کیجیئے---(مداخلت)--- آپ کٹھنائی کا سامنا کیجیئے---(مداخلت)--- آپ وہاں کے لوگوں سے بات کیجئے، وہاں کے لوکل لوگوں سے بات کیجئے---(مداخلت)---

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

श्री मो. नदीमुल हक : आपने जो वायदे इस हाउस में किए हैं और बाहर किए हैं, उनको पूरा निभाइये और जम्मू और कश्मीर में डेमोक्रेसी को restore कीजिए। सर, मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करता हूं। ...(**व्यवधान**)...सर, फारसी का एक मकूला है। ...(**व्यवधान**)...

"गर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त,
हमीं अस्त ओ, हमीं अस्त ओ, हमीं अस्त ।"

सर, यह कश्मीर के बारे में है। सर, इसके मायने हैं कि अगर ज़मीं पर कहीं जन्नत है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ...(**व्यवधान**) ... मगर सर, आज के दिन इस मकूले में हकीकत कम दिखाई देती है, धन्यवाद।

†**جناب محمد ندیم الحق:** آپ نے جو وعدے اس ہاؤس میں کیے ہیں اور باہر کئے ہیں، ان کو پورا نبھائیے اور جموں اور کشمیر میں ڈیموکریسی کو restore کیجیئے۔ سر، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ---(مداخلت)--- سر، فارسی کا ایک مقولہ ہے ۔

"گر فردوس بر روئے زمیں است
ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔"

† Transliteration in Urdu script.

سر، یہ کشمیر کے بارے میں ہے۔ سر، اس کے معنی ہیں کہ اگر زمیں پر کہیں جنت ہے، تو یہیں ہے یہیں ہے، یہیں ہے---(مداخلت)--- مگر سر، آج کے دن اس مقولے میں حقیقت کم دکھائی دیتی ہے، شکریہ۔

श्री नीरज शेखर : सर, माननीय सदस्य ने जो फिगर्स दी हैं ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Are you on a point of order, Neerajji?

श्री नीरज शेखर : सर, इन्होंने जो फिगर्स दी हैं, उनको authenticate कर दें। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): If you are on a point of order, please tell me under which rule? *...(Interruptions)....* That cannot be allowed. Please sit down. *...(Interruptions)....* I will call the next speaker. Shri Ayodhya Rami Reddy. *...(Interruptions)....* Please sit down. *...(Interruptions)....* Nobody can speak except Shri Ayodhya Rami Reddy. *...(Interruptions)....* Silence please. *...(Interruptions)....* I have called Shri Ayodhya Rami Reddy. Only what he speaks will go on record. *...(Interruptions)....*

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the issue of Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2021. I would like to congratulate the Government for presenting an inclusive Budget for Jammu and Kashmir with total Budget Estimates for 2022-23 being Rs. 1,12,950 crores, of which a significant amount of Rs. 41,335 crores is allocated, especially for developmental projects. It is a very good initiative by the Government and certainly, I want to congratulate for this. The Budget presented by the hon. Finance Minister for the Union Territory focuses on the socio-economic development of the region and the people, encouraging industrial and tourism growth and also improving grass root democracy. I would like to congratulate the Government on these initiatives and also for focussing on putting this sort of investment in the region.

Sir, I would like to share a few of my observations regarding the measures taken by the Centre. One is, Abrogation of Article 370. I would like to again congratulate the Government for bringing about transformative changes in August 2019, due to which Jammu and Kashmir has become the latest success story among other States and Union Territories of our country and it got integrated completely with the rest of the nation. It is

really a wonderful compliment which we must give to this Government. The view of 'One Nation, One Constitution and One Flag' or as suggested by Dr. Shyama Prasad Mukherjee, *'Ek Nishan, Ek Vidhan'* which has been adopted in the Union Territory with 890 Central Laws is now applicable after the revocation of Article 370.

Sir, I am sure that this would further ensure holistic development of the region in terms of strengthening bilateral supports among all the States and strengthening the infrastructure, investment and also tourism which eventually enhances employment.

As the Centre is augmenting the Central assistance to assist J&K's expenses, Sir, we have one small request for Andhra Pradesh also. We want Andhra to be supported on similar lines because you know after the State got divided, we are deprived on several areas. Under the A.P. Reorganization Act, 2014, we want the Government to help Andhra Pradesh also and encourage and support whatever commitments they have made under the Act on similar lines as that of J&K. *...(Interruptions)....*

Sir, promotion of tourism is another point. Tourism for J&K is very valuable, and I am very happy to see that an allocation of Rs. 604.77 crore has been made under capital expenditure for the year 2022-23 which is very, very commendable again.

To enhance the tourism potential, a comprehensive strategy must be worked out. In an effort for further integration of the Union Territory with other States, I am extremely proud to inform this august House that Andhra Pradesh-based Tirumala Tirupati Devasthanam is constructing Sri Venkateswara Swamy Temple in Jammu, the land of Shri Mata Vaishno Devi, at a cost of Rs. 33.22 crore. This would tap the potential of pilgrim tourism in Jammu also.

Then, on the point of connectivity to the region, I must tell that NHAI and MoRTH have implemented and are implementing various road developmental projects in the regions which connect again Jammu-Banihal and Srinagar. In the entire Valley, I think, it is a very good road that is already made and also a few other connecting road projects are being implemented which are very useful to integrate the State with the rest of the country. The Union Railway Ministry also in September, 2021 had promised a rail link in Kashmir Valley. It would be open to public before 2024. Similarly, with the early execution efforts of Railway Ministry, the crucial Udhampur- Srinagar-Baramulla Rail Link project is said to be completed by the end of 2022. *...(Time-bell rings)...*

There is a lack of affordable air connectivity to remote areas of J&K, especially, during medical emergencies and natural calamities which needs urgent attention in line with the Centre's cherished agenda of *'Sabka Vikas, Sabka Saath and Sabka Viswas.'*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Reddy Garu. Please conclude.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Sir, one last point. The Jammu Airport now has operationalised the runway wherein the existing 6,700 feet has been expanded to a revised stretch of 8,000 feet which would cater to bigger aircrafts with more load and sitting capacity of passengers.

I want to conclude by saying that we wholeheartedly support the initiatives taken by the Central Government in terms of restoring peace and development in areas affected by terrorism and extremism in the Valley. The residents of Jammu and Kashmir need freedom from the atmosphere of fear, and measures need to be taken with utmost focus in improving their future to realize the vision of our former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, of *'Kashmiriyat, Insaniyat and Jamhooriyat'*. Thank you, Sir.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, one of my friends has already quoted a Persian line. I would also like to quote that, although I am not an expert in the Persian language --

"गर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त,
हमीं अस्त ओ, हमीं अस्त ओ, हमीं अस्त।"

It means, if there is a heaven on earth, a paradise in this world, it's here, it's here. Kashmir was known as the paradise of this world, but what is it that we are seeing now? Kashmir is dear to us in many ways. The people of Kashmir have a proud history of struggling for uniting the country and integrating the people. The people of Kashmir rejected the two-nation theory of Savarkar and Jinnah. They rejected the theocratic State and stood for a secular India.

Sir, at the time of Independence, when attackers came from Pakistan, the people of Kashmir fought against the invaders. The people of Kashmir were very confident that their culture, their livelihood and their beliefs would be safe in secular India. It is with this belief that they fought for the integrity of India. But now, we are witnessing a very painful situation there. Earlier, representatives of the people of Jammu & Kashmir discussed their Budget and budgetary allocations in the Legislative Assembly, but their statehood has been dissolved by the present Union Government. It has been one of the most

agonizing experiences of the Indian people. Usually, a Union Territory becomes a State, but here, in the case of Jammu & Kashmir, a full-fledged State has been made a Union Territory. Kashmir lost its statehood. The Union Government has divided the State into two Union Territories. This is a democratic country, but we witnessed relentless Internet shutdown in Kashmir. Now, the Internet is treated as the basic right of people all over the world. In Kerala, the Government has announced the right to use of Internet as a universal right. But there, we saw people without access to Internet. Life came to a standstill in many ways. Education, employment, healthcare -- Internet shutdown affected every walk of life. There were mass detentions in Kashmir and a large number of common people were sent to jail. Prisons were overflowing with people. Innocent people were arrested. People's representatives were detained for months. There were random arrests and violent crackdown on protests. For an entire year, Kashmir faced two back-to-back lockdowns, which destroyed trade and commerce in Kashmir. Kashmir lost Rs. 40,000 crore. Closing of Internet forced entrepreneurs to flee. BPOs were forced to shut down. Artisans lost their contracts. Tourism suffered a lot. But, during this period of crisis, no sensitivity was shown to the people of Kashmir by the Union Government.

Sir, the SARFAESI Act, one of the most draconian laws, was used against the common people. The Banks tried to attach mortgaged properties of the people. It has created a lot of problems for the people of Jammu & Kashmir. The Jammu & Kashmir Administration is trying to reduce the number of jobs in the Government sector. So, the Government sector employees and youngsters in Kashmir are worried about the ongoing situation. Employees are worried that they would be thrown out of their jobs. At this juncture, it is crucial that we help the people of Jammu & Kashmir. They should feel safe and secure and their livelihoods should be protected. Unemployment is a serious problem for the youth in Kashmir. As per the report of the Periodic Labour Force Survey of the Union Government's Ministry of Statistics and Programme Implementation, the urban unemployment rate in Jammu & Kashmir for the 15-29 age group has reached 46.3 per cent from 44.1 per cent in the previous quarter.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude.

DR. V. SIVADASAN: Sir, I am concluding.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, this is a very important point.

DR. V. SIVADASAN: The literacy rate in Kashmir is 67.16 per cent, which is lower than the national average of 72.98 per cent. The per capita income of Kashmir is 22 per cent lower than the national average. Infant mortality rate is 34 in Kashmir. If you compare it with that of Kerala, it is only 12. More than 50 per cent of the villages in Kashmir have no roads and transport facilities. The supply of electricity is very dismal. Educational facilities are very poor. It has been reported that around 75 Government schools recorded less than 30 per cent result in class ten examination. Among them, students with zero percentage are seven.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please conclude now.

DR. V. SIVADASAN: One second, Sir. All these problems can be effectively resolved if a strong decentralised system of governance emerges in Jammu and Kashmir. So, it is my request that there is a need to protect the federal rights of the people of J&K. Jammu and Kashmir should be granted statehood. The promises made to the people of J&K should be fulfilled. It is the only way to ensure the peace and prosperity of Kashmir. We need to make it a paradise again. In Hindi kavita, "अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर", "If there is a paradise, let us bring it to earth". Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Now, I call upon Dr. M. Thambidurai, not present. The next speaker is Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से तन्खा साहब को, जैन साहब को और अन्य सभी वक्ताओं को सुना। कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि as the time passes, the speakers, who are getting less time, you are stricter on them. Those who get eight minutes, they are allowed to speak up to 12 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, it is not like that.

PROF. RAM GOPAL YADAV: No, Sir, I have seen.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Their party has got time. So, it is allowed.

प्रो. राम गोपाल यादव : नहीं, आपने टाइम single-Member party को नहीं दिया, यह तो बड़ी वाली पार्टी है। ...(**व्यवधान**)... You may look at it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Those parties which have time will be allowed. Otherwise, it will not be allowed.

PROF. RAM GOPAL YADAV: Some concession should be there.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please continue.

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। यह जम्मू-कश्मीर के बजट से संबंधित मामला है, लेकिन मैं उसके आंकड़ों में भी नहीं जाना चाहूंगा, व्यवहार में मैंने जो स्वयं देखा है, सिर्फ वही कहना चाहूंगा। हम बहुत सारे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां गए थे, Standing Committee on Health के मेम्बर्स को लेकर हम गए थे। हम टोटल 15 मेम्बर्स थे, तो सभी 15 मेम्बर्स को bullet proof गाड़ियों में भेजा गया और हर मेम्बर की गाड़ी के पीछे एक-एक CRPF की गाड़ी, Armed Forces के साथ चलती थी। हमारे साथ चार-पांच अधिकारी भी थे, तो जब 40 गाड़ियां एक साथ चलती थीं, उस समय सब लोग देखते थे कि यह कौन जा रहा है। जनता के मन में भय सा बना हुआ था। हमें लगता है कि पुलिस और मिलिट्री वालों को देखकर सबको लगता है कि पता नहीं क्या बात हो गई।
जैन साहब ने जो बात कही कि वहां अमन-चैन है, अगर यह सही है, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर चुनाव के वक्त तो आप लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन लगातार सात साल से आप सत्ता में हैं, तो आपने कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में rehabilitate किया है? Who is responsible now? अतीत में कौन इसका ज़िम्मेदार रहा, उन पर आप आरोप लगाइए, लेकिन अभी तो आप स्वयं ज़िम्मेदार हैं, इसलिए अब तो आपको उनकी व्यवस्था करनी ही होगी। अब आप इससे बच नहीं सकते, आपको उनकी व्यवस्था करनी ही होगी।...(**व्यवधान**)... जैन साहब, सुनिए, यह सही बात है।...(**व्यवधान**)... जो लोग "दि कश्मीर फाइल्स" फिल्म का विरोध करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनको यह विरोध करने की जरूरत ही क्या है? आप इनके नेताओं के भाषण सुनिए, जो उस फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक हैं।...(**व्यवधान**)... इनको यह फिल्म बनवानी ही नहीं चाहिए थी।...(**व्यवधान**)... अपने लीडर्स के भाषणों के कैसेट्स बनाकर आप वहां भेज दीजिए, वे इस फिल्म से भी ज्यादा इफेक्टिव हैं। यह फिल्म उनके भाषणों के सामने कुछ भी नहीं है। उनके भाषण ज्यादा इफेक्टिव हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें मत कीजिए। असली चीज यह है कि यह बजट का मामला है। आप जानते हैं कि तन्खा साहब ने इशारा किया था और मैं उसी तरफ अपनी बात को ले जाना चाहता हूं कि ब्रिटिश संसद का हाउस ऑफ लॉर्ड्स शुरू में एक ही सदन था,

यानी एक सदनात्मक संसद थी, लेकिन शुरू-शुरू में जब यह डेमोक्रेटिक नहीं थी, पब्लिक रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं था, तो टैक्स लगाने के लिए राजा कभी-कभी कॉमनर्स को भी नॉमिनेट कर देता था। कालांतर में जब टैक्स लगाने की बात आई तो कॉमनर्स ने कहा कि, 'no Taxation without representation'. बिना जनप्रतिनिधित्व के आप टैक्स नहीं लगा सकते। जब उनकी संख्या बढ़ी तो हाउस ऑफ कॉमन्स एक अलग सदन बन गया, जिसे टैक्स लगाने का अधिकार है, हम लोगों को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। लोक सभा को इसका अधिकार है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि सदन वही है। जब प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी हम लोग यहां बजट पर चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर का रिप्रेज़ेन्टेशन कहां है? इसलिए सच बात तो यह है कि अगर आप वहां रिप्रेज़ेन्टेशन देंगे, वहां विधान सभा वगैरह का आपने परिसीमन करा लिया, फिर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? हालांकि परिसीमन कराने में भी आपने वैली के लोगों के साथ कुछ ज्यादती की है। जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद आपने जम्मू और वैली दोनों को बराबर कर दिया। परिसीमन के सिद्धांतों से हटकर यह किया गया है। जब पिछला परिसीमन हुआ था, तो मैं परिसीमन आयोग का एसोसिएट मेम्बर था। इसमें पॉपुलेशन ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिये परिसीमन हो गया, अब आप वहां चुनाव कराइये, ताकि हम लोगों को यहां संसद में जम्मू-कश्मीर के बारे में डिस्कस करने की जरूरत न पड़े, इसलिए आप वहां की विधान सभा को बहाल कीजिए, वहां चुनाव कराइये। हम लोग कश्मीर के बारे में क्या समझते हैं? हम वहां एक-दो बार हो आए, एक बार 2004 में गये थे और इतने दिनों के बाद अभी गये हैं। आप लोग वहां के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वहां की वास्तविक समस्या क्या है, यह वहां के लोग ही समझ सकते हैं। चाहे वे जम्मू रीजन के लोग हों या वैली रीजन के लोग हों, वे लोग ही वहां की समस्याओं को समझ सकते हैं। आपने बजट में क्या प्रोविज़न किया है - वहां केसर की खेती धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है, जबकि सारी दुनिया में यह मशहूर है। जो क्राफ्ट्समैनशिप है, वहां जो दस्तकारी के काम होते हैं, कश्मीर के लोगों के वे लाजबाव काम हैं, लेकिन अब जितना प्रोत्साहन इन सब चीजों को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, डल झील देखने के लिए सभी जाते हैं, हम लोग जब वहां गये तो कहा गया कि दिन में नहीं जाइये, चूंकि वह दिन में देखने में गंदी लगती है, उसमें एकाध मशीन चल रही होती है, लेकिन जब शाम को जाते हैं तो लाइट्स वगैरह होती हैं, जिनके कारण गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है, वह रोशनी में खूबसूरत लगती है, इसलिए लोग शाम को शिकारे में जाते हैं। मैं अभी सेन्ट्रल असिस्टेंस में देख रहा था, उनके लिए 273 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया गया है, हालांकि पहले भी किया गया होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि वहां जो काम होने चाहिए थे, वैसे काम नहीं हुए। हालांकि हम लोग वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिले थे, उनका जनता से कॉन्टेक्ट करने का रुख ठीक था। जैसा आप लोगों का रुख होता है, वैसा उनका रुख नहीं था। वे मुझे डेमोक्रेटिक वे में सोचने वाले लगे। He is a nice man. लेकिन फिर भी कश्मीर में जो होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। आप जनता का विश्वास जीतिए, जनता का विश्वास सरकार में होना चाहिए, सरकार का विश्वास जनता में होना चाहिए, अगर ये दोनों बन जाएं, तो सब काम ठीक हो जाएगा, बस कोशिश सही होनी चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में विधान सभा के चुनाव कराइये, जनता की सरकार बनाइये, ताकि आगे हम लोगों को कश्मीर के बजट पर संसद के अंदर चर्चा न करनी पड़े, धन्यवाद।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): *"Hon. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on Jammu and Kashmir."

चेयरमैन सर, कश्मीर में 5 अगस्त, 2019 की बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, उस समय सदन में मेरा एक वर्ष हुआ था। वे छवियां भुलाये नहीं भूलतीं, इतिहास तय करेगा कि क्या खोया और क्या पाया। 1947 से लेकर अब तक जब मैं कश्मीर का इतिहास देखता हूं, दिक्कतें आपके समय में ही हैं, ऐसा नहीं है, पहले भी थीं। बहुत दिक्कतें थीं। सर, कश्मीर में एक mainstream हुआ करता था। 370 - मैंने कहा कि इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस main stream का ज़िबह कर दिया गया, उसका कत्ल हो गया। वह mainstream अब exist नहीं करता है। आपको भी इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं कि पहले आपने mainstream को delegitimize किया, फिर उसका कत्ल कर दिया और आज परिस्थिति यह है।

मैं आपको बताऊँ, मैंने इस किताब का पहले भी जिक्र किया था। कश्मीर का एक सिपाही कहता है और बहुत पीड़ा से कहता है कि 'हम न तो अपनों के हो सके और न ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा है।' यह जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, यह चिन्ता का विषय है। मैं नहीं समझता हूँ कि यह आपके लिए चिन्ता का विषय नहीं होगा। लेकिन आपकी चिन्ता की लकीरें आपके माथे पर शिकन बन कर नहीं घूम रही हैं, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

सर, एक और बात है। खैर, उस पर मैं बाद में आऊँगा, इसलिए मैं एक-दो मिनट ज्यादा वक्त ले सकता हूँ। उससे पहले सर, प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के बारे में मेरे बहुत सारे मित्रों ने, अभी हमारे प्रोफेसर राम गोपाल जी ने खुद कहा। यह बहुत अजीब सा लगता है, पीड़ा देता है कि इस हाउस में इस वक्त कश्मीर का कोई नहीं है - ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है - 90 के दशक में भी 6 वर्षों तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 90 का दशक बहुत डरावना दशक था। मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि फौरी तौर पर सरकार को पहल करनी चाहिए, डीलिमिटेशन के बारे में मेरी जो आशंकाएँ थीं, उनको राम गोपाल जी ने व्यक्त कर दिया है, मैं उनको नहीं दोहराऊँगा।

सर, कभी-कभी मुझे यह लगता है कि क्या हमारी चिन्ता आज जम्मू-कश्मीर के लिए है या उत्तर भारत में जम्मू-कश्मीर की राजनीति से अपनी राजनीति तलाशी जा रही है! क्योंकि अगर जम्मू-कश्मीर की चिन्ता है, तो हमारे हर मनसा, वाचा, कर्मणा में वह झलकनी चाहिए, लेकिन मैं उसका अभाव देख रहा हूँ। मैं एक बात कहता हूँ। मैं जेपी जी की बस एक-दो लाइनें पढ़ कर सुनाना

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

चाहता हूँ। सर, आजकल मैं इतिहास से संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में लोग तो सुनते ही नहीं हैं या सुनना नहीं चाहते हैं। सर, जेपी जी इंदिरा जी को लिख रहे हैं। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि अगर आज मैं यह चिट्ठी अपने गृह मंत्री जी के नाम लिख दूँ, सदन में बोलूँगा तो protected रहूँगा, लेकिन बाहर बोल दूँ, तो UAPA के अन्दर जाऊँगा। 'No matter how much and how long we shout that Kashmir is an inalienable part of India and that, therefore, there is no Kashmir problem, the fact remains that a serious and urgent problem faces...' I continue and go to the other paragraph, 'The problem exists not because Pakistan wants to grab Kashmir, but because there is deep and widespread political discontent among the people.' मैं इसी alienation का जिक्र कर रहा था। यह खत्म नहीं हुआ। मैं यह नहीं कहता कि वहाँ आपने पैदा किया, लेकिन उस पैदा हुए शिशु का आपने भी पोषण किया। उस alienation का scale इतना बड़ा हो गया है कि मुश्किल बढ़ती जा रही है।

सर, Tulmulla Campus की 500 एकड़ की जमीन है, वह कैम्पस scattered है, Central University scattered है। हम शिक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं? इतने वर्षों में आपने वहाँ क्या किया? क्या उनको जरूरत नहीं है? मैं स्कूली शिक्षा की बात करूँ, तो धारा 370 और कोविड को मिलाकर वहाँ 32 महीने स्कूल्स बन्द रहे। बाकी देश में आप 4जी, 5जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ digital mode of education collapse किया हुआ था। मैंने स्वयं देखा है। एक बच्ची के पिता ने कश्मीर में मेरा भाषण सुना था। वे कश्मीर से कॉल नहीं कर पाये, वे दिल्ली आये। उनकी बच्ची बंगलादेश में थी। उन्होंने मुझसे यहाँ आकर बात की। हम सब लोग एयरपोर्ट पर detain कर लिये गये थे। खैर, मर्ज़ी आपकी, आपको लगा कि हालात ठीक नहीं हैं, हमारे जाने से वहाँ आग भड़क जायेगी। हममें अगर इतनी ही ताकत होती, तो कुछ चुनाव भी जीत लेते! आपको हमारे बारे में बेकार ही डर लगता है। सर, 'Children of Conflict' हमारी चिन्ता में और बजट में भी नहीं आया। उनके मनोविज्ञान पर अभी मेरी एक स्टूडेंट ने काम किया है।

महोदय, इसके पहले कि मैं चलते-चलते कुछ और बात कहूं, इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर कोई विरोध नहीं है कि कोई भी painful experience document किया जाए, मैंने खुद वह फिल्म देखी है। मैंने 'परज़ानिया', 'राम के नाम' और जर्मनी की Leni Riefenstahl द्वारा निर्मित फिल्म '*Triumph of the Will*' भी देखी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत माता की छाती पर बहुत से दाग हैं। 1947 को 'तमस' डाक्यूमेंट करता है, उसके बाद 1983 में नेल्ली होता है, 1984 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है। महोदय, कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ ये सारे दाग भी हैं। ये सारे दाग और घाव मेरी reconciliation से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच तेजाब डालकर आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, बल्कि भारत माता और लहूलुहान होगी और जब लहूलुहान होगी, तब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि vote की फसल की भी एक threshold value है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please.

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर बैठ जाऊंगा, आप चिन्ता न करें। एक term है, 'half-widow', मैं नहीं जानता कि सत्ता पक्ष के हमारे कितने लोग इसे जानते हैं, क्योंकि यह 'half-widow' पूरे देश में प्रयोग नहीं होता। यह 'half-widow' कश्मीर की हकीकत है कि यह 'half-widow' कौन है? Association of Parents of Disappeared Persons (APDP) यह term पूरे भारत में उपयोग नहीं होता है, बल्कि कश्मीर में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी चिन्ता, मेरी आलोचना को अपनी वैचारिक आलोचना मत समझिए। मैं कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। आपके दल में चुनाव भले ही कोई भी जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और रहेंगे। माननीय अटल जी ने न सिर्फ बोला, लिखा भी कि इंसानियत, कश्मीरियत, जम्हूरियत, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है! For how many gold coins are we losing that pot? That concerns me. That worries me. ...(**व्यवधान**)... डा. अनिल जैन, आपने मेरा तारतम्य बिगाड़ दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please.

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदय, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। मेरे कई सारे दोस्त, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेन्ट्स जम्मू में भी हैं और कश्मीर में भी हैं। कई शिक्षाविद् हैं, जो वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। वहां आजादी बिल्कुल नहीं है, वे बोल नहीं सकते। मैं Press Freedom Index का जिक्र भी नहीं करना चाहता। Press freedom को यदि देखना है, तो हम कश्मीर में जाकर देखें। खुर्रम परवेज़, आप बताइये कि उनका क्या गुनाह था? सच बोलना गुनाह हो जाएगा? सर, यह तो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है, तो बात कीजिए। मैं आखिरी में 'Kashmir Files' पर कहना चाहता था। मेरी एक M.Phil. की स्टूडेंट साइमा रहमान है, जो कि एक radio jockey है। हम लोग बैठकर बात कर रहे थे कि वह किस विषय में M.Phil. करे, तो मैंने कहा कि 'कश्मीरी पंडित' पर करो। यह बहुत पहले की बात है, जब यह मोदी जी की सरकार नहीं आई थी। उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो मैंने कहा कि एक मुसलमान लड़की कश्मीरी पंडित के दर्द और गम को समेट करके लोगों के समक्ष रखे। यह हिन्दुस्तान है और हमें लोग राष्ट्रवाद बता रहे हैं!

सर, मैं आखिरी टिप्पणी यही करूंगा कि इससे पहले यहां सब कुछ बदल जाए, ये बदला लेने वाले फलसफे कोई आकर के बदल दे। यह सब नहीं होना चाहिए। सर, मैं अंत में जय हिन्द बोलने से पहले श्री भगवत रावत जी की कविता से अपनी बात खत्म करूंगा । ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please, Neeraj *ji*. ...*(Interruptions)*.... Address the Chair and conclude it.

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदय, नीरज भाई न हों, तो सदन नीरस लगेगा। श्री भगवत रावत जी की कविता है:

"पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए,
कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए,
पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। "

महोदय, इस देश में कई घरों में यूक्रेन बना हुआ है, कई राज्यों में यूक्रेन बना हुआ है। जय हिन्द, थैंक यू।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, this House can never forget the day of 5th August, 2019. On that day, our Home Minister came to this House with a Bill and that Bill was for the abrogation of Article 370. Since long, it was the agenda of the BJP. In the beginning, it was a hidden agenda to scrap Article 370. Then, they made it an open agenda. With that agenda, he came to the House and on that day, it happened and Kashmir was divided in two parts -- Jammu and Kashmir and Ladakh. No statehoods; both are Union Territories. Now, the hon. Finance Minister has come to the House with a Bill for allotting money to Jammu and Kashmir. These are not small amounts. It is an amount of Rs.35,581.44 crore for Jammu and Kashmir. Sir, what about Ladakh? There is nothing in this for Ladakh. Ladakh's old allocation remains as it was. It remains as Rs.5,958 crore. I would ask very humbly: Why is there this approach to Ladakh? Ladakh needs more. But you forget Ladakh. I have listened to the MP in Lok Sabha from Ladakh many a time. He is worried and concerned that Ladakh is not given proper care. So, when the Finance Minister comes back to the House to respond to the debate, I hope that the sorrows of Ladakh will also be taken care of by the Minister.

Sir, my first point is that this is not the actual figure; this figure is not the real figure. Only on the face, it is a figure. But the Government is spending much more amounts on Jammu and Kashmir, and Ladakh. Which is that big amount? It is on CRPF, military and paramilitary forces. Sir, today's Kashmir is the Kashmir of military forces where people are suppressed, where people are killed and their wishes and dreams are really ignored. That is the Kashmir of today. In that Kashmir, the real funds were spent for people's torture and that fact remains. Sir, we hear a lot about Kashmir Files these days. I can tell you about another file. ...*(Interruptions)*.... Mr. Neeraj, please don't make noise here. I request you. Please listen to me. ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please. *...(Interruptions)....* Don't worry. Please listen to me. *...(Interruptions)....*

SHRI BINOY VISWAM: For the knowledge of Mr. Neeraj and other friends, I may tell a name. His name is Abdul Sattar Ranjoor. He is the first martyr of Kashmir. He was killed by the bullets of militants. He was a communist. He was Secretary of the Communist Party of India in Kashmir. He was a renowned poet of Kashmir. Those who know poetry and those who know history know him. I am sure the BJP Benches also know him. He was killed by terrorists. That was the beginning of terrorism in Kashmir. Now, it grew. Militancy and terrorism grew. Now, under your rule, I may ask the Government: Is it subsiding or growing? The fact is that it is growing day by day. What is the reason? The reason is quite simple. Kashmir demands a political solution but *That is why, you are doing a harm to the dreams of your own Atal Bihari Vajpayee. You know his dream of *insaaniyat, jamhooriyat* and *Kashmiriyat*. What happened to it? What happened to it? You are not justful to it; *The Government is competing with them. *That is why, we say that we cannot support these demands. It is not for the bright future of Kashmir. Everybody spoke here about the paradise. I remember that novel and the name, Paradise Lost. Who killed that paradise? That is the question. On the one side, the militants killed it. On the other side, the Government is killing it. Both of you are playing in the hands of the enemy outside the borders. It is your Kashmiri policy. My dear friends and hon. Minister Bhupender Yadav*ji,* I am telling you, your policy on Kashmir is making them happy. Who are they? They are the military leaders of Pakistan, the rulers of Pakistan and the political boss of Pakistan. They are happy because your policy is alienating the people of Kashmir from India. We believe that Kashmir is in and out integral part of India. We believe that. We stand for that. For that, people should have a feeling that India is their home. * And hon. Minister has come here. Madam, I said here that your demands are only a part of it. The real demand is with the Defence Minister, for the CRPF, for the military, for the paramilitary forces because you ruled Kashmir not with hearts but with force. Kashmir needs a solution which has a heart and soul, a brain and some empathy and sympathy for the people concerned but you do not have it. For that policy of Kashmir, which you have, this demand cannot be supported. So, this demand

* Expunged as ordered by the Chair.

of the BJP Government is not for the unity of India, not for the people of India and Kashmir. I have many friends there. They talk to me about apple farming. Once, it was a very big section of the Kashmiri economy. What happened to it? Apple is not being exported. People are suffering. Business and all other sectors are going down. Madam, you go and see Dal lake. Tankha*ji* made a proposal here that you lead a delegation to Kashmir. I do not know whether you would agree to me or not but I volunteer myself to be in that delegation, to visit Jammu and Kashmir with you, to see with our own *...(Interruptions)....*

प्रो. मनोज कुमार झा : मैं भी ...(**व्यवधान**)...

SHRI BINOY VISWAM: Yes, he is also willing. *...(Interruptions)....* Many of us are happy to come with you to see the reality there. Madam, the reality is not what you tell the world. It is not the reality what they are telling you, the officials, the military brass and their bosses and the political stewards of the BJP. They are not telling you the truth. The truth is that Kashmir is crying. It is bleeding, weeping and your measures are not fit for that. The panacea for Kashmir is somewhere else. That panacea, I can say, is political and only political. Do not forget it. With these words, I can tell you, Madam, the political policies are creating difficulties for the Kashmiri people. So, I can tell you, stop this competition that you make with the *in making the Kashmiri situation worse and worse. Come back to the people of Kashmir. Talk to them as human beings. Talk to them with your heart and brain. Talk to them with sympathy and love. * and that is the way to take the Kashmiri people to Indian side. Otherwise, the Pakistani military junta or the Pakistani Government or their military bosses may be happy in their heart. They may applaud you because the BJP is trying to have a base for them inside Kashmir. We do not want it. I repeat that we want to see Kashmir as a part of India, as a definite part of India, as an integral part of India.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you, Binoy*ji*.

SHRI BINOY VISWAM: With these words, I conclude. I oppose these demands.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): The next speaker is Shrimati Priyanka Chaturvedi.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र) : सर, जब मैं बात करूँगी तो मुद्दों पर ही बात करूँगी, उस तरफ किसी को चोट लग सकती है, पर मैं यह उम्मीद करती हूँ कि वे उसे सुनने की क्षमता रखेंगे। ...(**व्यवधान**)...

पर्यावरण, **वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** (**श्री भूपेन्द्र यादव**) : सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Under which rule?

SHRI BHUPENDER YADAV: Rule 235 is clear as to how a Member should speak in the House ...*(Interruptions)*.... सर, रूल 235 में यह बहुत ही clear है कि किसी सदस्य को सदन में कैसे बोलना चाहिए। सर, यह unparliamentary expressions की सदन की एक पूरी पुस्तिका है। चाहे कोई भी मेम्बर बोलें, वे निडर होकर बोलें, अपना विषय रखें, वे criticize भी कर सकते हैं, लेकिन जो शब्द-प्रयोग है, उसके बारे में मैं इस पुस्तिका में देख रहा था। मनोज जी एक विद्वान आदमी हैं। सर, *ये सब असंसदीय हैं, इसलिए आप इन विषयों को एक बार इनके भाषण में देखिए।

दूसरा, बिनोय विस्वम जी भी बोल रहे थे। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। हम डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट को run करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Please listen.

SHRI BHUPENDER YADAV: So, * these are completely inappropriate and unparliamentary words. Sir, please look into the speech of Shri Binoy Viswam and delete it accordingly.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I will verify the records and if there is any unparliamentary expression, it will be removed. ...*(Interruptions)*.... Don't worry, it will be taken out. ...*(Interruptions)*....

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, either Bhupender*ji* was not listening to me, I never said these things. I am very conscious when I speak. Believe me, I can vouch for the fact that I have not spoken a single thing which is unparliamentary. You point it to me.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Prof. Manoj*ji*, if there is anything not unparliamentary, it will not be removed; otherwise, action will be taken. Please be seated. ...*(Interruptions)*.... It will be taken care, please. ...*(Interruptions)*....

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): I will definitely verify. ...*(Interruptions)*.... The Chair will verify that. ...*(Interruptions)*....

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, how can we put words into his mouth? How can the Minister.... ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, please. ...*(Interruptions)*.... Please. ...*(Interruptions)*.... Binoy*ji*, you please tell me. ...*(Interruptions)*....

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I would like to say that we are more Indians than they are. We speak for India, we live for India and we die for India, and they say that what we say is anti-Indian. No, Sir. ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): That is okay, please sit down. ...*(Interruptions)*.... As per the records, ...*(Interruptions)*....

SHRI BINOY VISWAM: Sir, we are more Indian than them.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Binoy*ji*, as per the records.... ...*(Interruptions)*....

SHRI BINOY VISWAM: Sir, he is my friend, I respect him, but he came with a big book here, and telling that what I...... *(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): No, no, it will be verified. ...*(Interruptions)*....

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I cannot agree with that. I cannot agree with that. I am more patriotic than these people. *...(Interruptions)....* No, Sir....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Decision will not be taken by seeing the book. *...(Interruptions)....* Please be seated. *...(Interruptions)....* Don't worry. *...(Interruptions)....* It will be verified. *...(Interruptions)....* It will be verified and then only the decision will be taken. *...(Interruptions)....* Now, Shrimati Priyanka*ji*. *...(Interruptions)....* No; that is over. Please start.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : सर, मैं बस मज़ाक में एक चीज़ कहूँगी कि खुशी इस बात की है कि इस बार किसी और का नाम लिया गया। ...(**व्यवधान**)... We are all patriots. We are all nationalists.

Sir, I, firstly, thank you for allowing me to speak on this important issue. सर, सबसे पहले मैं यह कहूँगी कि इस एप्रोप्रिएशन बिल को हम अपोज़ भी नहीं कर सकते हैं, हम उसको accept भी नहीं कर सकते हैं, पर उसके बारे में हम कुछ बातें रख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। जो बजट पेश किया गया है, दुःख इस बात का होता है कि आए दिन टेलीविज़न चैनलों पर चर्चा हो रही है। जब से पिक्चर रिलीज़ हुई है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। कश्मीरी पंडितों के बारे में बात की जा रही है, पर इस बजट में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी प्रोविज़न नहीं किया गया है।

महोदय, दुख इस बात का होता है कि आप देश की जनता के सामने इतिहास ला रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, यह ऐसा इतिहास है, जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा नहीं करते थे, आप उसको चर्चा में लाए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Silence please. *...(Interruptions)....* She is speaking. Madam, please continue.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : एक picture बनी है, जो एक महत्वपूर्ण पिक्चर है। देश की जनता को जानना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती है। घाव कुरेद सकते हैं, घाव को खोल सकते हैं, लेकिन घाव को भरना आपकी ज़िम्मेदारी है। इतने सालों से आपने उस पर राजनीति की है, अभी भी कर रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं। जो पिक्चर इंसानियत को लेकर थी, जो पिक्चर genocide को लेकर थी, आप उसको राजनैतिक रंग देकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सर हमारे लिए कश्मीरी पंडितों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जब कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए थे, घरों से निकाले गए थे, उनकी जानें ली गई थीं, उनकी हत्या की गई थी, तब हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी एकमात्र नेता होंगे, जिन्होंने मलहम लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि

आपके घर भले ही छीन लिए गए होंगे, किंतु आप हमारे दिलों में रहेंगे, आप हमारे राज्य में रहेंगे। हमारा राज्य आपकी education की व्यवस्था करेगा, आपके युवाओं को रोज़गार के माध्यम देगा। हमने यह काम किया है और आज तक हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 32 साल हो गए हैं, हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। उनको सम्मान के साथ वापस लौटाना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट ने वर्ष 2015 में construction की बात कही थी कि हम उनके लिए 6,000 घर बनाएंगे, मैंने Zero Hour में वह मुद्दा उठाया था - Parliamentary Standing Committee की Report यह बताती है कि सिर्फ 10 प्रतिशत घर बने थे। वर्ष 2015 से आज हम वर्ष 2022 में हैं, आए दिन उस पर राजनीति की जाती है। मैंने यह भी पूछा था कि कितने कश्मीरी पंडित वापस लौटे हैं, उसका भी जवाब आज तक नहीं मिला है, किंतु एक जवाब ज़रूर मिला है, Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai जी की मुझे चिट्ठी प्राप्त हुई, जो मैं साथ में लाई हूं, जिसमें कश्मीरी पंडितों को आपने 'Kashmiri Migrant Employees' कहा है and I strongly object to the fact, Sir, they are not migrant employees, they are not migrants. They belong to there. They were thrown out of their homes. So, firstly, यह जो title है 'migrant employees' का, वह हटाया जाए, यह मैं आपके माध्यम से डिमांड करती हूं। They have to go rightfully back to their homes, they are not migrants. Those were their homes and they were thrown out of those homes. सर, 6,000 transit homes की बात हुई थी, accommodation की बात हुई थी। उनकी चिट्ठी मुझे बताती है कि 1,025 घर ही अब तक पूरे हो पाए हैं। 6,000 में से 1,025 घर ही पूरे हो पाए हैं जो सिर्फ 17 प्रतिशत है। कितने कश्मीरी पंडित वापस उधर आए हैं, यह आज तक किसी को नहीं पता है।

सर, वर्ष 2015 में Prime Minister's Development Package announce हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि 3,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी for Kashmiri Pandits, फिर से उन्हें 'migrants' कहा गया in the former State of Jammu and Kashmir. आज हम वर्ष 2022 में है और डेटा बता रहा है कि अब तक वहां 1,739 कश्मीरी पंडित appoint हुए हैं और 1,098 are others who were selected for the same jobs. ये jobs बननी थीं exclusively for Kashmiri Pandits, इसमें भी उनके साथ वादाखिलाफ़ी हुई। महोदय, दुर्भाग्य की बात यह भी है, मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि जब बजट की बात होती है, तो unemployment को बजट से दूर नहीं रखा जा सकता है, उसको दूर रखना भी गलत होगा। मनोज झा जी ने बताया कि किस तरह की education व्यवस्था थी, क्योंकि आप जब चाहते हैं, तब internet connection खत्म कर देते हैं, human rights violation होता है, पर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर चर्चा करेंगे, तो हमें anti-national कह दिया जाएगा।...(**समय की घंटी**)... सर, मुझे दो मिनट का और समय चाहिए। Labour force में unemployment figure among educated youth 46.3 per cent है। सर, एक लास्ट मुद्दा है, क्योंकि समय की कमी है, मैं delimitation के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, किंतु यह ज़रूर कहना चाहूंगी कि जो लद्दाख की बात कही गई, जब Article 370 हटा था...लद्दाख के बहुत सारे मेम्बर्स ऑफ

पार्लियामेंट खुश थे कि finally उनको डेवलपमेंट मिलेगा। अभी सरकारी पैकेज में उनके बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ है।

Last but not the least, Sir, एक बहुत important मुद्दा है, जिसके बारे में मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी लिखा है। वहां के जो CIC operators हैं, जो Rural Development Department में काम करते हैं, पिछले 18 साल से उनका salary enhancement नहीं हुआ है। वहां पर एक special empowered committee बनाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये contractual employees हैं और उनका regularisation होना जरूरी है। 172 Community Information Centre's operators in 2017 was the decision. अब तक वह pending है। वे लोग 18 साल से दर-बदर भटक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि न तो उनकी सैलेरी का enhancement हो रहा है और न ही उनके employment का regularisation हो रहा है। ये सब कौन-लोग हैं, जो CIC में employees हैं? उनके पास MCA, M.Tech, M.Sc, IT, BE and B.Tech. की degrees हैं। सर, आप समझ सकते हैं कि इनका ध्यान रखना कितना जरूरी है। Last but not the least, I will just end with two words. 'भय के कारण अनुशासन हो सकता है, नैतिकता नहीं।' वही जयप्रकाश नारायण जी हैं, जिनके बारे में अभी मनोज झा जी ने बात की थी, तो आप उसको ध्यान में रखिए। Thank you so much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Thank you. Next speaker is Shri Praful Patel; not present.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I will speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Have you given the name?

DR. FAUZIA KHAN: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. L. HANUMANTHAIAH): Okay.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, while taking the values of 'Insaniyat, Kashmiriyat and Jamhooriyat' forward, I truly hope that in the upcoming year, we shall not be discussing this Budget here in this Parliament but it shall be rightly being discussed in the Union Territory itself by a democratically-elected Assembly. That will be a true Kashmiriyat, a Jamhooriyat and a true tribute to the vision of Atal Bihari Vajpayee*ji*.

As I speak about the Budget, on the Supplementary Demands, I would like to say that जिस तरह हमारे घर के साथ एक सुंदर बगीचा होता है, उसी तरह हमारे

देश का सुंदर गुलिस्ताँ कश्मीर है। हर भारतीय नागरिक यह चाहता है कि कभी न कभी वह कश्मीर जाए और उसकी सुदंरता को देखे। सर, एक कविता है:-

"जहां पर बर्फ गिरती है,
जहां पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं,
जहां चश्मे उबलते हैं, जहां बारिश बरसती है,
बरसती बारिशों में भी जहां कोहसार चलते हैं,
चलो कश्मीर चलते हैं।"

सर, यह कश्मीर, जिसको जन्नत कहा गया है, the Garden of Eden.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.*]

And we have to remove the Satan from this Garden of Eden and just as my colleague, Mr. Vivek K. Tankha, who is a member of the Indian National Congress and also a Kashmiri Pandit himself, spoke brilliantly on the way forward. And, this should be the attitude. We have to move forward. He spoke about a Private Member's Bill that he is bringing. I am looking forward to that Bill and I hope that for the rehabilitation of Kashmiri Pandits, we will take forward some concrete steps.

Sir, I am reminded of acts, noble acts which I myself have experienced when I went to Kashmir. An act of fraternity and valour which, I think, should be more highlighted than any wounds that are there. So, I would like to highlight a small incident. On 10^{th} of August, 2021, Gulzar Ahmad Nimrohi, Nasir Ahmad, Akhtar Hussain, Irshad Ahmad, Nasir Ahmad, a team of police personnel, who went on a rescue operation in Gulmarg in the higher ranges of the Pir Panjal hill top bridge, 4,000 metres above sea level. At 3.00 a.m. in the middle of the night, a tourist, his name was Parag Gautam from Uttar Pradesh, was stranded there and left to die. He had met with an accident.

4.00 P.M.

This rescue team went there and at midnight, in all those harsh, stormy conditions where it is so difficult even to walk, they went there, they gave CPR to that tourist, they carried him on their backs. They brought that person through that harsh terrain and he survived.

Sir, this is a real act which must be noted and highlighted. But, these police personnel were just given a one-time reward of Rs. 100. There was no recognition, no suitable compensation, no reward and no promotion. Sir, how will people risk their lives to go on such rescue operations, if we do not take note of it? I have written to the hon. Home Minister but nothing of it. This is not a single act which must have happened. There may be millions of them who have risked their lives to save other people's lives and they do not see to which community the person belongs to. Sir, such acts must be recognized. Here, in Parliament, we must resolve that whenever there is an act of humanity or fraternity, it must be highlighted. Sir, when I come to the Budget, a major part of the Budget allocation to the Union Territory...

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री नित्यानन्द राय**) : सर, एक मिनट ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He has a point of order. ...*(Interruptions)*....आप बोलिए।

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Under what rule, Sir?

श्री नित्यानन्द राय : माननीय गृह मंत्री जी का नाम लिया गया है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He is a Minister, he wants to give clarification, please listen to him. ...*(Interruptions)*....

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, मेरा कहना स्पष्ट है कि जैसे ही माननीय सदस्या बोलीं कि चाहे किसी भी समुदाय का हो, तो मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में जो भी बहादुरी और वीरता के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ...(**व्यवधान**)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, what is the point of order here? What is the point of order? ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Do not make running commentary. ...*(Interruptions)*.... I have allowed him, let him give the clarification. ...*(Interruptions)*....

श्री नित्यानन्द राय : वहां के सारे पुरस्कारों को देखिए, मैं भी वहां गया था या वहां जो भी इस प्रकार के लोग, जो बलिदान देने वाले हैं या कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हैं...(**व्यवधान**)... शायद ये पुरस्कार का मतलब नहीं समझते हैं।...(**व्यवधान**)... इस तरह के एक काम के लिए किसी को सहयोग दिया, उसको कौन सा पुरस्कार देते? ...(**व्यवधान**)... जम्मू-कश्मीर में उन्हें भले ही सौ रुपये दिए गए हों, लेकिन पुरस्कार के रूप में दिए गए। ...(**व्यवधान**)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, what is the rule under which he is raising this point of order? ...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have allowed him. ...*(Interruptions)*....

श्री नित्यानन्द राय : आज भी शहादत के लिए जम्मू-कश्मीर के पुलिस बलों को, सुरक्षा बलों को जिस प्रकार का सम्मान दिया जाता है, ...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, what is the point of order?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please be seated. ...*(Interruptions)*....

श्री नित्यानन्द राय : यह एक रिकॉर्ड है। पहले के रिकॉर्ड उठाकर देखिए ...(**व्यवधान**)... और इस सरकार के रिकॉर्ड को देखिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It is a clarification; I have allowed it. ...*(Interruptions)*....

श्री नित्यानन्द राय : कभी किसी सम्प्रदाय के हिसाब से कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन जम्मू-कश्मीर के रिकॉर्ड को उठाकर देखिए, वहां किसी प्रकार न भेदभाव है, ...(**व्यवधान**)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, this is injustice to me. ...*(Interruptions)*....

श्री नित्यानन्द राय : वहां के वीर जवानों को उसी प्रकार का सम्मान भी दिया जाता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Dr. Fauzia Khan; *...(Interruptions)....* आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया। ...(**व्यवधान**)... I have called Dr. Fauzia Khan, please continue. *...(Interruptions)....* A little later. *...(Interruptions)....* Let her finish.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, allow the LoP. *...(Interruptions)....*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will allow you, let her finish first. *...(Interruptions)....*

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, allow the LoP. *...(Interruptions)....*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will allow the LoP; LoP has always been given preference, but, she also has her own preference. *...(Interruptions)....*

SHRI TIRUCHI SIVA: When she was interrupted, you allowed him. Now, please allow the LoP. *...(Interruptions)....*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, it was a clarification, which he has made. Her point has been clarified. It is not for you, it is for her *...(Interruptions)....*

DR. FAUZIA KHAN: Sir, under what rule did he raise that point of order? *...(Interruptions)....*

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Minister can give clarification. *...(Interruptions)....* How can he give clarification? *...(Interruptions)....* Allow the LoP. *...(Interruptions)....*

DR. FAUZIA KHAN: Sir, this is injustice to me. *...(Interruptions)....*

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : आप हमारे साथ थे, मैं आपकी respect करता हूं। ...(**व्यवधान**)... आप हमारे साथ बहुत दिन से थे। मैं आपकी respect भी करता हूं। मैं आपसे मिला भी हूं

और आपकी स्टेट में भी आया हूं। *लेकिन मुझे यह नहीं मालूम है कि उन्होंने कौन सा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल में कहा है - एक बात तो यह है और ...(**व्यवधान**)...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. LoP*...(Interruptions)...*

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: One minute. *...(Interruptions)....*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have to listen. *...(Interruptions)....*I am on my legs. *...(Interruptions)....*Please be seated, otherwise, I will name you. *...(Interruptions)....*Mr. LoP, I have heard you. ...(Interruptions).
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Not fully heard. *...(Interruptions)....*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay, I have not heard you fully, I agree. *...(Interruptions)....*Now, you cannot comment on the Chair. *...(Interruptions)....*You are also a very old Member of Parliament. *...(Interruptions)....* You are a very senior Member of Parliament and there are many senior Members of Parliament, you cannot comment on the Chair. *... (Interruptions)....*Please keep it in mind. *...(Interruptions) ....* Please continue.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am not commenting, I am appreciating your spirit * *...(Interruptions)....* Whatever it is. *...(Interruptions)...*

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): What is this? *...(Interruptions)....*

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Sir, the Leader of the Opposition is a very senior leader. सर, इस तरह का कमेंट निश्चित तौर से चेयर का अपमान है, जनता का अपमान है और यह पूरे सदन का अपमान है। ...(**व्यवधान**)... मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ दि अपोज़िशन से कहना चाहूंगा कि वे एक अनुभवी संसद सदस्य रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... चेयर के ऊपर इस तरह का कमेंट करना, चेयर के बारे में इस तरह का कमेंट करना, निश्चित तौर से जो संसदीय नियम हैं, उनके खिलाफ तो है ही, लेकिन संसदीय मर्यादाओं के भी खिलाफ है। ...(**व्यवधान**)... माननीय लीडर ऑफ दि अपोज़िशन को इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, मैंने चेयर को कोई disrespect करने की बात नहीं कही है। ...(**व्यवधान**)... Under what rule? ...*(Interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will go through the record. If any comment is against the Chair, then it will be removed. ...*(Interruptions)*....It will be removed. ...*(Interruptions)*...

DR. FAUZIA KHAN: I just could not comprehend why the word 'fraternity' has raked up so much ruckus. I would like to talk about the budget. A major part of the budget allocation to the Union Territory of Jammu & Kashmir, Sir, has been set aside to meet the revenue deficit and resource gap of the Union Territory. The question is, will the locals have to wait for another year for a special announcement or a special package? Many promises have been made regarding unemployment. On November 27, the BJP released its election manifesto for the DDC polls promising 70,000 jobs. Sir, on 3rd June, 2021, a senior MP from BJP, Shri Syed Zafar Islam promised 25,000 jobs before 2020 saying that the Prime Minister Narendra Modi is determined to develop the Union Territory. However, as on February 2, 2022, unemployment in Jammu and Kashmir has remained at 15 per cent which is much higher than the average of 6.57 per cent in the rest of the country. In the Budget of 2022-23, the total revenue budget for the social sector is Rs.23,060 crores, that is only 0.47 per cent on labour and employment. Only 0.47 per cent! My question is: What is the status of these promised jobs and what specifically are our interventions and on what this social sector expenditure is actually being made because unemployment is getting reduced, according to this Report, Sir? As far as PMAYG is concerned, the promise of completion of houses by 2022, according to an Unstarred Question No.1188 on the 9th of February, 2021, a target of 1,65,766 houses has been allocated to Jammu and Kashmir. Out of that, 1,33,259 beneficiaries have been sanctioned and only 36,650 houses have been completed by 5th February, 2021. That is a measly 27 per cent. I would like to know what the completion status of these sanctioned houses is.

My last point is that there is a lack of targeted plans and budgetary interventions for MSMEs, horticulture, tourism and industry in Jammu and Kashmir. These are very important sectors considering the State. The President of Kashmir Chamber of Commerce and Industry, Shri Shaikh Ashiq said, "We were expecting big announcements for the revival of businesses. Since the present businesses in Jammu

and Kashmir are not offered a hand-holding, unemployment will only go up. We expected a special scheme for the local entrepreneurs." Sir, the National Conference spokesperson, Imran Nabi Dar, said, "The Budget has failed to tackle the problems of unemployment and inflation. It will only increase inequality and leave out the largest section of our population including unemployed youth, artisans, horticulturists, etc." How do we address these concerns?

Sir, I would like to read out the figures. On sector-wise revenue expenditure, in the economic sector, it is Rs.5,800 crore; only 3.9 per cent on tourism. Why is tourism not being used to create more employment? It is a tourism-centric State where not even a single focus on any employment or scheme related to tourism is there in the schemes that are made for the tourism sector. There are some other points. I would end, because my time is up, with the words, 'True peace is not merely the absence of war. It is the presence of justice.' This is what we need in Jammu and Kashmir--the presence of justice. Thank you, Sir.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, मेरी यह मेडन स्पीच है, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय दिया जाये।

आज इस सदन में हम जम्मू-कश्मीर की Demands for Grants की, यानी बजट की चर्चा कर रहे हैं। जहां जम्मू-कश्मीर स्टेट के चुने हुए लोगों को इसकी चर्चा अपनी स्टेट में करनी चाहिए थी, वहां हम यहां दिल्ली में बैठ कर उनके स्टेट का बजट कहां से कहां जाना चाहिए, कहां पर क्या देना चाहिए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे लिए तो यह बहुत दुख की बात है।

माननीय गृह मंत्री जी ने 05.08.2019 को जब Abrogation of Article 370 किया था तो बहुत ही शानदार तरीके से बोला था और आश्वासन दिया था कि जिस दिन जम्मू-कश्मीर की व्यवस्था ठीक हो जायेगी, आसान हो जायेगी, जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे तो मैं वहां पर राज्य का दर्जा वापस दे दूंगा। 05.08.2019 से लेकर आज तीन साल, सात महीने हो गये हैं, तीन साल, सात महीनों के बाद आज इनके गृह मंत्री जी बयान दें कि वहां की जो स्थिति है, वह सामान्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्हें यह बोलना चाहिए कि वहां पर हम चुनाव नहीं करा सकते। उसके बीच में इन्होंने Delimitation Commission के गठन का डिक्लेरेशन कर दिया, जो Delimitation Commission खुले-आम सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चर्चा कर रहा है कि कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिस तरह से बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि हममें से किसी का भी Delimitation Commission पर विश्वास नहीं है। वहां एकतरफा पार्टी का काम चल रहा है।

मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि अभी 3 साल, 7 महीने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोग यह चाह रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर, जो पहले पूरे देश का ताज कहलाता

था, उसका ताज उनको वापस दिया जाए। वे अपनी रियासत को रियासत-ए-जम्मू और कश्मीर बोलते हैं, बहुत स्वाभिमान से, वह उनको वापस दिया जाए और जल्दी से जल्दी दिया जाए।

आज अगर जम्मू-कश्मीर में कोई सबसे बड़ी समस्या है, तो वह है बेरोजगारी। वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ही बुरी तरह से बढ़ गई है। यह मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सरकारी आँकड़ों का हवाला देकर बोल रही हूँ। अक्टूबर, 2021-22 में बेरोजगारी का आँकड़ा 22.2 परसेंट था, जो all time high था। यह पूरे हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर था। यह CMIE की रिपोर्ट है, अर्थ मंत्री जी को मालूम है। फिर इसके बाद अभी जो इसका आँकड़ा आया है, उसमें यह 15.17 परसेंट आया है, जबकि पूरे देश का बेरोजगारी का आँकड़ा 7.9 परसेंट है। आज देश में जम्मू-कश्मीर की जो बेरोजगारी है, वह पाँचवें नम्बर पर है। यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट quote करना चाहती हूँ। "Economy and Education after Abrogation of Article 370", मैं उसकी एक रिपोर्ट का हवाला देना चाहती हूँ। "Core sectors of the economy of J&K have witnessed a steep decline after the abrogation of Article 370. Due to the communications blockade, curfews, and militant threats, in the past five months alone, the economy of Kashmir lost Rs. 178.78 billion and more than 90,000 jobs in the sectors of handicraft, tourism and information technology. The horticulture sector is in distress, tourism is in shambles, and students are suffering because of the ongoing internet blockade. It is for the first time..." -- सर, मैं सदन से दरख्वास्त करूँगी कि ठीक से सुनिए। -- "It is for the first time in the past 70 years that rural Kashmir is facing such a great degree of economic slowdown." -- 70 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से पहली बार हुआ कि rural कश्मीर में economic slowdown हुआ। -- "The apple industry in Kashmir, worth Rs. 80 billion which contributes eight percent of J&K's GDP, has been worst affected. Threats from militants, coupled with the Government's severe clampdown delayed the harvest for over a month, dealing a crippling blow to the industry during the peak harvest season. By the time the Government intervened and apple produce was procured and marketed by NAFED, the damage had been done. Much before this intervention, hundreds of farmers were forced to either sell their produce at throwaway prices or just watch their produce rot." उस जम्मू-कश्मीर के ये हालात हैं! सर, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, वहाँ के जो scholars हैं, मैं वहाँ के बहुत सारे लोगों से मिली। वहाँ पर उन्होंने कहा कि internet blocking की वजह से उनके स्कूल-कॉलेज का इतना नुकसान हुआ। एक तो कोविड से दो साल स्कूल-कॉलेज बंद थे, वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा भी ठीक नहीं है, इसके बाद अगर इंटरनेट भी बंद है, वहाँ पर 2G ही चल रहा है, चूँकि 2G से internet connectivity नहीं होती है, तो वहाँ के students सीखेंगे कैसे और वे घर में बैठ कर क्या करेंगे, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है।

सर, मैं पर्यटन के ऊपर बात करना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कश्मीर के बारे में बहुत वर्णन किया। किसी ने स्वर्ग बोला, किसी ने जन्नत बोला, किसी ने क्या-क्या बोला, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जन्नत में रहने वाले लोगों के दिलों में देखने की जरूरत है। सिर्फ कश्मीर

को जन्नत बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का जो दुख है, जब तक आप उन लोगों के दुख को नहीं समझेंगे, तो सिर्फ कश्मीर को जन्नत-जन्नत बोलने से कुछ नहीं होगा। वहाँ जाकर चार दिन शिकारे में रहना, उनके पिट्ठू और घोड़े पर घूमना-फिरना, इससे कश्मीर के दुख का हल नहीं होगा, बल्कि उनका दिल समझना पड़ेगा, उनके दर्द समझने होंगे। जम्मू-कश्मीर के लोगों को क्या मिला, इस गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया? जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के नाम पर यहाँ के 70 केन्द्रीय मंत्री, 70 Ministers were flown to Jammu and Kashmir. वे पहलगाम गए, गुलमर्ग गए और सब जगह घूमे। वे शिकारे में घूमे, डल लेक गए और वहाँ घूम कर उन्होंने कहा कि बहुत ही अमन-शांति है, जम्मू-कश्मीर बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा माहौल है। वे यहाँ आकर भाषण करते हैं कि हमारे राज्य में बहुत अच्छा चल रहा है। यह तो 'अंधा राजा और उसकी कानी प्रजा' जैसी बात हो गई। लेकिन हाल वैसा नहीं है। वहाँ हाल बहुत खराब है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार कोविड के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन में गिरावट आई है, उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। डल लेक के बारे में मुझे बाकी तो पता नहीं, अभी किसी ने बताया, लेकिन अगर आप डल लेक जाएंगे, तो आपको अपने हाथों से नाक बंद करके जाना पड़ेगा। डल लेक के लिए मैडम ने बजट में 273 करोड़ रुपये दिए हैं। इन पैसों से वहां कोई काम होगा, तभी तो दिखाई देगा, लेकिन वहां कुछ काम हुआ हो, हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' की तरह वह प्रोजेक्ट भी ऐसे ही चला जाएगा और डल लेक भी दूसरा 'नमामि गंगे प्रोजेक्ट' बन कर रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।

सर, CAG ने जो Prime Minister's Development Package (PMDP) के आंकड़े दिए हैं, उसमें जो unutilized PMDP Fund है, वह 261.9 करोड़ रुपये है। 2016-17 में 18.30 करोड़ रुपये का एमाउंट सैंक्शन किया गया था, जिसमें से सिर्फ 2.77 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2017-18 में 311 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 157 करोड़ रुपये खर्च हुए। 2018-19 में 171.87 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 79 करोड़ रुपये खर्च हुए और 2019-20 में 119 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 89.23 करोड़ रुपये खर्च हुए। CAG की रिपोर्ट के अनुसार चार साल में टोटल 501 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए थे, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 261 करोड़ रुपये खर्च किए, बाकी के पैसों को खर्च ही नहीं किया गया। यह पैसा वहां पर क्यों खर्च नहीं किया गया, इसका जवाब जम्मू-कश्मीर की जनता आपसे मांग रही है। एक तरफ उनके पास पैसों की कमी है, दूसरी तरफ सरकार उनके ऊपर उनका ही पैसा खर्च नहीं कर रही है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में जाने वाले जो पर्यटक हैं, वे सिर्फ पहाड़ या झील देखने या शिकारे में घूमने के लिए नहीं जाते हैं। हमारे देश के लोग बहुत श्रद्धालु हैं, वे अमरनाथ भी जाते हैं, खीर-भवानी भी जाते हैं, हज़रतबल भी जाते हैं, शंकराचार्य भी जाते हैं। जब ये यात्री वहां जाते हैं, तो उसमें जम्मू-कश्मीर के बहुत सारे लोगों की involvement रहती है, जिसमें घोड़े वाले होते हैं, पिट्ठू होते हैं, सामान ढोने वाले होते हैं, होटल वाले होते हैं, रेस्टोरेंट वाले होते हैं। इन सब लोगों का पिछले दो सालों में बहुत नुकसान हुआ है। जब हम लोग वहां जाते हैं, तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमें कुछ भी

पैसा नहीं मिला है, सब कुछ बंद पड़ा था, अभी-अभी खुला है। मैडम, ऐसे लोगों को राहत अनुदान देने की आवश्यकता है, उनको राहत अनुदान दीजिए, यह मेरा suggestion है।

सर, अब मैं आंतरिक सुरक्षा पर बात करना चाहती हूं। जब मैंने मैडम का लोक सभा का भाषण सुना, तो उन्होंने वहां पर कहा कि जम्मू-कश्मीर में कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन अभी अक्तूबर महीने में जिन लोगों की innocent killings हुईं, मैं उनके परिवार वालों से मिल कर, उनको गले लगा कर आई हूं। आंतरिक सुरक्षा के बारे में बोलते हुए मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊँगी, अभी फरवरी, 2021 में आकाश मेहरा, जिसका श्रीनगर में मशहूर कृष्णा ढाबा था, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, आंतकवादियों ने उनको मार दिया। 25 मार्च को लावेपुरा में एक आतंकी हमले में तीन जवानों को मार दिया गया। मार्च के ही महीने में आतंकवादियों ने एक म्युनिसिपल काउंसिलर को मार दिया। इतना ही नहीं, ये लोग जिस लोकतंत्र को मज़बूत करने का दावा करते हैं और बोलते हैं कि हमने वहां सरपंच के चुनाव करवाए, लेकिन जो सरपंच चुन कर आए, उनमें से एक-दो सरपंचों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। जिन सरपंचों को आप चुन कर लाते हैं, उनको संरक्षण देना भी तो केन्द्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी।

सर, सरकार के सभी दावों को झुठलाते हुए अभी जैसा मैंने बताया, अक्तूबर के महीने में कई मासूमों ने अपनी जानें गंवाईं, उनमें हमारे बिहार का एक भाई भी था, जो वहां पर वैंडर का काम करता था, उसने भी एक हमले में अपनी जान गंवाई। ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, स्वर्गीय माखनलाल बिंद्रू एक कश्मीरी पंडित था, वह कहीं नहीं गया था, वह श्रीनगर में ही रह कर रात-दिन अपनी मेडिकल की दुकान चलाता था, लेकिन एक दिन दवाई बेचते समय आतंकवादियों ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। हमारी एक सिख बहन, स्वर्गीय सुपिन्दर कौर, जो बहुत कम उम्र की थी, उसकी बेटी सिर्फ सात साल की है। जब मैं उसके घर गई और जब मैंने उस सात साल की बच्ची को देखा, तो मेरी आंखों में आंसू नहीं समाए। मैंने इन सबकी आंखों में बहुत पीड़ा देखी है। एक मोहम्मद शफी, जो बांदीपोरा का था, जिसका सिर्फ सात महीने का बच्चा था, उसको भी मार दिया गया। ये सब innocent killings अक्तूबर महीने में ही हुईं। हमारे नेता, श्री राहुल गांधी जी के कहने पर मैं इन सभी के घरों में हो कर आई हूं, चूंकि अपनी पार्टी की तरफ से मैं वहां की प्रभारी हूं। मैं जब इन सबसे मिलने गई, तो मैंने देखा कि यहां जिस अमन-चैन की बात ये लोग बोलते हैं, वह अमन-चैन बिल्कुल भी नहीं है। वहां के लोगों को और अधिक सुरक्षित वातावरण देने की आवश्यकता है। जिस आतंकवाद को खत्म करने का दावा यह सरकार करती है, वे सब दावे खोखले हैं।

महोदय, अगर सरकार के दावों की बात की जाए, तो जम्मू-कश्मीर का industrial revolution हो जाना चाहिए था। इन लोगों को industrial revolution शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों को industries का privatization करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन यहां industrial revolution की बात करते समय इनको यह पता नहीं चला कि यह कश्मीर है और कश्मीर में industries लाने के लिए इनको कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरीकल्चर हो या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो, वहां आज कम से कम एक लाख से अधिक नियुक्तियां खाली पड़ी हैं, जो अभी तक भरी नहीं गई हैं। वहां 15 हज़ार से अधिक इंजीनियर्स

घर में बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। बाकी जो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सीपीडब्ल्यूडी वर्कर्स हैं, उन्हें अपने वेजेज़ रेग्युलराइज़ कराने के लिए हर रोज रास्तों पर आना पड़ता है। ये सब हवाई बातें, ये सब जुमलों की बरसातें इनके द्वारा चलती रहती हैं। इनको लगता है कि यह लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक लोग आपके जुमलों के सहारे चलने वाले नहीं हैं।

महोदय, मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वप्रथम रहने वाले हमारे पुलिस के लोग, जो वहां काम करते हैं, उनकी दस हज़ार पोस्ट्स खाली पड़ी हैं, ये पोस्ट्स भी उन्होंने नहीं भरी हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर रखते हुए अगर सत्य पर आधारित मैं कुछ बात कहूं तो आप बुरा मत मानिये। मैं बताना चाहती हूं कि पिछले कई दिनों सदन में और सदन के बाहर जो चर्चा होती है, उससे बहुत दुख होता है। इस जम्मू-कश्मीर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान यदि मैं न बताऊं तो वह देश की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अगर किसी को इसका श्रेय जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है और किसी को नहीं जाता है और यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूं। ...(**व्यवधान**)... कांग्रेस ने हमेशा जम्मू-कश्मीर को इस देश के साथ जोड़ने का काम किया है, कांग्रेस ने हमेशा इस देश को एक साथ रखने का काम किया है, आपको इतिहास मालूम नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप पहले इतिहास पढ़िये। कांग्रेस ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का बहुत साथ दिया है। यहां विवेक तन्खा जी मौजूद हैं, आप कश्मीरियों की बात करते हैं, हमारी पार्टी एक कश्मीरी पंडित को यहां राज्य सभा में लाई है, आपने कितने पंडितों को यह मौका दिया? हमारी कांग्रेस में एक कश्मीरी पंडित है, आप कितने कश्मीरी पंडितों को यहां लाये, बताइये? हमारा एक कश्मीरी पंडित यहां है, जो सौ लोगों से ज्यादा भारी है। कांग्रेस ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का साथ दिया है, उनके आंसू पोंछे हैं।

सर, जम्मू में एक जगती जगह है, मैं खुद वहां गई थी। जगती में शेल्टर होम बना है। डा. मनमोहन सिंह जी जब प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने वह शेल्टर होम बनवाया था। वहां लोग अनशन पर बैठे थे। डा. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वहां रीहैबिलिटेशन सेन्टर बनाया गया। वहां जो लोग अनशन पर बैठे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि ये फिल्म लाइन के बड़े-बड़े लोग हैं, उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों पर बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन वे लोग यहां कभी आए ही नहीं हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, ये बॉलिवुड वाले सिर्फ वहां जाकर बोलते हैं। मेरा कहना है कि उनके यहां लेजिस्लेटिव सिम्पैथी होनी चाहिए। जब मैं उनके यहां गई तो उन्होंने कहा कि हमें तीस लाख रुपये पर फैमिली का पैकेज देने के लिए कहा था, लेकिन वह पैकेज अभी तक नहीं आया है, हम वेट कर रहे हैं कि हमारा पैकेज कब आएगा। मुझे लगता है कि उन्हें वह पैकेज देने की बहुत आवश्यकता है। मैडम, कश्मीरी पंडितों को डा. मनमोहन सिंह की सरकार ने यह पैकेज देने का प्रॉमिस किया था, वह उन्हें देने की आवश्यकता है, आप उन्हें वह पैकेज जरूर दीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : मैडम, आपको बहुत टाइम दिया गया है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगी, यह मेरी मेडन स्पीच है। कांग्रेस ने सभी लोगों का ध्यान रखा है, चाहे पंजाब हो, कांग्रेस ने लोगों के जख्मों को भरने का काम किया है। यदि किसी के जख्म खुले हैं, तो उनको भरने का काम किया है। कश्मीरी पंडितों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, मैं यह ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूं, क्योंकि अभी किसी ने उसका जिक्र किया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अब आप खत्म कीजिए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं खत्म कर रही हूं। श्री वी.पी. सिंह बीजेपी सपोर्टेड प्रधान मंत्री थे, मैं ऑन रिकॉर्ड यह बात लाना चाहती हूं और तब गवर्नर श्री जगमोहन जी थे। यह बात दुनिया को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को यह मालूम ही नहीं है, हम दूसरी बातें झुठलाते रहते हैं।

मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूं कि पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास कोई गया था। 18 अप्रैल, 2003 में श्रीनगर में एक रैली में तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी जी ने बोला था - हुर्रियत के साथ इंसानियत के दायरे में रहना होगा और वह केवल यही नहीं बोले कि सैपरेटिस्ट एंड पोलिटिशियन को उन्होंने मिनिस्ट्री में भी लिया।*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It will not go on record.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि कश्मीर का जो बजट है, वह कश्मीर के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : महोदय, कश्मीर का यह बजट कश्मीर के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस समय हमारे कई बहुत काबिल सदस्य इतने संवेदनशील मुद्दे पर बोल रहे थे, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please. Please. ...*(Interruptions)*.... He has shown his ... ...*(Interruptions)*.... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : महोदय, मुझे लगता था कि ये सब कश्मीर की empowerment के मुद्दे पर बोलेंगे, कश्मीर के लोगों की आँखों में खुशी आये, उनकी जिन्दगी में खुशहाली आये, उस मुद्दे पर

* Not recorded.

बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर 'कश्मीर फाइल्स' फिल्म की समीक्षा ज्यादा हुई, इस बजट के बारे में चर्चा कम हुई। मैं इनकी समस्या समझ सकता हूँ, क्योंकि इस 'कश्मीर फाइल्स' ने कई परिवारों और कई पार्टियों के गुनाहों की दबी हुई फाइल खोल दी है। चूँकि जब उन परिवारों और पार्टियों के गुनाहों की दबी हुई फाइल खुलेगी, जिनके गुनाहों का दर्द कश्मीर के लोग धारा 370 के खत्म होने से पहले तक झेलते रहे, तो निश्चित तौर से उन लोगों को दर्द भी होगा और परेशानी भी होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे कश्मीर के बारे में एक बात याद आती है। आज ही के अखबार में मैंने एक चीज़ देखी, उसे इस सदन में बैठे हुए आप सभी सदस्यों ने देखा होगा कि खाड़ी देशों का 36 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में घूम रहा है। इन गल्फ कंट्रीज़ का यह जो प्रतिनिधिमंडल है, वह केवल कश्मीर घूमने के लिए वहाँ नहीं घूम रहा है, बल्कि वहाँ पर real estate, दूर संचार, आयात-निर्यात और वहाँ के कृषि के क्षेत्र में अन्य जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, उनमें दुनिया के लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें, उन खाड़ी देशों के लोग निवेश कर सकें, उसके लिए सारे के सारे खाड़ी देशों के ये 36 प्रतिनिधि इस वक्त जम्मू-कश्मीर में हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है।

सर, भारतीय जनता पार्टी ने जब धारा 370 हटायी तो उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर की समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई चोरी-चोरी, चुपके-चुपके यह काम नहीं किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर नरेन्द्र मोदी जी तक, आडवाणी जी, अटल जी, जितनी भी लीडरशिप बीजेपी की रही है, सबका संकल्प था कि हम धारा 370 को कश्मीर से खत्म करेंगे और हमने इसे खत्म किया। कोई चीज़ चोरी-चोरी, चुपके-चुपके नहीं की गयी है। अभी मैं सुन रहा था कि कई माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि धारा 370 के खात्मे के साथ इस बजट में क्या हुआ, वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन बढ़ गया है, वह हो रहा है। मैं आपके माध्यम से केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मानवाधिकार आतंकवादियों और अलगाववादियों के ही होते हैं, कश्मीर के आम लोगों के और फौज के लोगों के नहीं होते? आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर बेगुनाह कश्मीरियों और फौज के लोगों पर पत्थर फेंको और फौज के लोग कहें कि 'बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है!' यह सम्भव नहीं है। जब मानवाधिकार की बात करते हैं, तब हमारे उन जवानों के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए, जो कि अपने खून-पसीने को बहाकर कश्मीर की सुरक्षा और कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम केवल कश्मीर से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कश्मीरियों से भी प्यार करते हैं। आप बार-बार कहते हैं कि मुझे कश्मीर से बहुत प्यार है। कश्मीर से हमें भी प्यार है और कश्मीरियों से भी हमें प्यार है। हमारे कश्मीर का एक-एक बच्चा प्रगति की मुख्य धारा में शामिल हो, प्रोग्रेस की स्ट्रीम में शामिल हो, इसीलिए progress और prosperity के साथ-साथ political process में भी कश्मीर के लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी हुई है।

सर, धारा 370 का खात्मा हुआ और आज निर्मला जी जम्मू-कश्मीर के लोगों की आँखों में खुशी के लिए, उनकी जिन्दगी में खुशहाली के लिए बजट लेकर आयी हैं। कहा जा रहा है कि अच्छा होता कि यह बजट जम्मू-कश्मीर की असेंबली में आता। आप चिंता मत करिए, वह भी होगा । हमने

political process शुरू किया है। आपने वहां 15-20 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं किए, वह भी वहां पर हुए हैं। लोगों ने पूरे जज़्बे और जुनून के साथ जनतंत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी की है। यह भी इसी समय में हुआ है। उपसभाध्यक्ष जी, हम पहले इस सदन से कोई भी कानून पारित करते थे, तो हम उसके अंत में लिखते थे 'except Jammu and Kashmir', अर्थात् यह जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू होगा। यह जो 'except Jammu and Kashmir' की बीमारी थी, वह खत्म हुई है और अब जब हमारे दोनों सदन कोई कानून बनाते हैं तो वह जम्मू और कश्मीर, लेह और कारगिल में भी लागू होता है। यह बदलाव आया है। केन्द्र सरकार के कार्यक्रम और योजनाएं थीं, 170 कानून थे, जिन्हें राज्य सभा और लोक सभा ने चर्चा करके हिन्दुस्तानी नागरिकों, महिलाओं, नौजवानों के लिए बनाया था, लेकिन उनकी कश्मीर के बॉर्डर पर नो एन्ट्री रहती थी और वह नो एन्ट्री किसी और ने नहीं, हम सबने लगा रखी थी। वह नो एन्ट्री किसी और ने नहीं, बल्कि आप जिन महापुरुषों की बात करते हैं, उनकी गलतियों का परिणाम था। हमने वह नो एन्ट्री का बोर्ड और बेरिकेडिंग हटायी है और हिन्दुस्तान की तरक्की के साथ-साथ कश्मीर के लोगों की तरक्की को भी जोड़ा है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा 334 कानूनों में से 164 कानून ऐसे थे, जो कहीं न कहीं कश्मीर और कश्मीरियों को progress की main stream से काट रहे थे। उनका भी खात्मा किया गया है। Child Marriage Act, शिक्षा का अधिकार, भूमि सुधार लागू किया गया। जम्मू-कश्मीर के जो तमाम दलित, पिछड़े और गुर्जर-बकरवाल समुदाय के लोग थे, उनको आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन वह जम्मू-कश्मीर में नहीं हो सकता था, क्योंकि हम जब कानून बनाते थे, तो उसमें 'except Jammu and Kashmir' लिख दिया जाता था, वे सारी सुविधाएं जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिली हैं। जम्मू और कश्मीर के लोग progress और prosperity के साथ-साथ poltical process में भागीदार बनें, हमने इस दिशा में काम शुरू किया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने आगे बढ़कर उसमें काम शुरू किया है। अभी हमारी बहन कह रही थीं कि हमारे इतने मिनिस्टर्स वहां इतनी बार गए और घूमकर चले आए। महोदय, कोई घूमने नहीं गया था। मैं भी कई बार वहां गया। अभी माननीय भूपेन्द्र यादव जी मुझे याद दिला रहे थे कि वर्ष 2014 में जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो मैं उस वक्त गया, जब श्रीनगर में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। उस समय श्रीनगर और उसके आस-पास के इलाके डूब रहे थे। उसकी मॉनीटरिंग प्रधान मंत्री जी खुद कर रहे थे और मेरे पास जब उनका फोन आया, आदेश आया कि आप फौरन कश्मीर जाइये और वहां मौके पर जाकर हालात देखिए। मैं वहां जाकर दो-तीन दिन रहा, मैंने वहां के हालात देखे, वहां के लोगों से मिला और वहां से लौटकर माननीय प्रधान मंत्री जी को उसकी जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने वहां की राहत के लिए जो व्यापक पैकेज जरूरी था, वह दिया। बाद में प्रधान मंत्री जी ने खुद जाकर वहां के हालात का जायज़ा लिया-यह संवेदनशीलता है, यह है कि कश्मीर से भी प्यार है और कश्मीरियों से भी प्यार है। वे तमाम आतंकवादी, अलगाववादी, जिनके बारे में अभी यहां महिमा-मंडन हो रहा था कि अभी भी वहां आतंकवाद चल रहा है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वहां जिस आतंकवाद को आपने दशकों में पैदा किया है, वह आज एक दिन में खत्म हो गया, लेकिन आज यदि आतंकवादी कश्मीर या हिन्दुस्तान के लोगों की सुरक्षा में कहीं भी खतरा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सुरक्षा बल उन्हें चूहे

के बिल से निकाल करके उनका सफाया करते हैं। यह बदलाव आया है। वे अलगाववादी, जो रोज़ एक पड़ोसी देश का झंडा लेकर घूमते थे और हिन्दुस्तान के झंडे को आग लगाते थे, आज वे गायब हो गए हैं। उस लाल चौक पर आज तिरंगा फहरा रहा है। अब वहाँ पर लोग गर्व के साथ तिरंगा फहरा रहे हैं। कश्मीर के लोग कभी भी हिन्दुस्तान के तिरंगे के खिलाफ नहीं थे। कश्मीर के लोग कभी भी हिन्दुस्तान के एक विधान और एक निशान के खिलाफ नहीं थे, बल्कि कुछ मुट्ठी भर अलगावादी इसके खिलाफ थे, जिनको यह खानदानी सियासत और खानदानी विरासत संरक्षण दे रही थी। इस बेईमानी की विरासत और खानदानी सियासत का खात्मा किया गया है, जिसका नतीजा आज यह है कि कश्मीर में एक positive और constructive माहौल बना है। मैंने इसका जिक्र किया कि आज दुनिया के तमाम लोग, अरब देशों के लोग वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर इतने वरिष्ठ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पड़ोसी देश तो इस तरह की चीज़ चाहता है कि यहाँ से इस तरह की आवाज़ उठे और वह कहे कि पर्लियामेंट में कहा गया कि कश्मीर में human rights का पूरा violation होता है। आप ऐसा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग, जो प्रोग्रेस की धारा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको उस ओर नहीं जाना चाहिए? क्या आप दुनिया को, खास तौर से उन देशों को यह संदेश देना चाहते हैं जो कि कश्मीर की तरक्की, शांति और prosperity के दुश्मन रहे हैं। आप यहाँ से कह रहे हैं कि वहाँ पर human rights का violation हो रहा है। मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा कि कोई human rights का violation नहीं है, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि human right केवल terrorists और separatist forces का है, हिन्दुस्तान के आम लोगों, कश्मीर के आम लोगों और हमारे सुरक्षा जवानों का नहीं है, तो यह आपकी गलतफहमी है। आज वहाँ पर शांति है और जो तमाम डेलिगेशन्स गए हैं, उनको भी इस बात का एहसास है। वहाँ पर सात मेडिकल कॉलेजेज़, पाँच नए नर्सिंग होम्स, एम्स आदि तमाम इस तरह के एक के बाद प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं।

महोदय, सब लोग कहते हैं कि गुलमर्ग और उसके इर्द-गिर्द के गाँव बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगहें हैं। मैं अभी लगभग दो महीने पहले वहाँ गया था। वहाँ पर पीने का पानी है। इस मोदी जी की सरकार ने 'हर घर जल' योजना के तहत उन दूर-दराज़ के गाँवों में पानी पहुँचा दिया है। वहाँ के लोगों ने इसके लिए उनको थैंक्स कहा है। उन्होंने कहा कि आप प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि हमारी माँ, बहनें पानी के लिए दूर-दराज़ की किसी झील से किसी तरह से पानी लेकर आती थीं, कभी-कभी वह पानी पीने के लायक भी नहीं रहता था, लेकिन आज हमारे घरों में पानी आ रहा है, बिजली पहुँच गई है। सर, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं तो इतना ही कहूँगा :

"न हमसफर न किसी हमनशीं से निकलेगा,
हमारे पाँव का कांटा हमीं से निकलेगा।"

इस तरह के जो संकट, कंटक थे, उनको मजबूत राष्ट्रवादी इच्छाशक्ति से ही निकाला जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ-साथ मानव अधिकारवादी भी होना चाहिए। पता नहीं, यह कौन-सी परिभाषा है, मैं इसको नहीं समझ सकता।

महोदय, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू-कश्मीर के लोग हिन्दुस्तान के तमाम हिस्सों में और जम्मू-कश्मीर में भी तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जब मैं जम्मू-कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तौ मैं उसमें लेह और कारगिल की भी बात कर रहा हूँ, उन तमाम दूर-दराज़ के इलाकों की भी बात कर रहा हूँ, जो आज इस बात का एहसास कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वे उस terrorism और separatism के चक्रव्यूह से बाहर निकले हैं। उस चक्रव्यूह को मजबूत करने में वहाँ की जो खानदानी और पारिवारिक सियासतें थीं, वे जम्मू-कश्मीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी चीज़ एकदम अचानक नहीं हुई है। आपने कहा होगा कि आप अनुच्छेद 370 की रक्षा करेंगे और हमने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की समस्याओं का कारण अनुच्छेद 370 ही है। अनुच्छेद 370 आतंकवादियों और अलगाववादियों का सुरक्षा कवच बना हुआ है, अनुच्छेद 370 उस खानदानी सियासत और बेईमान विरासत को मदद कर रहा था, इसलिए जम्मू-कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए इसका खात्मा जरूरी था और खात्मा हुआ भी। मैं केवल इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूँगा।

महोदय, इससे पहले जो हमारे माननीय सदस्य थे, उन्होंने इस संबंध में काफी बातें कही हैं। मैं माननीया मंत्री निर्मला जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक फायदा पहुंचाया। देखिए, आज यह पहली बार नहीं है। यह ठीक है कि बजट जम्मू-कश्मीर में पेश होता था, लेकिन वहाँ भी सब पैसा सेंटर से ही जाता था। यह कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी सरकार रही हो। बजट जम्मू-कश्मीर की assembly में पेश हो रहा हो, लेकिन पैसा यहाँ से जा रहा था! वह पैसा कहाँ जा रहा था, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा था, जम्मू-कश्मीर के लोगों की तरक्की में उसका कितना इस्तेमाल किया गया, क्या कभी इसका ऑडिट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 370 था, इसलिए कोई ऑडिट नहीं कर सकता था। उस लूट को सौ प्रतिशत छूट थी। जो पारिवारिक सियासत के महान लोग थे - आम लोगों तक उसका फायदा न पहुंचे, गरीबों तक उसका फायदा न पहुंचे, कमजोर तबकों तक उसका फायदा न पहुंचे, महिलाओं तक उसका फायदा न पहुंचे, educational empowerment के लिए उसका फायदा न पहुंचे - वे इस काम में पूरी तरह से लगे रहे। महोदय, उलट-पलट करके कभी खरगे साहब की पार्टी आ जाएगी, तो कभी एक परिवार की कोई और पार्टी आ जाएगी, कभी दूसरे परिवार की कोई पार्टी आ जाएगी, अतः परिवार का मकड़जाल चलता था, जिसका नुकसान देश के लोगों ने देखा है। मैं आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मजबूत इच्छाशक्ति को सलाम करता हूँ। इस बारे में कभी कोई सोचता भी नहीं था, हम भी कभी नहीं सोचते थे कि अनुच्छेद 370 कैसे हटेगा। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से है, श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने उसकी संरक्षा की हुई है, इसके बाद

भी तमाम लोगों ने रक्षा की हुई है, तो कैसे हटेगा, हम बहुत बार यह सोचा करते थे। ...(व्यवधान)... अटल जी ने तो यह संकल्प लिया था कि 370 का खात्मा होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी का manifesto भी देख लीजिए। आज जो हालात हैं, उन हालातों को और बेहतर बनाने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ कारगिल और लेह तरक्की की धारा में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसे और मजबूत किया जाए और वे ताकतें, जो जम्मू और कश्मीर की तरक्की की दुश्मन रही हैं, उनका खात्मा होना चाहिए, उनका सफाया होना चाहिए, धन्यवाद, वन्दे मातरम्।

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत इस बजट और विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तब मेरे मन में विचित्र भाव होते हैं - विस्मय, विषाद और विश्वास। विस्मय इसलिए, क्योंकि जिस राज्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वह इकलौता राज्य था, जिसका आज़ादी के बाद 2019 तक भी पूरे तरीके से सम्मिलन नहीं हो पाया। दूसरा विस्मय इसलिए, क्योंकि यह एक ऐसा राज्य था - जो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर, 1945 में बना, यह उसके दो साल के अंदर वहाँ चला गया। शायद मेरे विपक्ष के विद्वान साथी यूएन के archives में भी छाटेंगे, तो उन्हें मिलेगा नहीं कि शायद इससे पहले भी कोई मुद्दा यूएन में गया था। इसके साथ ही, विषाद इसलिए होता है, क्योंकि आज हम आय और व्यय पर बात कर रहे हैं, जबकि जहाँ भारत के राजस्व का सर्वाधिक व्यय होता रहा, वहाँ समस्या उत्तरोत्तर व्यापक होती रही, घाटी रक्तरंजित होती रही, परंतु इसके बाद भी किसी को कोई चीख सुनाई नहीं पड़ी। परंतु, विश्वास इसलिए होता है, क्योंकि हम उस पार्टी की तरफ से आए हैं, जिसके प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद पहली दीपावली कहाँ मनाई थी - जम्मू-कश्मीर में सरहद पर जाकर मनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री बने, तो उससे पहले 10 साल तक यह स्थिति थी कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा 26 जनवरी के दिन गवर्नर भी नहीं फहरा पाते थे, लेकिन 26 जनवरी, 1999 को वहाँ तिरंगा फहराया गया। जब हम विपक्ष में थे तो हम लोग लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष डा. जोशी जी के नेतृत्व में गए और तब उसके भी संयोजक युवा नेता के रूप में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री मोदी जी थे। हमारे ही संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस एकीकरण के लिए अपना बलिदान दिया था, तो विश्वास होता है कि अब इस समस्या का समाधान होगा।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। कश्मीर में बहुत अचरज की बात इसलिए है कि Kashmir has always been protected or projected by our opposition parties as a case of secularism and, in eventuality, it has become a challenge to nationalism. जबकि मज़ेदार बात यह है कि भारत का वह एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि 1976 में संविधान का संशोधन करके लोकतंत्र के काले अध्याय के दौरान जब यह शब्द जोड़ा गया था, तो धारा 370 की आड़ में वह कश्मीर में कभी अंगीकार ही नहीं हुआ। इस प्रकार, जो सेकुलर नहीं था, वही सेकुलरिज्म

का प्रतीक बना, परंतु 2019 में सेकुलर बनने के बाद आज यह आय-व्यय का तीसरा बजट आया है, तो हमें इस बात के लिए खुशी है।

सर, हमसे बहुत हिसाब माँगा गया कि साहब, आपने दो-ढाई साल में क्या-क्या किया, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विवेक तन्खा जी ने जब अपनी बात शुरू की थी, तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी, तो मुझे भी एक पंक्ति ध्यान में आती है:

"बड़े अजीब लोग हैं, जो मुद्दत से कांटे बोकर जमीं से गुलाब माँगते हैं,
और हमीं को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हमीं से पानी का पूरा हिसाब माँगते हैं!"

वह क्यों था? देखिए, नक़वी जी ने अभी बोला। जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी जी तो हमारी तरफ हैं, मगर ख़ुदमुख्तारी की खामखयाली कश्मीर के तमाम नेताओं के ज़ेहन पर इस कदर छाई हुई थी कि जब तक 2019 में वह निर्णय नहीं हुआ, तब तक वे उसी में चलते रहे और इसलिए वे हमसे हिसाब माँगते हैं। अब, जब हम इस आय-व्यय का हिसाब देते हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ देते हैं।

महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें पिछले वर्ष का बजट 1.2 लाख करोड़ रुपये का था, इस बार उसमें 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए उन्होंने 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, अगर हम देखें तो GST collection में 36.5 प्रतिशत और excise collection में भी 31.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जो GDP projection है, वह 2,03,716 है, जो कि पिछली बार से 7.5 प्रतिशत अधिक है। अगर हम गत वर्ष की revenue receipts देखें, तो वह 1,02,322 करोड़ और expenditure 71,615 करोड़ है, यानी इसमें भी हमने वित्तीय प्रबंधन और कुशलता का परिचय दिया है। फिर यह बात आती है कि यदि बजट का व्यय हो, तो वह सबसे पहले किस चीज़ पर होना चाहिए, तो उसका जवाब है कि वह democracy को strengthen करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में व्यय होना चाहिए। अगर हम देखें तो grassroots पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने 4,290 ग्राम पंचायतों के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, 20 district councils के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, 30 urban local bodies के लिए 313 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और 235 ब्लॉक्स के लिए 71.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उसकी efficiency के लिए हमने पंचायत स्तर पर 1,889 assistant accountants भी नियुक्त किए हैं, ताकि उस व्यय का समुचित रूप से उपयोग हो सके।

अब, एक विषय यह उठाया जाता है कि साहब, आपने आने के बाद सब कुछ किया, परन्तु जॉब्स के लिए क्या किया? अगर आप CMI का डेटा उठाकर देखें, तो पता चलेगा कि 2016 में बेरोज़गारी की दर 20 प्रतिशत थी, जो अब 13 प्रतिशत के आस-पास है, जबकि यह कोविड का काल था, इसके बावजूद हम लोगों ने उसमें सुधार करने में सफलता प्राप्त की है। दो साल में 11,000 गवर्नमेंट जॉब्स दी गईं और 20,000 प्रोसेस में हैं। जो new Central Sector Scheme है, जो 19 फरवरी, 2021 को लाँच की गई थी, उसमें 28,400 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे आने वाले समय में, in the long run चार से साढ़े चार लाख जॉब्स क्रिएट होने की पूरी संभावना है और

1,37,870 यूथ को entrepreneurship के लिए बैंकों के माध्यम से मदद दी गई है। अब यदि जॉब्स की बात करेंगे, तब आगे की गतिविधि बेहतर तरीके से तभी चल सकती है जब infrastructure बेहतर हो। पिछले ढाई-तीन वर्षों में infrastructure को बेहतर करने के लिए सरकार ने बहुत प्रबलता और दृढ़ता के साथ काम किया है, चाहे वह जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे को आगे बढ़ाना हो या दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे बनाने का काम हो, जिससे दिल्ली और वैष्णो देवी की दूरी अब छः घंटे में पूरी हो जाएगी। काज़ीगुंड-बनिहाल टनल, जो कि साढ़े आठ किलोमीटर की थी, वह पूरी हो गई है और श्रीनगर-सोनमर्ग की जो टनल है, वह दिसंबर, 2023 तक पूरी होने वाली है। अब जम्मू से किश्तवाड़ जाना हो तो साढ़े सात घंटे का सफ़र साढ़े पांच घंटे में और डोडा जाना हो तो साढ़े पांच घंटे का सफ़र साढ़े तीन घंटे में तय किया जा सकता है। विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार ने जिस ईमानदारी और दृढ़ता से काम किया है, यह उसका प्रमाण है।

यदि आप ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो वर्ष 2018-19 में NABARD ने 80.96 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसमें 28 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और गत वर्ष 1,487 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें 381 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को ग्रामीण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी प्राप्त हुई है कि 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' में, जो जम्मू-कश्मीर वर्ष 2018-19 में 12वें स्थान पर था, अब वह वर्ष 2021-22 में तीसरे स्थान पर आ गया है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमने कितनी ईमानदारी, दृढ़ता और गति के साथ काम किया है।

इसके बाद बात आती है कि infrastructure में पावर नहीं है, पावर की आवश्यकता बहुत है, तो पिछले 70 वर्षों में 3,000 मेगावॉट power थी। सरकार ने इसे अगले तीन वर्ष में double और 7 वर्ष में triple करने का लक्ष्य रखा है। विगत दो वर्षों में power transmission में 150 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त जो clean energy है, यानी solar energy की जो पावर है, उसके लिए भी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। इसकी पहली शुरुआत, जिसे कहते हैं, charity begins at home, जम्मू में 200 सरकारी इमारतों और श्रीनगर में 70 सरकारी इमारतों पर rooftop solar panel लगाए हैं, उससे कम से कम 12 मेगावॉट बिजली की बचत हुई है। पांच हज़ार से अधिक rooftop खेतों में लगाए गए हैं, जिससे किसानों को बिजली की प्राप्ति हो सके। यह क्लीन एनर्जी के लिए काम किया है। जैसा कि अभी नक़वी जी ने बताया कि हर घर में जल नल के द्वारा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है और वह प्रक्रिया पूरी होने की तरफ बढ़ रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात हुई है कि जम्मू-कश्मीर अब Open Defecation Free State बन गया है, यानी सफाई हो गई है, किंतु अभी और बहुत सी सफाई होनी बाकी है। सफाई अभी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग जम्मू-कश्मीर की शांति भंग करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, उनकी भी सफाई सरकार पूरी ईमानदारी से करेगी। अब वे लोग कहीं छिप गए हैं और कायराना हरकतें कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, यू.पी. में bulldozer चला था, कश्मीर में vacuum cleaner चलेगा और ढूंढ़-ढूंढ़ कर सफाई करने की व्यवस्था की जाएगी।

सुश्री दोला सेन (पश्चिमी बंगाल) : यह गर्व की बात है।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : आपने बहुत अच्छी बात कही है। गर्व की बात यह है कि इस दरमियान 182 terrorists और 44 कमांडर neutralize किए जा चुके हैं, 89 terror modules neutralize किए जा चुके हैं और अभी न पत्थरबाज़ी की घटनाएं होती हैं, न हड़ताल होती है, अब न ISIS के झंडे नज़र आते हैं, न पाकिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे लगाने वाले लोग नज़र आते हैं, न हुजूम करती हुई भीड़ नज़र आती है, जो किसी भी inspector Ayub pandith का कत्ल कर दे।

हमारी सरकार सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ी है। हमने वहां houseboat festival भी मनाया है, हमने वहां सूफ़ी festival भी मनाया है और हमने वहां कृष्ण जन्माष्टमी भी मनायी है। महोदय, वहां एक और festival भी मनाया है, जिसकी तपिश किसी और को महसूस हुई होगी। जो लोग कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस के उत्सव पर Dal Lake के चारों तरफ तिरंगों की कतार थी, उसने उनके दिल के अरमानों की होली अवश्य जलायी होगी, उसकी तपिश सिर्फ वही लोग महसूस कर रहे होंगे, वह भी एक अलग उत्सव है, जो शायद उन लोगों ने समझा होगा।

अभी नक़वी जी ने इस बात का उल्लेख किया कि श्रीनगर-शारजाह की flight 23 अक्टूबर, 2021 को शुरू हुई थी, मगर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि Gulf के CEOs भी आए हैं और हज़ारों करोड़ रुपये का investment लेकर, जैसा इन्होंने बताया कि real estate, power sector आदि में opportunity ढूंढ़ने के लिए आ रहे हैं - यह कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है! जो लोग tourism को लेकर बात करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अक्टूबर, 2021 से लेकर जनवरी के बीच में 50 लाख से अधिक tourists आए हैं, जो tourism के बारे में अभी तक की highest footfall है। यह इस बात को बताता है कि हमारी सरकार ने कितनी ईमानदारी से काम किया है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो विषय हमारे दिल के बहुत करीब है और बाकी लोगों के लिए राजनीति का एक उपादान है, वह कश्मीरी हिन्दुओं का विषय है। वर्ष 2014 में हमारी सरकार के आने के बाद ही प्रधान मंत्री महोदय ने 70 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज दिया था।

5.00 P.M.

सर, बहुत सारी बाधाएं थीं। चूंकि अब कश्मीर सेक्युलर हो चुका है, इसलिए हमने उस दिशा में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण काम किए हैं। जो कश्मीरी पंडित रजिस्टर्ड हैं, उनको प्रतिमाह 13,000 रुपये का मुआवज़ा देने और 6,000 accommodations के लिए हमने 920 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 3,000 स्टेट्स की जॉब्स, जिसका उल्लेख अभी विपक्ष की तरफ से भी किया गया, उसको भी हमने किया है और हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने बताया कि हम 610 families को वापस लाने में सफल हुए हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। विवेक तन्खा जी ने यह कहा था कि वे कश्मीरी

पंडित हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, मगर यह सत्य पूर्ण सत्य नहीं था, यह अर्ध सत्य था। ये सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं हैं, ये एक ऐसी पार्टी के नेता के प्रतिनिधि हैं, जो गोत्र बताकर, जनेऊ दिखाकर अपने को कश्मीरी पंडित बताते हैं, मगर वे जिस राज्य से सांसद होते हैं, वहां की इकाई लिखती हैं कि केवल 399 की हत्या हुई थी, उनके साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं था। बाद में भले ही वह ट्वीट डिलीट हो गया, मगर आपकी नीयत डिलीट नहीं हो सकी, इसलिए उन कश्मीरी पंडितों की तरफ से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि उनके साथ तो कुछ खास नहीं हुआ था,

"कि बहुत जुदा है इस दर्द की क़ैफ़ियत मेरी,
इधर मेरे दर्द की इन्तहा नहीं और तू कहता है कि ज़ख्म दिखता नहीं।"

उपसभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको ज़ख्म नहीं दिखता है। मगर वे लोग, जो यह कहते थे कि आतंकवाद का मज़हब नहीं होता है, उन्हें चलचित्र में आतंकवाद का मज़हब दिखता है। उन्हें एक मूवी में आतंकवाद का मज़हब दिखता है और वे सिर्फ देखते ही नहीं हैं, आतंकवाद से जोड़ते ही नहीं हैं, आतंकवाद को ओढ़ लेते हैं और ओढ़कर पूरी कम्युनिटी को ओढ़ा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने यह कहा और अन्य दुखद घटनाओं से जिस तरह की तुलना की गई, जो सांप्रदायिक दंगे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह दो दिन, चार दिन, दो हफ्ते या चार हफ्ते की चीज़ नहीं थी, यह बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। मुझे बचपन की एक घटना याद है, मैं उस घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 13 अक्टूबर, 1983 को वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारत की टीम यहां वापस आई, तब वेस्ट इंडीज़ के साथ एक सीरीज़ हुई थी, जिसमें एक वन डे इंटरनेशनल मैच श्रीनगर में भी हुआ था। उस भारत-वेस्ट इंडीज़ के मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगे, उस मैच को बीच में ही abandon कर देना पड़ा था। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है, "मैं समझ नहीं पाया हूं कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के मैच में पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे?" 1983 में किसकी सरकार थी? जिसको आप लोग उस ज़माने में सबसे शक्तिशाली प्रधान मंत्री मानते हैं, उसके बाद राजीव जी के जमाने में जो हुआ, चाहे टीका लाल टपलू जी की हत्या हो या जस्टिस गंजू की हत्या हो, वे सब बातें अपनी जगह हैं, परंतु यह इस बात को दर्शाता है कि वह समस्या कितनी पुरानी थी।

मुझे कश्मीर के संदर्भ में एक और बात याद आती है। कुछ लोग यह कहते हैं कि किसी फिल्म को लेकर एक narrative दिखाया जा रहा है। मैं narrative पर याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे 2007 का वर्ष याद आता है। क्यों? 2007 का वर्ष वह वर्ष है, जब अफ़ज़ल गुरू की क्षमा याचना के लिए सारे लोग एक साथ खड़े थे और 2007 का वर्ष वह है जब डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को दूसरा टर्म न दिया जाए, इसके लिए भी सब साथ खड़े थे। अब बताइए narrative कौन सेट करता है? जो लोग narrative की बात करते हैं कि हम किसी का demonisation कर रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, शायद हमारे विपक्ष के बहुत से लोगों को भी ध्यान नहीं हो, इस कश्मीर में भारत की सेना में एक अधिकारी ऐसा भी था, जिसने यह संकल्प लिया था कि जो अमुक इलाका हम पाकिस्तान से

हार गए हैं, उसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उसको जीत नहीं लूंगा, तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। वह झांगर का युद्ध था, जो अक्टूबर, 1947 में हमारे हाथ से निकल गया था और वे योद्धा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। जब वे फरवरी 1948 में दोबारा जीते, तो उनके सैनिक सबसे पहले पास के गांव से एक पलंग लेकर आए और उनसे कहा कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। यद्यपि एक महीने बाद वे शहीद हो गए।

मान्यवर, एक और बात मेरे दिल को पीड़ा पहुंचाती है। ब्रिगेडियर उस्मान हमारे राज्य के रहने वाले थे। कोई सेक्युलरिज़्म के सूरमा उनके घर पर नहीं जाते, जबकि उसी इलाके में, उसी जनपद में आतंकवाद के आरोपियों के घर पर वे सजदा करने के लिए जाते थे। आप बताइए narrative कौन सेट कर रहा था? इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम narrative की बात करते हैं, तो हम बिल्कुल ईमानदारी से देखें। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने एक अलग narrative सेट करने का प्रयास किया है। विकास का narrative, जो इस बजट में दिखाई पड़ता है। हमने यह कहने का प्रयास किया है कि अब आगे एक नया कश्मीर उठेगा। हम सिर्फ एकतरफा बात नहीं करते।...(**समय की घंटी**)... मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। हम वह कश्मीर बनाएंगे, जिसमें कोई जाकिर मूसा नहीं कह सकेगा कि यह कोई कश्मीरियत की नहीं, इस्लामी खिलाफत की लड़ाई है। हम वह कश्मीर बनाएंगे, जिसमें कोई मस्त गुल चरार-ए-शरीफ को जलाकर भाग नहीं सकेगा। हम वह कश्मीर बना रहे हैं, जहां कोई हज़रतबल में जाकर कब्ज़ा नहीं कर सकेगा, जहां पर सूफी संगीत भी होगा और वह कश्मीर होगा, जो कश्यप ऋषि के कश्मीर से भी जुड़ा होगा, नीलमत पुराण से भी जुड़ा होगा, ललितादित्य मुक्तापीड का शौर्य भी होगा और महाकवि कल्हण की राजतरंगिणी की जो तरंगे हैं, वह वितस्ता - यह झेलम का वैदिक कालीन प्राचीन नाम है, वह वितस्ता की तरंगों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आइए, आगे बढ़िए। भारत का वह हिमकिरीट, भारत माता का हिम शिखर, उससे स्वतंत्रता की सार्थकता आपको पुकार रही है। मैं यह पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं :-

'हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ -प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो!'

मैं कह रहा हूं कि आप सब आइए, आगे बढ़कर चलिए और मोदी जी के उस संकल्प के साथ चलिए, जिसने सारी समस्याओं का निदान कर दिया है। मैं एक पंक्ति और कह दूं -

"अब दर्द की रात गई, गम के ज़माने भी गए और
मोदी जी की हिम्मत से ये दाग पुराने भी गए।"

श्री उपसभापति : धन्यवाद त्रिवेदी जी। माननीय अब्दुल वहाब जी।

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, please do not stop me in between because I would speak only for a few minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You always talk very precisely. *...(Interruptions)....*

SHRI ABDUL WAHAB: Yes, if there is interruption in between, all of it is lost. I came for something but talking something after hearing Trivedi*ji* and our Mukhtar Abbas Naqvi*ji*. They are giving me hope of a new Kashmir. I appreciate that, if you can do that after 75 years of Independence. Mr. Pandit gave me a picture. After that, the other side gave me a different picture. If both of these are true, I am the happiest man. When Dr. Fauzia Khan told a small word, immediately, the Ruling side rose up, especially, the Minister. I wish the Minister should be in the front. Do not go back. Just like Shri Amit Shah, you come in the front because we want to see you as a Minister. That is why one talks about where Minister is and all; so I wish Minister is in the front.

Regarding Kashmir, we have heard a lot and experienced also but now, after the 370 gone, we are getting a rosy picture. I do not know which is true. Are you true or are they true? I am confused but I hope that Nirmala*ji* would give a better future for Kashmiris. We are worried about Kashmiris. Whether it is Hindus or Muslims, Pandits or Valley people, we want Kashmir as before, the *jannat* of India, the *jannat* of the world. But what is happening? I do not know what Pakistan or militants are trying to do. They would do more when Imran Khan's chair is at stake. They may do something else also but we should not be a prey for that one. That is my first request.

One more request is this. Do not make Lakshadweep also another Kashmir or something. Lakshadweep is very peaceful and now it is becoming at war or whatever you may call. So, do not make Lakshadweep -- it is closer to our State -- another Kashmir. It is a wonderful place. Now, it is the *jannat* but it is going to *jehannum,* which means hell. You are looking at the watch.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I am looking.

SHRI ABDUL WAHAB: That is the problem between you and me. Whenever I come, automatically, you come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to follow time. You also have to follow time.

SHRI ABDUL WAHAB: Maybe, you are the only one! The others are supportive or not, I do not know. Anyways, regarding the Kashmir issue, whatever I am.....*(Interruptions)*.... Just like what the real Pandit -- he is the only one Pandit according to me; the BJP was not electing a Pandit, I do not know for what reason and he is the only Pandit here -- was giving me a picture of Pandits and the other people. Now, after hearing Trivedi*ji*, I am changing my mind about what is happening. "Everything is very, very rosy. Everything happening after Article 370 is very good." So, if it is true, I respect them. And, if it is not, I am with our real Pandit. So, please Nirmala*ji*, what you have to do is, do something good for Kashmir, whatever may be the politics here and there. Please do that. Thank you very much.

संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : उपसभापति जी, जम्मू-कश्मीर के बजट के संदर्भ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले मैं टूरिज्म के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूरिज्म के दृष्टिकोण से बहुत important स्टेट था, मगर बहुत सालों से अलग-अलग कारणों से पूरा टूरिज्म जीरो पर आ गया था। वहां पर जाने के लिए कोई टूरिस्ट नहीं था, कोई ऑफिसर जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई मिनिस्टर जाने के लिए तैयार नहीं था और वे वहां जाने से पहले कई बार सोचते थे। आज जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि इस महीने जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट गए हैं। हमने जम्मू के लिए 322 फ्लाइट्स चलायीं और श्रीनगर के लिए 512 फ्लाइट्स चलायीं। मैं संसद को बताना चाहता हूं कि आने वाले तीन महीनों के लिए श्रीनगर में रूम की availability नहीं है, क्योंकि summer के महीनों में देश भर से लोग वहां पर जाना चाहते हैं। कुछ मिनिस्टर्स, विपक्ष के नेता तथा कुछ और लोग उधर जाना चाहते हैं, मगर वहां पर रूम्स की availability नहीं है। अब यह स्थिति जम्मू कश्मीर की है। कभी हम लोगों ने सोचा था कि ऐसी स्थिति होगी या पुरानी स्थिति होगी, परन्तु मोदी जी की सरकार ने ऐसा करके दिखाया है और हमारी सरकार में जम्मू-कश्मीर को टूरिज्म की दिशा में बढ़ावा मिला है।

उपसभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि टूरिस्ट पॉलिसी आने के बाद टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट में काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से लोग इन्क्वायरी करते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए वे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। महोदय, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इसका कारण क्या है? महोदय, आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद देश के सभी लोग टूरिज्म के दृष्टिकोण से जम्मू-कश्मीर को देखना चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर की सुंदरता को देखना चाहते हैं, मगर पहले ऐसी स्थिति नहीं थी।

उपसभापति जी, आज जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं। शारजाह से फ्लाइट्स की शुरुआत हुई है। पहले श्रीनगर में नाइट फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं होती थी, किन्तु आज हमने नाइट फ्लाइट्स की लैंडिंग की व्यवस्था करवाई है। नवम्बर, 2019 में 36,728 टूरिस्ट्स वहां पर गये थे। अगर हम इसे 2019 से कम्पेयर करते हैं, तो कोरोना के बाद भी, अगर हम मार्च के महीने की स्थिति को देखते हैं, तो एक महीने में टूरिस्ट की संख्या three times increase हुई है। आर्टिकल 370 से पहले टूरिस्ट की संख्या 36,000 थी, अभी एक महीने में, यानी मार्च में 1,13,000 टूरिस्ट आज जम्मू कश्मीर में हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसे आपको समझना चाहिए।

उपसभापति जी, वहां पर एक ज़ोजिला टनल है। जब मैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि वे 50 साल से इसकी डिमांड कर रहे हैं, मिलिट्री डिमांड कर रही है, वहां रहने वाले लोग डिमांड कर रहे हैं कि पुलवामा से श्रीनगर तक एक टनल होनी चाहिए। वे 50 सालों से यह डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए लगभग 7-8 बार टेंडर्स हुए, पर कोई काम नहीं हुआ, कोई काम करने नहीं दिया गया, लेकिन मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि आज हम मोदी सरकार के नेतृत्व में 5 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से ज़ोजिला टनल बना रहे हैं। उसके कॉंट्रेक्टर के साथ, जो tender review था, उसमें हमारा पहले यह लक्ष्य था कि इसे 2026 तक पूरा करना है, मगर मोदी जी द्वारा रिव्यू करने के बाद अब 2024 के अंदर वह ज़ोजिला टनल पूरी होगी। 365 days पुलवामा से श्रीनगर तक रास्ता होगा, बर्फ के समय में भी रास्ता होगा। पहले पूरा रास्ता बंद होता था, मगर 15 किलोमीटर की इस टनल के आने के कारण बर्फ के समय में भी हमारी सिक्युरिटी फोर्सेज़, हमारे पैसेंजर्स एवं आम जनता वह रोड यूज़ कर सकती है। यह हमारी नरेन्द्र मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का हमारे विकास का परिचय है।

महोदय, मैं रोड के infrastructure के बारे में बताना चाहता हूं। Before Article 370, 2019 में 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' में जम्मू-कश्मीर का देश में बारहवाँ रैंक था, लेकिन आज आपको यह सुनकर खुशी होगी कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में - आर्टिकल 370 के बाद जितने भी गाँव हैं, उन गाँवों को रोड से जोड़ने के लिए प्रयास किए गए हैं। हमारी सरकार जम्मू-कश्मीर में प्रयास कर रही है और 100 परसेंट Central Government schemes के द्वारा जम्मू-कश्मीर देश में 12वें रैंक से 4TH रैंक पर आया है - यह विकास नहीं है, तो और क्या है? महोदय, इस राज्य को 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' ने 12वें रैंक से 4TH रैंक तक पहुंचाया है।

उपसभापति जी, मैं जम्मू-कश्मीर के highways के बारे में कहना चाहूंगा कि prior to 2019 highways पर जाने में समय लगता था। जम्मू के टूरिस्ट्स हमें ऐसा बताते हैं कि tourist bus एवं गाड़ी को वहाँ तक जाने में समय लगता था। पहले Trucks के जाने में 24 to 72 hours लगते थे, summer में 24 hours लगते थे, और अगर बर्फ गिर जाए, तो वहाँ तक जाने में 72 hours लगते थे। आज के समय में सिर्फ 12 घंटे में ट्रक्स load लेकर जाते हैं। पहले passenger की गाड़ी या cars में जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए 7 to 12 hours लगते थे, लेकिन अब वे लोग सिर्फ five-and-a-

half hours में पहुंचते हैं। हमने रोड्स ठीक किए हैं, व्यवस्था ठीक की है, जिसके कारण वे वहाँ जल्दी पहुंच जाते हैं।

उपसभापति जी, मुझसे पहले वाले वक्ता ने हॉस्पिटल्स के बारे में बताया होगा। मैं two new AIIMS hospitals, seven medical colleges, two Cancer institutes and 15 nursing colleges का जम्मू के संदर्भ में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं कोरोना के संबंध में बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में इसका 96 percent vaccination हुआ है। क्या कभी ऐसा सोच सकते थे? महोदय, border areas में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के लोगों का कोरोना से बचाव के लिए 96 per cent vaccination हुआ है। महोदय, और क्या होना चाहिए? महोदय, भारत सरकार इस कोरोना काल में पूरे जम्मू-कश्मीर में सभी गरीब लोगों को दो साल से पाँच-पाँच किलो ग्राम चावल दे रही है। महोदय, जनता के लिए और क्या होना चाहिए?

उपसभापति महोदय, हम 'प्रधान मंत्री आवास योजना' पर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। 'जल जीवन मिशन योजना ' एक नई स्कीम है, इस स्कीम में two districts में 100 per cent houses को cover किया गया है। पीने के पानी से - जंगलों में, पहाड़ों में, जम्मू-कश्मीर के two districts में इसको पूरा किया गया है और माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 18 डिस्ट्रिक्ट्स में, August, 2022 तक काम करने का लक्ष्य हमारे मिनिस्टर, हमारी मिनिस्ट्री के सामने रखा है।

महोदय, मैं आज आपको यह बताना चाहूंगा कि Smart Cities Mission के अंदर जो 276 projects थे, उनमें से 85 smart cities projects 100 परसेंट कम्प्लीट हो गए हैं। मैं आपको 'पोषण अभियान' के बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी इधर बैठे हैं, इसके अंदर 8.5 lakh beneficiaries को cover किया गया है। मैं water supply पर भी बताना चाहता हूं कि हमने all schools, all *anganwadis* को पहले से ज्यादा 90 परसेंट कवर किया है। महोदय, मैं housing पर भी कहना चाहूंगा कि आज 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंदर घोषणा की गई है कि 100 per cent door-to-door waste collection को ग्राम पंचायत से जोड़कर, municipalities से जोड़कर, कमिश्नर से जोड़कर door-to-door 100 per cent collection किया गया है। पहले 2019 में यह 52 per cent था, पर अभी 100 per cent है। पहले वहां 570 वाड्र्स थे, अभी 1,085 divisions हैं, पूरे divisions में आज ‘स्वच्छ भारत’ के अन्दर door-to-door कूड़ा collections करने का काम कर रहे हैं। AMRUT Projects के तहत पहले 34 projects जम्मू-कश्मीर में थे-उन 64 प्रोजेक्ट्स में से 34 प्रोजेक्ट्स को complete कर दिया गया है।

Smart City के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। आज health programme में भी जो infant mortality rate है, उसमें भी भारत सरकार के द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर अच्छे काम हो रहे हैं। Higher education के मामले में भी पहले वहां 96 engineering colleges थे, लेकिन आज 147 इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हो गये हैं। ऐसे ही चाहे industrial development हो या employment

generation हो, मैं बताना चाहता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर में employment generation के लिए काम हो रहा है। सबसे ज्यादा improvement, law and order में, employment के द्वारा ही, चाहे देश में हो या जम्मू-कश्मीर में हो, जरूरी है। इसके लिए employment opportunities के लिए जम्मू-कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 'Mission Youth' नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। उसके अन्दर पांच आई.आर. battalions के द्वारा भी लोकल लोगों को, जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को जोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। Two नई women battalions को जोड़कर जम्मू-कश्मीर की हमारी बहनों को उसमें लेने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दो बड़ी बटालियंस का भी इसमें पूरा recruitment हो गया है और 10,000 class IV employees की आज vacancies हम fill up कर रहे हैं। Accelerated recruitment के अन्दर 12,379 वेकेंसीज़ को हमने fill up किया है। Jammu Kashmir Board के द्वारा 20,223 भर्तियां आज हो गई हैं। उसके साथ ही साथ जम्मू-कश्मीर के Public Service Selection के द्वारा 2,119 gazetted officers को recruit किया गया है। यह छोटा विषय नहीं है, इस कम समय में कोरोना के बीच में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर यह काम पूरा किया है।

जम्मू-कश्मीर में two Centres of Excellence in automobile sector भी शुरू हुए हैं। 4,500 youth clubs खोले गये हैं। Self-employment स्कीम के द्वारा 1,37,870 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। वैसे ही युवाओं के लिए skill development and innovation में सपोर्ट देने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने Tata Technology के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है। Centres for Invention, Innovation, Incubation & Training (CIIITs) के द्वारा यह establish हुआ है। उसका काम शुरू हुआ है। जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के अन्दर दो IT parks तैयार किये हैं। जिस जगह स्कूल भी नहीं चल रहा था, वहां हमने आई.टी. पार्क्स तैयार किये हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रूरल बी.पी.ओ. के एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। 'जम्मू-कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन' के अन्दर 4,80,000 औरतों को आज रोजगार देने के लिए पूरा प्लान हुआ है और इसका काम शुरू हो गया है। 56,000 'सेल्फ हेल्प ग्रुप्स' को इससे रूरल मिशन के अन्दर जोड़ दिया गया है। 36,000 टीचर्स को एक ऑर्डर के द्वारा रेगुलराइज़ किया गया है, जो लगभग पिछले 20 सालों से टीचर का काम करते थे-मोदी सरकार के आने के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद 36,000 टीचर्स को रेगुलराइज़ किया गया है।

इतना ही नहीं, हमारे नरेन्द्र मोदी साहब ने हमें लक्ष्य दिया है कि हर यूनियन मिनिस्टर जो मोदी सरकार में है, सभी लोगों को जम्मू-कश्मीर जाना चाहिए, हर महीने जाना चाहिए, हर महीने टारगेट दिया गया है कि किस-किस को जाना चाहिए। वे हर मिनिस्टर को टारगेट देते हैं, इसके लिए वे वहां नाइट हॉल्ट कर रहे हैं, वे सुबह जाकर शाम को वापस नहीं आते। वे बोलते हैं कि टूरिज़्म के लिए वहां नहीं जाना चाहिए, लोगों के दुख में भाग लेने के लिए जाना चाहिए, यह बात नरेन्द्र मोदी जी, प्रधान मंत्री जी हमें बार-बार बोलते हैं। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। वे PMO से monitoring करते हैं। अगर कोई मिनिस्टर सुबह जाकर शाम को वापस आ गया, तो प्रधान मंत्री जी उस मिनिस्टर से direct फोन करके पूछते हैं कि आप क्यों वापस आ गए, क्या कारण था, आपने

night halt क्यों नहीं किया, आपने क्यों Civil Service के लोगों के साथ मिल कर काम नहीं किया, आपने क्यों वहाँ developmental activity के बारे में review नहीं किया? इस तरह से हर महीने हम प्रधान मंत्री के ऑफिस को इसकी रिपोर्ट देते हैं। यह हमारे काम करने का तरीका है।

उपसभापति जी, इसी तरह से चाहे वह industrial developmental हो, आज भारत सरकार हर विषय पर काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग developmental activities पर काम कर रही है। जम्मू-कश्मीर आज एक नए सफर पर निकल पड़ा है। सभी लोगों को सोचना चाहिए कि यह एक नया सफर है। आज जम्मू-कश्मीर terrorism से tourism की ओर जा रहा है। पहले आपकी सरकार में वहाँ जो tourism था, उस tourism को आप लोगों ने खत्म किया। आपकी सरकार में वहाँ terrorism था। हमारी सरकार आने के बाद आज जम्मू-कश्मीर terrorism से tourism की ओर आगे बढ़ रहा है। आज stone pelting की जगह वहाँ school attendance बढ़ रही है। पहले students स्कूल नहीं जाते थे, कॉलेज नहीं जाते थे। उनके हाथों में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने stones दिए थे, आज stones की जगह भारत सरकार के कारण बच्चे pen और computer mouse लेकर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज वहाँ बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के आने से पहले वहाँ लोग बेरोजगार थे। क्यों? क्योंकि आतंकवाद के कारण वहाँ कोई activity नहीं चलती थी, सिर्फ आतंकवाद चलता था और लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। अब जम्मू-कश्मीर बेरोजगारी से रोजगार की ओर आगे बढ़ रहा है। ये अच्छे काम हैं।

उपसभापति जी, पहले वहाँ corruption था। वहाँ कैसा corruption था! वहाँ पेपर के ऊपर development का काम होता था। पहले केन्द्र सरकार development के नाम पर जितने पैसे भेजती थी, पूरे पैसे के लिए पेपर के ऊपर utilization certificate मिलता था। आज भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के द्वारा वहाँ हरेक अधिकारी की accountability है। आज वह corruption से accountability तक पहुँचा है। आज वहाँ family rule की जगह जनता का rule होने वाला है, people's rule होने वाला है। पहले वहाँ परिवार का राज चलता था, आज प्रजातंत्र के राज में वहाँ गाँव-पंचायत से लेकर, मंडल से लेकर जिला परिषद् तक elected representatives administration चला रहे हैं। पहले परिवार administration चलाते थे। आज वहाँ हम गरीब लोगों के लिए, Scheduled Caste के लोगों के लिए, Backward Class के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए reservation लाए। पहले वहाँ reservation भी कम था। हम वहाँ बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के लिए reservation लाए। पहले यह नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद हमने reservation की व्यवस्था की है। पहले पूरे जम्मू-कश्मीर की सत्ता का centralization था, एक परिवार के हाथ में centralization था। पहले जितनी भी agencies थीं, multinational companies की agencies थीं, वे एक ही परिवार के control में थीं। चाहे वह सीमेंट कंपनी की agency हो, चाहे वह automobile company की agency हो, उस परिवार को छोड़ कर दूसरे व्यक्ति को वह agency नहीं मिलती थी। आज जम्मू-कश्मीर centralization से decentralization की ओर आगे बढ़ रहा है।

उपसभापति जी, वहाँ पहले anti-India slogans चलते थे, वहाँ तिरंगा झंडा जलाया जाता था, लेकिन आज वहाँ लोग खुशी से हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे अच्छा क्या होना चाहिए! आज वहाँ anti-India slogans की जगह pro-India slogans आ रहे हैं। पहले वहाँ 'आप हिन्दुस्तानी हैं', ऐसा बोलते थे, जबकि आज लोग बोल रहे हैं कि 'हम हिन्दुस्तानी हैं'। बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हम भारत के हैं, हम भारत का विकास चाहते हैं। आज हम जनता में इतना बदलाव लाए हैं। आप बताते हैं कि पुलिस की ज़बर्दस्ती से ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी को भी पुलिस से, military से कोई दबा नहीं सकता है। ...(**समय की घंटी**)... हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने प्रजातंत्र के आधार पर लोगों का दिल जीता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में रहने वाले, बॉर्डर में रहने वाले मुस्लिमों, हिन्दुओं, सिखों, ईसाइयों, सभी लोगों का दिल जीता है, मैं यह बताना चाहता हूँ।

उपसभापति जी, आज जम्मू-कश्मीर अलगाववाद से राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ रहा है। आपके राज में अलगाववाद था, लेकिन हमारे राज में हमने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रवाद को मज़बूत किया है, आप लोगों को यह बात माननी चाहिए। जम्मू-कश्मीर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर की जनता के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन जो लोग ज़ोर-जबरदस्ती से प्रयास करके international papers में लिखवाते हैं, वह सब असत्य है। अभी 300 मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट स्वयं जम्मू-कश्मीर घूम कर आए हैं। इनमें विपक्ष के लोग ज्यादा थे। भारत सरकार उनको लेकर गई थी, इसका कारण यही था कि वे लोग स्वयं वहां देखें। उन सबको संसद में वहां के विकास की बात बतानी चाहिए, शांति की बात बतानी चाहिए, वहां पर आतंकवाद खत्म हो गया है, यह बताना चाहिए। वहां पर अब आतंकवाद नहीं रहा है।

हमें एक बात माननी चाहिए, चाहे आप कांग्रेस पार्टी से हों, बीजेपी से हों या किसी दूसरी पार्टी से हों, हम जम्मू-कश्मीर को मज़बूत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को इस काम में हमारे साथ आना चाहिए, धन्यवाद।

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for having permitted me to speak on this Jammu and Kashmir Appropriation Bill. It is such an honour given to me by my party Chief, Tiruchi Siva Sir. I thank him for this. I would like to highlight a few points in which this J&K Appropriation Bill failed to address and how the previous State Government of Jammu and Kashmir had performed well when compared to the present Union Government, and I would like to mention some of the dual perspectives of this present Government with the redundant thoughts raised by the hon. Members of this Upper House. Sir, the hon. Minister of Finance, Thirumathi Nirmala Sitharaman has said this point during her speech when moving this J&K

Appropriation Bill, "The powers of the legislature of the Union Territory of Jammu and Kashmir are exercised by or under the authority of the Parliament." I still have doubt that what authority they gave when they revoked Article 370. Sir, she also said that one nation, one Constitution and one flag have been adopted in the Union Territory of Jammu and Kashmir. In that case, why have they degraded the one State into two different Union Territories? They don't want to unify the States which are against their deceptive propaganda. Hypothetically, what if the supreme body degrades the country to State? Are we in the position to empathize the feeling of indigenous people of Jammu and Kashmir? I would say, degrading the State to Union Territory is one of the major mistakes done by this Union Government. Sir, she also said about strengthening the grass-root democracy. Sir, this is the third time that this Government is presenting this Bill. Initially it was presented by the elected representatives of the State. When will the democracy be re-established? Sir, in Animal, Sheep Husbandry and Fisheries sector in which the Valley is well-known for, there are no announcements regarding the successful cooperative dairy sector schemes. Sir, in tribal welfare, they have mentioned that 8000 meritorious tribal students will be given tablets. What a social injustice! All the tribal students should be empowered equally; we should not differentiate based on merits. Sir, in the employment sector, they have mentioned that in the last one-and-a-half year they have made 11,000 new employments but there is no data as to how many indigenous people are being offered the employment.

Sir, in the Registration Department, they have said they are going to register the documents in three languages. Which are those three languages? Because, Sir, we know that Kashmiri is one of the 14 official languages mentioned in the original Constitution. Now, it is 22 official languages and Kashmiri is also there in the list. But, no fund allocation has been made to empower the language. Sir, as usual, in the industrial development, higher importance has been given only to the larger investors. No proposal has been made to empower the MSME sectors. Only the MSMEs can empower the local employments. Again in the industrial development, they said they have received proposals worth Rs. 3,000 crore which were finalized. Finalized to whom? In which Sector?

Sir, I would like to quote one example. In 2018-19 Budget, which has been presented by the previous Jammu & Kashmir State Government, Jammu and Kashmir State Finance Corporation had issued a share buyback offer and have got a good and unexpectedly positive response. Also they had the policy to keep the corporations as a

debt free company. But our present Union Government has the policy to sell Public Sector Undertaking shares.

Sir, I would like to conclude with my final note that this Jammu and Kashmir (Appropriation) Bill, 2022 is like a multi-national corporation's Budget. It does not consider the language, culture, tradition and sentiments of the people of Jammu & Kashmir. The Union Territories are aspiring to become States but this Union Government degrades the States into Union Territories. This shows the utter disregard for federal character of the Constitution. Thank you, Sir.

ले. जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (रिटा.) (हरियाणा) : महोदय, मैं आपका और अपनी पार्टी का शुक्रगुज़ार हूं कि इतने अहम इश्यू पर मुझे बोलने का मौका दिया। तन्खा जी अभी यहां नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने डल लेक के weeds से अपना भाषण शुरू किया था कि डल लेक full of weeds है और माननीय रजनी अशोकराव पाटिल ने तो यह भी कहा कि लेक के पानी में बदबू आती है, मगर असलियत यह है, मैं दो महीने पहले कश्मीर गया था। मैंने अपनी फौजी सर्विस कश्मीर के श्रीनगर से ही शुरू की थी। वहां साथ में weeds ही weed out नहीं हो रहे हैं, माननीय मनोज सिन्हा जी कश्मीर से करप्शन को भी weed out कर रहे हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज़, सिक्युरिटी फोर्सेज़ मोदी जी और श्री अमित शाह जी की कमांड में मिलिटेंसी और इनसर्जेन्सी को भी वीड आउट कर रही हैं। वहां स्मैल वाले पानी की जगह हमारे नज़रिये में तो एक साल में कुछ ऐसा नजारा होगा -

"ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा,
ये झील सी नीली आंखे, कोई राज़ है इनमें गहरा"

इस तरह का नज़ारा हमने पहले भी देखा है। जब डल लेक जमती है, तब उस पर हम तीन साल पैदल भी चले हैं। अब वह ज़माना लौट कर आयेगा। मैं सिर्फ एक पोलिटिशियन नहीं हूँ, सिर्फ एक एमपी नहीं हूँ, मैं भुक्तभोगी भी हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ माननीय सांसदों ने फौज को demonize करने की कोशिश की। फौज देश का सेहरा तो है, मगर फौज देश की compulsion भी है। वह compulsion इस तरह है कि यह purely political problem नहीं है। हमारे दुश्मन देश की फौज यह प्रॉब्लम trans LoC बैठ कर ही कायम रखे हुए है, क्योंकि अगर हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में अमन कायम हो जाये, तो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि इस एक मुल्क के दो हिस्से किसलिए किये गये। उससे military establishment of Pakistan की अहमियत और relevance खत्म हो जाती है। इसलिए जंग ने अपना स्वरूप बदल लिया है और वह insurgency का रूप लिए हुए है। ऐसे हालात में हम कितने ही कारगर हों, enemy का interest रहेगा कि छिटपुट वारदात होती रहे।

सर, मैं फौज का दूसरा चेहरा बताऊँगा। 2014 के फ्लड में तो खुद मेरे बच्चे तैर कर डूबे हुए नागरिकों की मदद करने गये तथा वहाँ दवाइयाँ और राशन भिजवाया। साथ ही फौज 'ऑपरेशन

सद्भावना' के तहत remote areas में, यानी गुर्जर-बकरवाल एरियाज़ में, जो पहाड़ों पर हैं, जैसे तंगधार, कारगिल, even गुलमर्ग - मेरे साथ मनसुख मांडविया जी घूमने गये थे, तो कुछ लोग तो यह कह रहे थे कि लोग बड़े नाराज हैं, नहीं, गुर्जर-बकरवाल एरियाज़ में लोग बड़े खुश हैं कि उनको रिजर्वेशन मिला, उनको हिन्दुस्तान के क़वानीन, यानी कानूनों का पूरा लाभ मिल गया और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधान मंत्री जी की सारी लाभकारी योजनाएँ उन तक पहुँचीं। तो यह 'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत बर्फ में मदद करना, तिब्बी मदद यानी मेडिकल इमदाद देना और साथ में घायलों का, बीमारों का इलाज करना फौज का दूसरा चेहरा है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। वैसे तो human rights की बात की गयी, मगर 92 बेस हॉस्पिटल, श्रीनगर, बादामी बाग कैंट, जिसका इतना अच्छा नाम है, वहाँ पर एक ANE ward यानी Anti-National Elements के लिए भी एक ward बनाया गया है। अगर टेररिस्ट्स भी जख्मी हालत में पकड़े जाते हैं, तो वहाँ उनका इलाज किया जाता है। फौज में तो उसका इतना बड़ा नाम है कि चाहे कोई जवान कारगिल में घायल हो जाये, वह कहता है कि एक दफा 92 बेस हॉस्पिटल पहुँच गया, तो मैं जिन्दा रह जाऊँगा। अब कश्मीर का नाम लें, कश्मीरी पंडितों का नाम लें और कश्मीर समस्या के जनक का जिक्र नहीं करें, तो वह बात बेमानी होगी। वे जनक थे - हमारे first Prime Minister. वैसे तो उनके 'Glimplses of World Histrory', 'Discovery of India' और 'Autobiography' में भी हिन्दुस्तान के इतिहास का जिक्र है, ...(**समय की घंटी**)... मगर इतने बड़े इतिहासकार बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती कर गये। यानी इतिहास के पन्नों ने कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं कि "लम्हों ने ख़ता की तो सदियों ने सज़ा पायी।" उनकी create की हुई धारा 370 के सम्बन्ध में मोदी जी ने कहा कि न तो हम समस्या को टालते हैं और न ही समस्या को पालते हैं।

श्री उपसभापति : वत्स जी, अब आप conclude कीजिए प्लीज़। Please conclude.

ले.जनरल (**डा.**) **डी.पी. वत्स** (**रिटा.**): एक मिनट, सर। मैं 40 साल पहले बादामी बाग कैंट में मन में यह सोचता था कि अगर यह धारा 370 नहीं होती.. तो हम इस वादी में रहते, क्योंकि एक फौजी अपनी 30-40 साल की सर्विस में वहां कम से कम 6 से 10 साल तक रहता है। उसके बच्चे भी वहीं पैदा होते हैं।

श्री उपसभापति : प्लीज़ कन्क्लूड।

ले.जनरल (**डा.**) **डी.पी.वत्स** (**रिटा.**) : उपसभापति महोदय, धारा-370 को finish किया गया और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूं कि मेरे बटन दबाने का भी उसमें एक योगदान था। उपसभापति महोदय, समय का constraint है, वरना मुझे बहुत कुछ बोलना था। बहुत-बहुत शुक्रिया। 'जय हिन्द'।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने जम्मू कश्मीर के विनियोग विधेयक पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं ज्यादा समय न लेकर तीन-चार सुझाव रखूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करुंगा कि जब जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का काम सम्पन्न हो चुका है, तो वहां जल्द-से-जल्द चुनाव कराकर वहां के जनप्रतिनिधियों को बजट पेश करने का मौका दें। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहले वक्ता थे, उन्होंने कहा कि वहां प्रशासनिक व्यवस्था है, अफसरों की व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल स्व. श्री जगमोहन मल्होत्रा जी राजनेता तो नहीं थे, वे तो एक IAS अफसर थे, फिर उनको वहां क्यों भेजा गया? उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए क्या काम किया? दूसरा, जम्मू-कश्मीर में रोजगार सृजन की व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्रियों ने बोलने के दौरान जो आंकड़े पेश किए, उनके अनुसार रोजगार का सृजन तो हो रहा है, लेकिन इससे भी और अधिक रोजगार का सृजन होना चाहिए तथा वहां कल-कारखाने खुलने चाहिए। तीसरा, वहां 'The Jammu and Kashmir Urban Property (Ceiling) Act, 1971' लागू होना चाहिए और जो बड़े-बड़े भूमिपति हैं, उनसे जमीनें छिननी चाहिए और वे सामान्य जन को मिलनी चाहिए। चौथा, 'रोशनी एक्ट' के तहत जिन लोगों की जमीन ली गई है, उसे लौटाया जाना चाहिए। उसमें 25 हजार करोड़ का लक्ष्य था, किन्तु 25 करोड़ ही इकट्ठा हो पाया। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर की जो इकाई है, वहां की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो सुधार किया गया है, उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए।

5 अगस्त, 2019 के पहले इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा होगा और अपने मित्र और सहयोगी, श्री अमित शाह जी से कहा होगा :

"जज़्बे शौके शहादत से हमें क्या फायदा,
हमने भी सर अपने हाथों पर कर लिया है।
आखिर कत्ल से कब तक डरूँ मैं,
जब कातिलों के मोहल्ले में घर कर लिया है।"

इसलिए उन्होंने जो निर्णय किया, उन निर्णयों के आधार पर विनियोग विधेयक के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए जो राशि दी गई है, वह उनको मिलनी चाहिए।...(**समय की घंटी**)... जयराम रमेश जी काँग्रेस के बहुत बढ़िया नेता हैं, पढ़ने-लिखने वाले हैं, किताबों में पड़े हैं। मैं 1968 की एक घटना बता कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। डा. राममनोहर लोहिया और शेख अब्दुल्ला 1968 में जयप्रकाश बाबू के पास गए थे। शेख अब्दुल्ला जी ने जयप्रकाश बाबू से कहा कि जयप्रकाश, जनता तुम्हारी बात सुनती है। तुम राजनेता थे, समाजवादी थे, तो सर्वोदय में चले गए। तुम सर्वोदय से हटो और जनता की आवाज़ को सुनो तथा जनता को जाग्रत करने का काम करो। जम्मू-कश्मीर में जो समस्याएँ हैं, हम सब चल कर वहाँ की समस्याओं का निदान करने का काम करें और जम्मू-कश्मीर को आज़ाद करने का काम करें।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, राम नाथ जी।

श्री राम नाथ ठाकुर : महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ :

"कौन कहता है कि हम-तुम में जुदाई होगी,
यह हवा किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।"

जय हिन्द, जय हिन्द!

श्री उपसभापति : धन्यवाद। माननीय जुगलसिंह लोखंडवाला जी।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज अपोज़िशन के बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात कही, लेकिन वे अपनी बात कह कर चले गए।...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : मनोज जी, वे हैं, पर बहुत कम हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, आप विषय पर बोलिए।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : आप इस पवित्र मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो बात बताते हैं, उसमें इतना *बोलते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि बाहर लोग टीवी पर आपको देख कर सीखते हैं। आप इतनी * बात बताते हैं। शायद आपको आपके साथ रहने वाले लोग इसके लिए प्रोत्साहित करते होंगे, पर जनता जाग गई है। आज की तारीख में जनता ने एक मन बना लिया है कि माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय जुगलसिंह जी, *शब्द असंसदीय है, इसलिए कृपया आप बातचीत में संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : ये हर बार असत्य बात बताते रहते हैं और इसी का सहारा लेकर ये लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आपको यह मालूम था कि 70 साल पहले काँग्रेस ने जो एक निर्णय लिया था, वह गलत था। आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वह हमारा मुकुट है। वह मुकुट काफी वर्षों से

---

* Expunged as ordered by the Chair.

अलग पड़ा हुआ था। अगर उसको एक करने का किसी ने काम किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है और नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

तीसरी बार जो यह बजट आया है, इस बजट के अंदर क्या है? यह बजट जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए है। जो वहाँ तीन परिवार के लोग हैं, भारत सरकार के जो पैसे आते थे, वे नोच-नोचकर उन्हें घर में डाल लेते थे। यह बजट उन्हें दूर रखने के लिए और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए है। आज माननीया मंत्री निर्मला जी यह बजट लाई हैं, आपने बजट में देखा होगा, इसे हमारे काफी सारे वक्ताओं ने भी बताया है कि वहाँ पर मेडिकल सुविधा के लिए दो एम्स, करीब दो कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं और 500-500 बेड के दो हॉस्पिटल्स भी बनाए गए हैं। यह सब बनाया गया है, यह अभी बजट में नहीं है, बल्कि बनाया गया है। इसके साथ-साथ, वहाँ पर दो और मेडिकल कॉलेजेज़ और उसके 15 नर्सेज़ कॉलेजेज़ भी हैं। यह सब मेडिकल सुविधाएं देने का काम किसी ने किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी टीएमसी के हमारे माननीय सदस्य नदीमुल हक जी बात कर रहे थे, वे चले गए हैं। ...(**व्यवधान**)... वे हमारे साथ थे। हम करीब-करीब अगस्त में साथ गए थे। जब हम वहाँ घूमने गए, तब वहाँ इतने सारे टूरिस्ट्स आए हुए थे कि हमारे रुकने के लिए जो होटल चाहिए था, हम जो five star hotel माँग रहे थे, वह होटल हमें नहीं मिल रहा था और यहाँ आकर वे असत्य बोल रहे थे कि वहाँ पर कुछ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़ बैठकर आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... आप चेयर को एड्रेस करें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ बैठकर बात न करें। ...(**व्यवधान**)... सीट पर बैठकर टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : महोदय, माननीय सदस्या रजनी पाटिल जी बता रही थीं कि तीन सालों से बार-बार एक ही बजट आ रहा है और वहाँ हमारे जो लोग हैं, उन्हें कोई facility नहीं मिल रही है। एक बार बता रही थीं कि दस हज़ार पुलिसकर्मी भर्ती करने हैं, एक बार बता रही थीं कि वहाँ पर कई लोगों पर गोलियाँ चलीं, किसी को मार दिया, वहाँ पंचायत के कोई सदस्य थे, उन्हें भी मार दिया, ऐसा बता रहे थे और Opposition भी बता रहा था कि आप लोगों ने वहाँ पर सब लोगों को बंधक बना दिया है, तो आप एक तरफ तो यह बात करते हो और दूसरी तरफ यह बोलते हो कि इस बजट को वहाँ विधानसभा में लाना चाहिए था। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़ कंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के और भी वक्ता हैं।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : ये दो रीतियां हैं। एक बार आप बता रहे हैं कि बंधक बनाया हुआ है, किसी को मार दिया है, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं और एक बार बता रहे हो कि आपको

बजट वहाँ देना था! मैं माननीया मंत्री निर्मला जी के इस बजट का समर्थन करता हूँ, जय हिन्द, वन्दे मातरम।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (ANDHRA PRADESH): Sir, this Bill is introduced under Section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, read with Articles 239 and 239A of the Constitution and Section 74 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act.

Sir, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022 is introduced to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the Financial Year, 2021-22.

The Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022 is to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the Financial Year, 2022-23. Sir, we are in the process of considering these two Bills.

The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022 intends to draw a sum of Rs. 18,860,32,34,000 from the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir. This amount is meant to spend, to defray several charges which will come in course of payment during the Financial Year, 2021-22, in respect of the services specified in column 2 of the Scheduled of the said Bill.

6.00 P.M.

Sir, the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 2022 seeks to draw a sum of Rs. 1,42,150,09,87,000 out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu & Kashmir for the financial year 2022-23. The purpose for which the amount will be spent is given in column 2 of the Schedule of the Bill.

Sir, August 05, 2019 is a landmark day in the history of Jammu and Kashmir, which was a State them. The Union Government after winning the General Elections, 2019, took this decisive step. When the special status was revoked, the State was under President's Rule since 19th December, 2018. More than two years and seven months have elapsed. J&K Delimitation Commission was notified in March, 2020. Recently, the Commission was given two months' extension with a deadline on 5th May, 2022.

Sir, we have to adhere to the true spirit of the federal principle enshrined in our Constitution. Federal principle is a part of the Basic Structure of the Constitution. We have to respect it. It is high time we clearly earmarked the constituencies, so that the elections can be held in a possibly short time and fiscal responsibility can be handed over to the people's representatives of that area.

Sir, we have to adhere to the fiscal responsibilities to ourselves through Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Under this Act, we have the responsibility to fonfine our Revenue deficit and Fiscal deficit within the prescribed limit.

श्री उपसभापति : माननीय नीरज शेखर जी।

श्री नीरज शेखर : उपसभापति जी, कितना समय है?

श्री उपसभापति : पाँच मिनट।

श्री नीरज शेखरः महोदय, मैं बजट के प्रावधानों के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं बड़ी देर से सभी लोगों को सुन रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से दो-चार चीज़ों के बारे में कहना चाहूँगा।

सर, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं जब से राजनीति में आया हूँ, जब से सदन में आया हूँ, 2007 से लगातार गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमिटी का सदस्य हूँ। आप इसे मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य समझिए कि उस समय उस कमिटी के साथ मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला। मैं अपनी बात इस चीज़ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उस कमिटी के साथ उस जगह पर गए, जहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं। जो विस्थापित हुए थे, जम्मू में रहते थे, उनके कैम्पों में जाने का हमें मौका मिला। आज हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उस समय वे उस स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष थे। वहाँ हम लोगों ने उनकी व्यथा सुनी। जब हमने एक-एक परिवार की गाथा सुनी, तो उस कमिटी के जितने लोग उस समय हमारे साथ थे, उन सबकी आँखों में आँसू थे। उस समय उनकी यह बात सुनकर सब लोग रो रहे थे कि किस तरह वे निकाले गए, किस तरह उनका उत्पीड़न हुआ। केवल वहीं तक नहीं, बल्कि वहाँ के बाद हम लोग श्रीनगर गए। मैं यह देख रहा हूँ कि हमारे विपक्ष के कई साथी बार-बार यह पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, विस्थापित लोगों को वापस लाया गया या नहीं, उनके लिए कैसे क्या हुआ है? मैं उनके कैम्पों में गया। मैं 'कैम्प' इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय भारत सरकार ने एक योजना शुरू की कि हम लोग कुछ लोगों को वापस ले चलेंगे और उनको नौकरियाँ दी जाएँगी। उनको टीचर्स की नौकरियाँ दी जाएँगी और वे लोग कश्मीर में जाकर रहेंगे। उस समय यह एक पहल

हुई। आज इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इन सबको पहले उन कैम्पों में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर कश्मीरी पंडित किस तरह रह रहे हैं। वहाँ एक कमरे में चार परिवार रह रहे हैं। मैं उन लोगों की बातों को आज तक नहीं भूला हूँ। वे हमसे कहते थे कि सर, कभी-कभी रात में लोग आते हैं और हम लोगों को डराने के लिए बंदूक से गोलियां चलाते हैं, ताकि हम लोग वापस चले जाएँ। लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं और हमने यह दृढ़संकल्प किया हुआ है कि हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग यहाँ रहकर अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों में यह भावना थी। मुझे आज भी याद है कि एक परिवार की छोटी बच्ची ने हम लोगों से कहा कि "अंकल, हम लोगों को यहाँ पर डर लग रहा है, हम लोगों को वापस भेजिए"। यह उनकी व्यथा है और धारा 370 हटने के बाद आज उन परिवारों में आशा की एक किरण जगी है। मुझे आश्चर्य होता है। मैं yield करने को तैयार हूँ, इस सदन में कोई यह बताए कि धारा 370 हटने से उन लोगों को क्या तकलीफ है?

हम लोगों ने यह कहना बंद कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हम लोग हमेशा अपने भाषणों में कहते थे कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, हम ऐसा क्यों कहते थे - क्योंकि तब हमें लगता था कि वह भारत के बाहर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज हम लोग संकल्प के साथ कह सकते हैं कि वह भारत का अंग है, यह फ़र्क है। इसके लिए विरोध हो रहा है, मैं हैरान हूं! सबके भाषणों में एक बात सामने निकल कर आयी कि आर्टिकल 370 - आखिर आर्टिकल 370 हटने से क्या तकलीफ़ है? आप लोग बात कर रहे हैं कि वहां उत्पीड़न हो रहा है, लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जो जम्मू-कश्मीर पुलिस में हैं, क्या आप उनकी व्यथा जानते हैं? वे कौन लोग हैं, वे वहीं के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, आतंकवादियों की गोलियां खा रहे हैं, आप उनका मनोबल कम कर रहे हैं। कृपया ऐसी बातें न कीजिए, बाहर ऐसा संदेश मत भेजिए कि हम लोग इस चीज़ में एक साथ नहीं हैं। मैं हैरान हूं कि विस्वम जी ने बोला कि "Kashmir is a dying State." मैं विपक्ष के लोगों को सुनता हूं। पहले किसी ने कहा था कि "Calcutta is a dying city." आप लोगों को याद होगा, कृपया यह सब बंद कीजिए। यह प्रदेश भारत का अंग है, और हमेशा रहेगा, इसको कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, चाहे आप लोग जितना लगे रहें।

मैं अपने विपक्ष के साथियों से जानना चाहता हूं कि कितने बंद हुए, 5 अगस्त, 2019 के बाद कितने बंद हुए? निवेश तभी आएगा, जब शांति रहेगी। अब बंद नहीं होते हैं, पत्थरबाज़ी नहीं हो रही है, हड़ताल नहीं होती है। पहले यह था कि कोई केंद्रीय मंत्री गया, बंद हो गया। गृह मंत्री जी गए तो बंद का एलान हो गया, प्रधान मंत्री जी गए तो बंद हो गया, विपक्ष के लोग गए, तब भी बंद था। मनोज जी, यह मत बताइए कि आप लोग एयरपोर्ट से वापस क्यों आ गए। आप लोगों के साथ ही कई लोग थे, जो वापस आना चाहते थे, एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जाना चाहते थे। इसलिए इस बात को मत कहिए। सबको पता है कि वहां क्या स्थिति थी। मैं यह बात कहने के लिए सुबह से बैठा था कि आप लोग इसको एक मुद्दा मत बनाइए। कश्मीर विकास के मार्ग पर चल रहा है, इसमें आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। जब देश की बात आए, तब सबको एक साथ खड़े होकर एक बात कहनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता था, धन्यवाद। जय-हिन्द!

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to express the views of our Party, AIADMK, on these Jammu and Kashmir Appropriation Bills. The hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, has moved the Bills to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the Financial Year 2021-22 and also 2022-23. Many of the hon. Members have expressed their views in the House. The Members from the Opposition have expressed their concerns. At the same time, the Members from the Treasury Benches have appreciated the steps taken by the Government in Jammu and Kashmir.

I am very happy that our hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, spoke in the Lok Sabha and explained the actions taken by the Modi Government there to help the people of Jammu and Kashmir. We know that our House has a limitation about this financial Bill. These are the financial Bills. We cannot completely reject them. We can say certain things on what we want. The Lok Sabha has already passed these Bills. We know that very well. In these circumstances, I appreciate the Finance Minister when she said in the Lok Sabha that the weaker sections of the society have been given suitable reservation in seeking Government jobs. The persons discriminated against since ages, like displaced persons of Pakistan-Occupied Jammu and Kashmir and Chamba, West Pakistan refugees, residents of border areas and Kashmiri migrants have been suitably empowered to get the benefits. This is the thing that we have been expecting from this Government. In the present situation, our Modi Government has initiated so many welfare schemes to benefit the Kashmiri people. We appreciate that. Therefore, we are supporting this.

As far as democracy is concerned, most of the Members have said that democracy should be restored in Jammu and Kashmir and Statehood status should be given to Jammu and Kashmir. Already when hon. Minister, Naqvi ji and others intervened in the discussion, they have assured the House that Modi Government is taking all the steps to see that democracy is restored there, and, in due course of time, Jammu and Kashmir will get the status of a State, what was originally there.

Sir, after successful implementation of 73rd and 74th Constitutional Amendments regarding Panchayati Raj institutions, Urban Local Bodies, District Development Council and Block Development Council, the main focus of the Government is to empower the

local body institutions, and, for that, nearly a thousand crores of rupees have been allocated, as mentioned by the Minister in the Lok Sabha. Sir, so many measures for transfer of powers are being taken. Sir, the Covid-19 pandemic situation was managed well in Jammu and Kashmir. With regard to the industrial development in the area, the Government is taking steps in this regard. All this gives some kind of assurance to the people of Jammu and Kashmir that Modi Government is doing good for them. It has generated a sense of confidence in the people. Sir, I do not wish to elaborate but in the limited time, I would say that our Party, AIADMK, supports this Bill.

Sir, in the end, let me talk about industrial development. To attract more investment, now the Government has taken a lot of steps to create an atmosphere to ensure that investors come there and invest and employment opportunities can also be created. For that, sufficient amount has been allocated. Employment generation is very important because this is what the youth is expecting now-a-days in our country. If you are not able to give employment, it will lead to unrest. Sir, the youth of Jammu and Kashmir wants employment opportunities. Only tourism cannot help. Tourism can help for a certain period only. Sir, if we establish industries, especially, the MSME, only then, the youth will get the employment opportunities. For giving them training in this regard, the Government has established so many educational institutions. Not only engineering colleges, medical colleges have also been established in Jammu and Kashmir, and, this has given a lot of confidence to the people of Jammu and Kashmir.

Therefore, Sir, I compliment the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and, hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman for taking all these steps to develop Jammu and Kashmir and restoring democracy in Jammu and Kashmir. This is what the Opposition also expects it and Members from the Treasury Benches have already assured that Modi Government will definitely do it. Once again, I thank you for giving me the opportunity to express my views on the Appropriation Bills relating to Jammu and Kashmir. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह नागर जी, आप बोलिए। हालांकि पार्टी का समय खत्म हो चुका है, लेकिन जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि चाहे नॉर्थ-ईस्ट हो, आदिवासियों पर डिस्कशन हो या कश्मीर पर डिस्क्शन हो, जिन भी माननीय सदस्यों का नाम मैंने देखा है, सभी ने दो-चार मिनट बोला है। सुरेन्द्र सिंह नागर जी, आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने धारा 370 और 35ए जैसे कानून खत्म करके कश्मीर को इस देश की मुख्य धारा में शामिल करने काम किया। इसके साथ ही मैं वित्त मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.42 लाख करोड़ रुपये करने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास को एक नई गति देने का काम करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

उपसभापति महोदय, जब जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बिल आया था, उस समय मैंने इस बिल के समर्थन में राज्य सभा से इस्तीफा दिया था। एक लंबे समय से मेरे मन में शंका थी। मैं जिस परिवार से आता हूं, जिस समाज से आता हूं, उसी समाज के हमारे परिवार के लोग जम्मू-कश्मीर में रहते हैं, जो गुर्जर-बकरवाल ट्राइब्स हैं। वे लोग अक्सर आकर मुझसे मिलते थे। पूरे देश में ट्राइबल्स को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो अधिकार भारत के संविधान में मिले हैं, इस धारा 370 की वजह से वे अधिकार उन लोगों को नहीं मिल रहे थे। धारा 370 खत्म करने के बाद आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले देशभक्त गुर्जर-बकरवाल, जो ट्राइब्स हैं - पूरे देश में जो अधिकार ट्राइबल्स को हैं - उनको वह अधिकार देने का काम इस देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

उपसभापति जी, अभी बात आई कि हमारे सांसदों का एक दल वहां गया और उसको एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया गया। शायद भाई मनोज जी ने उसका जिक्र किया था। मेरे मन में भी एक शंका थी। धारा 370 हटने का मैंने समर्थन किया था और मेरे मन में एक बात थी कि अगर मैंने इसका समर्थन किया है, तो मुझे जमीन पर जाकर भी इसे देखना चाहिए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि शायद वह 18 सितम्बर का दिन था, जब मैं यहां से श्रीनगर गया। मैंने वहां अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई थी। मैंने वहां से टैक्सी ली। मैंने वहां के टैक्सी ड्राइवर से बात की। मैं जिस होटल में रुका, उसमें single occupancy थी, कोई व्यक्ति वहां नहीं था। उस समय मैंने वहां जो यूथ थे, जो वहां नौकरी करते थे, जो बीबीए थे, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, जब मैंने उन लोगों से बात की, तो मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं सांसद हूं। मैंने पूछा कि धारा 370 हटने के बाद आपका क्या विचार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उनके मन में कई तरह की शंकाएं थीं। उनके मन में शंका थी कि उनकी जमीन हड़प ली जाएगी और बाहर के लोग यहां पर कब्ज़ा कर लेंगे - इस तरह का भ्रम उनके मन में फैलाया गया था। उनसे बहुत लम्बा डिस्कशन करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि हम रोज़गार चाहते हैं, हम employment चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जम्मू-कश्मीर की अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी है, तो वह बेरोज़गारी है। मैंने उनसे पूछा कि जो पोलिटिकल पार्टियां हैं, जिन्होंने लंबे समय से इस प्रदेश में राज किया है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए, उन शब्दों का प्रयोग मैं पार्लियामेंट के इस फ्लोर पर नहीं कर सकता हूं। यह राय वहां के यूथ की उन पोलिटिकल पार्टियों के बारे में है, जिन्होंने लंबे समय वहां

राज किया है। यह बात उस समय उस यूथ ने मुझे कही। उसके बाद मेरे मन में आया कि बाहर निकला जाए। एक बड़े सूफी संत वहां रहते हैं। मैंने निर्णय लिया कि मैं वहां जाऊं। उस समय डर था, भय था। मैं उस सूफी संत से मिलने गया। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा महसूस करते हैं? वे बोले कि हम देश की रक्षा के लिए तैयार हैं और हम इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि जाकर अपने नेतृत्व से कहना कि इस देश के बॉर्डर पर रहने वाले जो गुर्जर-बकरवाल परिवार हैं, उनको सेना में भर्ती करें, पुलिस में भर्ती करें, वे देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। मुझे यह वहां धारा 370 हटने के बाद देखने का मौका मिला। ...(**समय की घंटी**)... आपने bell बजाई है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक विषय पर अपनी बात रखकर अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। ट्राइबल्स को जो लाभ मिले हैं, फॉरेस्ट एक्ट का अगर लाभ मिला है, तो धारा 370 हटने के बाद मिला है। अगर यह बात करें कि इस बजट से वहां families को क्या लाभ मिलेगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो दो लाख यूथ और ट्राइबल्स हैं, बजट और scholarship की जो सुविधा है, उनको वह मिलेगी। इस बजट से उनको लाभ होगा और उनको रोज़गार मिलेगा, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण वहां के यूथ को लाभ मिलेगा। आज बेरोजगारी की बात हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर में 70 हज़ार करोड़ का investment आएगा और उससे बेरोज़गारी दूर होगी। यह काम यदि किसी ने किया है, तो इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। ...(*समय की घंटी*)... मुझे उम्मीद है कि ये सब काम जो धारा 370 हटने के बाद हुए हैं, उनसे जम्मू-कश्मीर में अमन, शांति और विकास का नया रास्ता खुलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय जयराम रमेश जी।

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Thank you, Sir. Many passionate and political speeches, eloquent speeches, have been made from the Opposition and from the Ruling parties. I have only four specific questions to ask of the hon. Finance Minister and they relate to the budgetary arithmetic. They don't relate to the politics or the development of J&K but they relate to the Budget of J&K.

Sir, the expenditure figure that has been projected is very impressive. It is reaching Rs.1,40,000 crore. It is obviously based on revenue receipts crossing almost a lakh crore rupees. When I look at the papers and try to find out what is the source of this impressive increase in the revenue receipts, which account for the increase in the expenditure, it appears that a bulk of it is based on the sale of State PSUs, the sale of State Public Sector Companies. Most State Public Sector Companies in almost all the States, but particularly in J&K, are either sick or are themselves dependent on budgetary support. So my first question to the hon. Finance Minister is this. Is this

assumption that you are going to generate a lot of revenue by selling State PSUs all that viable given the state of the PSUs in Jammu and Kashmir?

Sir, my second question is this. The Revenue Receipt Budget is dependent on Additional Resource Mobilization (ARM). It is not again clear what are the specific measures for raising additional resources. I can understand that the Centre will give more loans to the State but that is not Additional Resource Mobilization. You are not going to factor in loans from the Centre as Additional Resource Mobilization. I would like to understand from the hon. Finance Minister what the Additional Resource Mobilization is. Are they additional taxes? Are they user charges? What are the additional resources on which the Revenue Receipt Budget is based?

Sir, my third question is this. The GST revenue is projected to double this year. This is very impressive. But it is also unprecedented. I am trying to understand what gives the Finance Minister and the formulators of the revenue budget the confidence that the GST revenue is going to double in one year which has not happened before anywhere.

Finally, Sir, the Jammu and Kashmir Industrial Development Corporation (JKIDC) was set up to promote industrialization of the State which we all support and which we all welcome. However, when you look at the way the JKIDC is structured, it has become a land bank. It is basically a land bank. It has got enormous powers to either acquire land or to lease land or to get land, obviously to provide this land for private investors. No State in India today has the liberalized land market that exists in J&K. Not in Maharashtra. Not in Tamil Nadu. Not in the North-Eastern States. The most liberal land market today in India exists in J&K. I want to understand it from the hon. Finance Minister. Obviously, this is done in order to promote private investment, in order to catalyze private investment, which we all welcome. We know that in the last three years many MoUs have been signed. So I would like to know from the hon. Finance Minister how many of these MoUs have actually been translated into projects. How many of these MoUs have actually started acquiring the land that is now being provided through the aegis of the JKIDC?

Sir, this is my request to the hon. Finance Minister. These are non-political questions. These are technical questions relating largely to the Revenue Budget. Unless we understand the assumptions of the Revenue Budget, we are not going to be able to understand the realism of the Expenditure Budget. I welcome the Expenditure Budget. But I would like greater clarity on the pillars of the Revenue Budget. Thank you, sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Kirodi Lal Meena *ji*. He is not present.

माननीय सदस्यगण, हम लोगों ने the Budget of Union Territory of Jammu and Kashmir, 2022-23, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 2022, and the Jammu and Kashmir Appropriation (No.2) Bill, 2022 पर बहस conclude कर ली है। इसका reply कल होगा। अब Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may all please lay the Special Mentions. Shri A. Vijayakumar; not present. Then, Dr. Amar Patnaik.

Need for structural changes in the Indian Criminal Law

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): While many efforts are underway to bring reforms to the Indian Criminal Law, it is vital to structurally change them to overthrow the colonial and patriarchal veil that prevents the citizens from accessing justice. Structural reforms have become vital to ensure that every person lives a life of dignity and equality, as guaranteed by the Indian Constitution. Therefore, the following structural changes must be made to the Indian Criminal Law.

Since Criminal Law at present is not gender neutral, it confers varying protection to individuals on the basis of being male and female under various sections of the Indian Penal Code. However, laws must be made gender neutral as per the recommendations of the Justice Verma Committee. To further eliminate discrimination, the definition of gender as under Section 8 of the Penal Code should include transgender.

Another major reform would be to increase the magnitude and severity of the punishments for white-collar crimes. According to the changing dynamics of while-collar crime in India, the CBI has found over 600 cases of corruption over the last 10 years. The quantum of punishment for white- collar frauds that leads to embezzlements and scams should be adequately increased with maximum punishment of life imprisonment for grave cases, at par with serious red-collar crimes in the IPC. Electronic-courtroom technology must also be harnessed by the judicial system and courts to expedite criminal trial in India

for speedy justice. Therefore, Indian Criminal Laws must be revisited and structurally reformed to ensure an equitable life.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to address the issue of child labour and violence in manual scavenging

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, while the Government has recognized only 58,098 manual scavengers for rehabilitation and compensation across the country, a survey of 14 States conducted by 'The Wire' found that the number of manual scavengers in the country, including children and those working under conditions that can be classified bonded labour, is increasing. Previously, it was mostly women who worked as manual scavengers in dry latrines in toilets built under the *Swachh Bharat Mission* but the survey shows that children under the age of 12, particularly girls, are now being hired as manual scavengers in local settlements through unknown middlemen. In this regard, Maharashtra has the highest number of child labourers numbering 12,562.

Violence, beatings and rape threats have been recorded by over 3,189 women working as manual scavengers. Around 260 women claimed that service-providers had raped or abused them. While about a hundred of these women stated that they had filed complaints against private house owners and service-providers who had raped or molested them, their complaints were not recorded in 95 per cent of these cases dues to their caste, gender and occupation. Six women alleged that they were sold as manual scavengers to private house-owners and then sexually exploited for an average of 2-3 years at a time.

Hence, I urge the Government to take cognizance of this overlapping set of problems and put a programme in place to conclusively end manual scavenging and protect the dignity of sanitation workers.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to re-start the funding to private educational institutions for supporting activities related to NCC

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, एन.सी.सी. अर्थात् राष्ट्रीय कैडेट कोर युवाओं का भारत में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो युवाओं में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, नागरिक सुरक्षा, आत्मरक्षा, स्वावलम्बन, नेतृत्व के गुणों आदि का विकास करते हुए उन्हें एक योग्य ईमानदार समर्पित नागरिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। एन.सी.सी. के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। यह सैन्य सेवा में प्रवेश लेने के लिए युवाओं को तैयार करता है। जो विद्यार्थी स्कूल एवं कालेजों में एन.सी.सी. का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सैन्य सेवा, पुलिस सेवा में जाने के लिए उनकी राह आसान हो जाती है। एन.सी.सी. को देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के प्रत्येक विद्यार्थी को एन.सी.सी. का प्रशिक्षण प्राप्त हो। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी भी अनेक अवसरों पर एन.सी.सी. प्रशिक्षण के विस्तार की बात कह चुके हैं। महोदय, जहां एक ओर एन.सी.सी. के प्रशिक्षण के प्रसार की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थाओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा एन.सी.सी. संचालन के लिए दिये जाने वाली अनुदान राशि (फंड) को बंद कर दिया गया है। कैडेट को प्रत्येक परेड में दिये जाने वाले नाश्ते का व्यय, कैडेट का कैम्प की सहभागिता का व्यय, संस्था में कार्यरत एन.सी.सी. अधिकारियों का मानदेय, उनका प्रशिक्षण व्यय, एन.सी.सी. कैडेट की यूनिफार्म आदि का व्यय सभी कुछ संस्था द्वारा ही वहन किया जाता है, जिससे निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित एन.सी.सी. को चलाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि अनुदान राशि को पुनः प्रारम्भ करें, धन्यवाद।

श्री अबीर रंजन बिस्वास (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Need to start work at Canning-Jharkhali railway line for development of Sundarbans

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, as you are aware, the Sundarbans is one of the best *Badawan* in the world, one of the world's heritage sites and one of the most backward agricultural areas in the country. Even after 75 years of Independence, the expansion of the Canning-Jharkhali railway line in the gateway of the Sundarbans has

not taken place. The final survey was completed by the Ministry of Railways in 2009 and work was started. Several pillars were built over the Matla river spending crores of rupees. Then the work stopped. The work has not been re-started till today. Although for acquisition of private land, Additional District Magistrate (Land Acquisition), South 24 Parganas, has been made the competent authority and work on the bridge over Matla river was started, no work has been done since 2018.

I would like to request the hon. Minister to allocate the highest priority to the Canning-Jharkhali railway line in the Budget as rail communication is required at the gateway of the best *Badawan* in the world. I believe that the development of railways will greatly improve the socio-economic infrastructure of the people of Sundarbans.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I too associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to form a separate Indian Council for Veterinary Research

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR (Tamil Nadu): Sir, thank you for permitting me to speak on important subject, through Special Mention, regarding ICAR bifurcation.

It is to bring to your kind notice that the ICAR (Indian Council of Agriculture Research) is an autonomous and unified supreme body responsible for co-ordinating both Agriculture and Veterinary, Education and Research in India. Under ICAR, there were so many Research Institutes, including 4 deemed universities and 65 research institutions across the country. One of the notable inventions of this premier institution is development of vaccine against bird flu. This prestigious institution, that is, ICAR, operates under the Department of Agriculture Research and Education, Ministry of Agriculture.

But, at present, the Union Government has bifurcated and formed the new Ministry for the Department of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, from the Ministry of Agriculture, and it has started its autonomous operations since May, 2019.

However, the research institutions focussing on Fisheries, Animal Husbandry and Dairying under ICAR were not bifurcated.

For the better grants, supervision and management, it is important to bifurcate the Veterinary discipline from ICAR, like the bifurcation of Ministries. I humbly request the Union Government to form ICVR (Indian Council for Veterinary Research) under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to effectively manage the veterinary discipline.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to give rebate on GST and payment of refund to handloom weavers due to multi-level tax on cotton yarn

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, the handloom weavers are facing difficulties due to multi-level GST taxation. Handloom sector is next only to agriculture in providing employment to the people in the rural areas. Originally, the farmers produce raw cotton with the inputs of manure and fertilizers, for which GST is paid. Raw cotton is sold in the market. From the market, spinning mills produce cotton yarn. When the weavers purchase the yarn for manufacture of garments or apparel, they have to pay GST on the yarn. Again, when the finished product, apparel is sold, GST is collected. In this way, because of multi-level tax, 50 per cent of the cost goes away as GST tax for the handloom weavers. The tax burden is slowly killing the handloom industry.

Therefore, the rebate on GST and refund of multi-level taxes, which the handloom weavers pay, should be given. Earlier, in the case of VAT, only value added portion was taxed and not the entire product. I would, therefore, urge upon the Government to ensure that the GST refund is provided to handloom weavers who are paying multi-level GST. Thank you.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri K.C. Venugopal; not present. Then, Shrimati Mausam Noor.

Need for policies for migrant workers

SHRIMATI MAUSAM NOOR (West Bengal): Sir, there is a lack of evidence-based policies for the migrants. The nationwide lockdown and the sealing of State borders and international borders caused one of the largest waves of reverse migration of informal migrant workers that the country has ever seen. The migrants were faced with job losses along with non-payment of wages for the work already done by them. The memories of the migrant crisis are etched on everyone's minds. However, there is no Government data to show for it. The Government has repeatedly told Parliament that they do not have data for the deaths of migrant workers who died as a result of imposition of lockdown, either does the Centre have data on the number of jobs lost. The need for collecting this data is made even more urgent by the ever-increasing urbanization in the country. India has witnessed a four per cent increase in urbanization in the past decade as more and more people are shifting from villages to cities in search of employment. Increased urbanization translates to increase in migrant workers. This is the right time to scale the efforts to collect data on migrants. This will enable mainstreaming of the needs of the migrants, such as creation of migrant-friendly infrastructure and will enable inclusion of migrants in each State's health, education and employment policies.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Redressal of issues being faced by the employees of Cannanore Spinning & Weaving Mills in Kerala

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, the Cannanore Spinning & Weaving Mills in Kerala, functioning under the National Textiles Corporation, is situated in the Kannur district of Kerala. It was closed down last year and got partially reopened followed by the protest raised by its workers. It is again closed down stating the unavailability of raw materials. The employees are not getting their wages properly. The employees are complaining that they have not received the bonus for 2020-21. There are about 600 employees working in this Mill. Trade Unions have repeatedly requested to make the raw materials available for the continuous operation of the mill and to ensure work and wages for the employees. But till now there is hardly any action from the NTC authorities in this regard. This case in

Kannur is not the only case in this regard, rather the condition in most of the mills under the NTC is the same. So there is an urgent need for the Government to intervene in this issue. The Government should take proper action to make the raw materials available for the functioning of the Mill and should ensure regular wages and other benefits for the employees.

Need for authentic figures related to infiltration of Bangladeshi nationals in Assam

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Sir, there has been no consensus regarding the total number of illegal Bangladeshi nationals who have infiltrated into India and, more particularly, into Assam after the creation of that country in 1971. Various figures cited by Government sources from time to time also vary widely. This figure varies from 30 lakh (as per Shri Hiteswar Saikia, Chief Minister, in 1992) to 40 lakh (as per Shri Indrajit Gupta, Union Home Minister in 1997) to 50 lakh (as per Shri Shriprakash Jaiswal, Union Minister of State for Home in 2004) to 2 crore primarily divided between Assam and West Bengal (as per Shri Kiren Rijiju, Union Minister of State for Home in 2016). In the final published version of the National Register of Citizens (NRC) in Assam, about 19 lakh people have been found to be without valid documents of citizenship. Nobody however rules out the scope of further corrections to this number.

Recently, in a well-researched article published in a local popular daily, a senior IPS officer from Assam has shown the total migration from Bangladesh to Assam to be around four lakh only.

Assam had witnessed a six-year long movement (1979-1985) on this issue and even now, there is a widespread feeling amongst the people in Assam that Bangladeshi infiltration is a major issue which has a bearing on land, language and culture of the State. I urge the Government to clarify the position.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Prashanta Nanda; not present. Then, Shri Vijay Pal Singh Tomar.

Need for opening of more *Jan Aushadhi Kendras* and for encouraging use of generic medicines

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, केन्द्र सरकार ने एक ओर गरीब परिवारों को 'आयुष्मान भारत योजना' के द्वारा 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है, वहीं दूसरी ओर

सस्ती दवायें उपलब्ध कराने के लिए देश भर में करीब 8,564 'जन औषधि केन्द्र' स्थापित किये हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश चिकित्सक अपने पर्चे में ऐसी कम्पनियों की दवाओं के नाम लिखते हैं, जो जन औषधि केन्द्र पर उपलब्ध नहीं हों। इससे उन्हें वे दवायें कई गुणा दामों पर अन्य मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं। चिकित्सकों के द्वारा गरीब मरीजों को हतोत्साहित किया जाता है कि जन औषधि केन्द्र की सस्ती दवायें ठीक नहीं हैं, ये उसी मेडिकल स्टोर से लाओ, जहाँ उपलब्ध हों। इस प्रकार विवश होकर मरीज महँगी दवाएँ खरीदते हैं। कुछ ने तो अपने क्लीनिक के पास अपने ही व्यक्ति के मेडिकल स्टोर खुलवा रखे हैं। इस प्रकार केन्द्र की योजना का पूरा लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि सभी सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों के परिसर में जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जायें तथा चिकित्सकों को निर्देशित किया जाये कि वे दवा के केवल जेनेरिक नाम (सॉल्ट) लिखें तथा आई.एम.ए. को भी निर्देशित किया जाये कि दवा का नाम न लिख कर उसके जेनेरिक (सॉल्ट) का नाम लिखें, ताकि सस्ती दर से गरीबों को दवाएँ मिल सकें।

श्री अबीर रंजन बिस्वास (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

Need for Front of Package Labelling (FOPL) regulation in the country

SHRI MAHESH PODDAR (Jharkhand): Sir, India is one of the global leaders in the food and beverage industry and is likely to be burdened with approximately 25 per cent of cardiovascular-related deaths and serve as a home to more than 50 per cent of the patients with heart ailments worldwide by 2023. The Front-of-Pack Labelling (FOPL) is an important policy tool for countries to help consumers to make healthier food choices. Presently, 11 countries have enacted laws making FOPL mandatory for packaged food products. Therefore, I would urge the Government to examine the matter and take necessary steps to notify the regulation of FOPL for packaged food.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to seek relaxation in WTO agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) for fighting Covid-19 pandemic

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, access to Covid vaccines and treatments are an area of concern for developing countries. WTO Agreement on Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights (TRIPS) compliant patent regime further exacerbated this problem. To overcome this, in 2020, India and South Africa approached the WTO's TRIPS Council seeking a comprehensive waiver of certain provisions of copyrights, industrial designs, patents and protection of undisclosed information in the TRIPS Agreement available for Covid-19 treatments, technology and vaccines, in order to help countries fight the pandemic. But, it is learnt that now a compromise has been arrived at, called the 'outcome of the quadrilateral discussions', after talks among a sub-group of WTO countries, including India, South Africa, the US & the EU and is being discussed at WTO. There are widespread protests by the stakeholders that the proposed solution is not a waiver but actually has the effect of a compulsory licence mechanism that goes beyond the normal requirements of the TRIPS pact. The proposed solution imposes a condition to list all patents covered under compulsory licence and to notify the TRIPS Council with all the details of compulsory licence. These proposed conditions will adversely affect the actual deployment of the offered solution. It is against the interests of developing countries, including India.

Hence, the Government should reject the so-called consensus text on TRIPS waiver on Covid-related medical products and should push for a more equitable TRIPS waiver.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Md. Nadimul Haque.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Sir, can I read it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Since I requested all persons to lay it, I would again request you also to lay it.

Need to revoke the decision of the closure of Terrestrial Services of *Doordarshan* and All India Radio

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, Prasar Bharati's decision to close down Terrestrial Services of Doordarshan and All India Radio has several far-reaching

negative consequences. At a time when COVID has made essential the access to information, have its implications on actual life and death, this closure is perhaps based on the assumption that all households in the country have access to information through internet or DTH services. Data shows that more than 70 lakh households in the country still do not have access to either service, making them entirely reliant on Government provided terrestrial services such as those of the DD. Such terrestrial services are also our most reliable means of communication during disasters and calamities. Considering that we are one of the top three countries globally that bears the maximum brunt of natural disasters, the value of such a service cannot be discounted. Terrestrial transmission is also a considerable counter to the illegal network penetration of neighbouring countries in the border States. The localized nature of these services and their ability to deliver reception on portable networks despite weather conditions makes it an important asset for maintenance of law and order in the border zones. This closure must be recalled and the Government should conduct a study to build and digitize the service's capacity.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Nadimul Haque*ji*. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 23rd March, 2022.

The House then adjourned at thirty-two minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 23rd March, 2022.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)